सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

दिनांक 01.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार

कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर

मानक टिप्पणी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
www.esic.gov.in

CONTENTS

Sl. No.	Subject	Page No.
1.	क°रा°बी°योजना का सामान्य पक्ष	1-5
2.	क°रा°बी°योजना के अंतर्गत प्रदत्त हितलाभ	6-11
3.	प्रशासन	11
4.	वित्त	11-12
5.	राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकाय/सोसाइटी का गठन	12
6.	क°रा°बी°योजना के अंतर्गत प्रदत्त चिकित्सा हितलाभ	13-23
7.	क°रा°बी°निगम अस्पताल एवं क°रा°बी°औषधालयों की स्थापना	24-25
8.	व्यवसायजन्य रोग केन्द्र (ओडीसी)	26
9.	चिकित्सा देखभाल पर व्यय	26
10.	चिकित्सा शिक्षा	27-34
11.	संपत्ति प्रबंधन	34-38
12.	भारतीय चिकित्सा पद्धति	38-39
13.	अंशदान की वसूली और अभियोजन मामलों का विवरण	39-43
14.	केंद्रीय विश्लेषण एवं आसूचना इकाई (सीएआइयू) के माध्यम से संचालित निरीक्षण	44
15.	क°रा°बी°निगम में स्थापित लोक शिकायत निवारण तंत्र	44-46
16.	जनसंपर्क	46
17.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनुपालन	46-47
18.	प्रशिक्षण	47-75
19.	प्रापण अनुभाग और दर संविदा कक्ष के अनुभाग का कार्य	76-77
20.	अति विशिष्टता उपचार प्रकोष्ठ	78
21.	भर्ती	79-81
22.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग	81-85

23.	**प्रबंधन सेवा एकक**			**86**
24.	**ई-प्रापण/ई-बाजार स्थलों पर सरकार/स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) ई-प्रापण**			**87**
25.	**कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में सामान्य सूचना और सांख्यिकीय आंकड़े**			**88-130**
	1. क.रा.बी. योजना के संबंध में सामान्य सूचना	**संलग्नक** – I (क और ख)	**89-91**	
	2. हितलाभ एवं अंशदायी शर्तें	**संलग्नक** – II	**92-96**	
	3. क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय /औषधालय-सह-शाखा कार्यालय की सूची	**संलग्नक** – III	**97-117**	
	4. निगम का राजस्व एवं व्यय	**संलग्नक** – IV	**118**	
	5. दिनांक 01.01.2024 की स्थिति के अनुसार आईएसएम/आयुष के अंतर्गत की गई प्रगति	**संलग्नक** – V	**119-127**	
	6. दर संविदा तैयार करने की प्रक्रिया	**संलग्नक** – VI	**128-130**	

कर्मचारी राज्य बीमा योजना
पर मानक टिप्पणी
(दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जो बीमारी, मातृत्व, निशक्तता और रोजगार चोट के कारण मृत्यु की आकस्मिकताओं में कामगारों हेतु चिकित्सा देखभाल और नकद हितलाभ प्रदान करता है।

1. क.रा.बी.योजना का सामान्य पक्ष

क) क.रा.बी.अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्ति :-

कर्मचारी राज्य बीमा, अधिनियम, 1948 दस या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। अधिनियम के उपबंधों का जिलों में चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रवार विस्तार किया जा रहा है। इस अधिनियम में ऐसा समर्थकारी उपबंध है, जिसके अंतर्गत यह 'उपयुक्त सरकार' को स्थापनाओं, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा के अन्य वर्गों पर अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करने हेतु सशक्त बनाता है। इन उपबंधों के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने उपबंधों को 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरांओं, पूर्व-दर्शन थियेटर सहित सिनेमाघरों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार-पत्र स्थापनाओं, शैक्षिक, चिकित्सा संस्थानों पर अधिनियम के उपबंधों का विस्तार किया है। केंद्र सरकार ने धारा 1(5) के अंतर्गत 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन स्थापनाओं, पूर्व-दर्शन थियेटर सहित सिनेमाघरों, समाचार पत्र स्थापनाओं, बीमा व्यवसाय में लगी स्थापनाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पत्तन न्यास, विमानपत्तन प्राधिकरणों, माल-गोदाम स्थापनाओं के लिए व्याप्ति का विस्तार किया है। तैंतीस राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने दुकानों और स्थापनाओं की व्याप्ति हेतु कर्मचारियों की संख्या की सीमा घटाकर 10 या उससे अधिक कर दी है। पंजीकृत कारखानों तथा स्थापनाओं में ₹21,000/- प्रतिमाह (निःशक्त व्यक्ति के लिए ₹25,000/-) तक मजदूरी आहरण करने वाले कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त हैं। क.रा.बी.अधिनियम,1948 के अंतर्गत दिनांक 01-01-2024 की स्थिति के अनुसार व्याप्ति की स्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा
1.	उन जिलों की संख्या जिनमें क.रा.बी.योजना अधिसूचित की गई है	674
2.	क.रा.बी.अधिनियम,1948 के अंतर्गत पूर्णतः अधिसूचित जिलों की संख्या	571
3.	क.रा.बी.अधिनियम,1948 के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिसूचित जिलों की संख्या	103
4.	क.रा.बी.अधिनियम,1948 के अंतर्गत पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या	22.24 लाख
5.	क.रा.बी.अधिनियम,1948 के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या	3.14 करोड़
6.	व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	3.72 करोड़
7.	लाभार्थियों की संख्या	14.44 करोड़

क.रा.बी.योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सामान्य जानकारी **संलग्नक-1** में दी गई है।

(ख) रोजगार के नए क्षेत्रों में क.रा.बी.योजना का विस्तार :

i. नए क्षेत्रों और रोजगार के नए क्षेत्रों में क.रा.बी.योजना का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था एक पूर्व शर्त है। निगम इस योजना को चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार विस्तारित करता है :-

क. क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गैर-कार्यान्वित क्षेत्र में आवधिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है ताकि उस क्षेत्र की पहचान की जा सके जहां योजना को विस्तारित/अधिसूचित किया जा सकता है। जब संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाती है या उसके द्वारा नए क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क.रा.बी.निगम को अनुरोध किया जाता है, ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के पूरा होने पर केंद्र सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु एक अधिसूचना जारी की जाती है।

ख. कारखानों की व्याप्ति के लिए सीमा 10 या अधिक व्यक्तियों की है और राज्य सरकारों ने क.रा.बी.अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत स्थापना की व्याप्ति की सीमा को 20 से घटाकर 10 व्यक्तियों या अधिक का कर दिया है।

ग. केंद्र सरकार ने दिनांक 09.06.2021 के पत्र संख्या एस 38025/07/2021-एसएस-I के माध्यम से धारा 1(5) के अंतर्गत सभी राज्यों के नगर निगमों/नगर निकायों के संविदा और अनियत कर्मचारियों की व्याप्ति के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम और त्रिपुरा के नगर निगमों/नगर निकायों के संविदा और अनियत कर्मचारियों को क.रा.बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्ति के लिए अधिसूचित किया है।

घ. योजना बागानों और खानों आदि पर लागू नहीं है क्योंकि वे संबंधित अधिनियमों के अलग से व्याप्त किए गए हैं।

ii. निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थानों को क.रा.बी.अधिनियम,1948 के अंतर्गत व्याप्ति-योग्य स्थापनाओं के रूप में अधिसूचित नहीं किया है :

क्रम संख्या	शैक्षिक संस्थाएं	चिकित्सा संस्थाएं
1	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
2	गुजरात	गुजरात
3	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
4	मेघालय	मेघालय
5	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	पुदुचेरी
6	लक्षद्वीप	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
7		पुदुच्चेरी

(iii) संगठित अंचल के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध :

क॰रा॰बी॰अधिनियम संगठित अंचल के कामगारों को व्याप्त करता है। दिनांक 31.03.2024 को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत 3.14 करोड़ कर्मचारी व्याप्त हैं, जिसमें बीमाकृत व्यक्तियों के 3.72 करोड़ परिवारों के कुल 14.44 करोड़ हितलाभार्थी हैं। संगठित अंचल में शेष कामगार, जिन पर क॰रा॰बी॰अधिनियम लागू नहीं होता है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से सामाजिक सुरक्षा परिधि के बाहर हैं :-

क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी, जिन्हें संबंधित सरकारों के नियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है;

ख) 10 व्यक्तियों से कम नियोजित करने वाले कारखाने/स्थापनाएं।

ग) गैर-कार्यान्वित क्षेत्रों/जिलों में स्थित कारखानों/स्थापनाओं के कर्मचारी, जहां क॰रा॰बी॰योजना अब तक अधिसूचित नहीं की गई है।

घ) मौसमी कारखानों के कर्मचारी;

ङ) प्रतिमाह ₹21,000/- से अधिक मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारी।

च) उन श्रेणी की स्थापनाओं के कर्मचारी, जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा क॰रा॰बी॰अधिनियम,1948 की धारा 1(5) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है

संगठित अंचल में नियोजित एवं छोटे कारखानों और स्थापनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को क॰रा॰बी॰अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए निर्धारित सीमा को कम करके धीरे-धीरे क॰रा॰बी॰योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसी तरह, जो कामगार ₹ 21,000/- प्रतिमाह की मजदूरी सीमा से अधिक मजदूरी आहरित कर रहे हैं, उन्हें मजदूरी की उच्चतम सीमा में वृद्धि करके क॰रा॰बी॰योजना के दायरे में लाया जा सकता है। स्थापनाओं की और श्रेणियों को भी क॰रा॰बी॰अधिनियम, 1948 के दायरे में लाने के लिए उन्हें "उपयुक्त सरकार" द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(iv) मानक टिप्पणी के लिए 'लेखागत' भुगतान पर आलेख :

- **परिचय**

  बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के हकदार हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार, हितलाभार्थियों को प्राथमिक और द्वितीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। हितलाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल एक बहुत बड़ी अवसंरचना जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल, औषधालय और अन्य चिकित्सा संस्थाओं के साथ टाई-अप व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाती है।

  कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के आलोक में, निगम ने राज्य सरकारों के साथ करार किया है और इसलिए, बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा देखभाल पर व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(3) के उपबंध के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों के बीच 7:1 के अनुपात में बांटा जाता है।

- **उच्चतम सीमा संरचना**

  कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थियों को चिकित्सा सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष ₹3,000/- की उच्चतम दर पर निधि को अनुमोदन प्रदान किया है। नई उच्चतम सीमा संरचना निम्नानुसार है :

क्र.सं.	शीर्ष	उच्चतम हकदारी
(i)	मानक चिकित्सा देखभाल : 'प्रशासन' और 'अन्य' पर व्यय के लिए प्रत्येक को ₹1,300/-	₹2,600/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष
(ii)*	परियोजना कार्यान्वयन योजना	₹200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष
(iii)*	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों और औषधालयों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल 'धन्वन्तरि' के कार्यान्वयन के आधार पर यथानुपात भुगतान	₹200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष

**राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना/सोसाइटी को दिशानिर्देशों के विधिवत अनुपालन सहित अपने प्रस्ताव/दावे प्रस्तुत करने होंगे।*

राज्य सरकारें ₹3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की उच्चतम सीमा के अलावा प्रोत्साहन के रूप में प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष ₹200/- और निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय के लिए प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष ₹20/- दावा करने के लिए भी प्राधिकृत हैं, जहां पर समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में बिस्तर अधिभोग 70 प्रतिशत से अधिक हो।

- **बजट गणना की कार्य-रीति**

  प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, 'लेखागत' के अंतर्गत बजट आबंटन की सूचना राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं/सोसाइटियों को निधि की अर्ध-वार्षिक किस्तों की गणना और जारी करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को दी जाती है।

  राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के बजट की गणना 2021-22 से पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति बीमाकृत व्यक्ति पर किए गए वास्तविक व्यय के औसत के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति की लागत और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्रति बीमाकृत व्यक्ति वास्तविक व्यय का औसत 10 % बढ़ाया जाएगा, जो कि मौजूदा बजटीय सीमा के अधीन होगा।

  गणना किए गए बजटीय प्राक्कलन में से, 10% राशि लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर 'पूर्ण और अंतिम' निपटान के बाद जारी की जाती है, जबकि, 90% राशि निम्नानुसार अर्ध-वार्षिक किस्तों में निम्नानुसार जारी की जाती है :

  - प्रथम किस्त 15 अप्रैल तक जारी की जानी है — बजट प्राक्कलन के 90% का 50%
  - द्वितीय किस्त 15 अक्टूबर तक जारी की जानी है — बजट प्राक्कलन के 90% का 50%

- **अतिरिक्त निधि**

  राज्यों की समग्र पात्रता के अंतर्गत अनुमोदित बजट प्राक्कलन के अलावा, अतिरिक्त धनराशि के आबंटन का प्रावधान, 2021-22 से प्रभावी, दिनांक 22.04.2021 के संशोधित ओएपी निदेश के अनुसार किया गया है। राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना/सोसाइटी को चालू वर्ष के 31 अक्टूबर तक परिशोधित बजट प्राक्कलन

के उद्देश्य, व्यय का विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा परिशोधित बजट प्राक्कलन अनुमोदित किए जाने के बाद, इसकी सूचना सभी संबंधित पक्षों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुमोदित बजट में से राज्यों के बीच बजट के पुनर्विनियोजन को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- **पूर्ण एवं अंतिम निपटान**

संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए शेष राशि (बजट का 10%) जारी करने के लिए संबंधित राज्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कार्यालय से लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र आवश्यक है। (राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा किए गए व्यय विभिन्न उप-शीर्षों और व्यापक उच्चतम सीमा के अधीन है।)

- **परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी)**

परियोजना कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 15 अक्टूबर तक प्रस्ताव/योजना अग्रिम रूप से प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्ताव की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जाँच की जाती है और महानिदेशक के अनुमोदन के बाद, राज्य सरकार को संस्वीकृति की सूचना दी जाती है, बशर्ते, राज्यों द्वारा विशिष्ट पीआईपी मानदंडों के अंतर्गत सभी स्पष्टीकरणों पर ध्यान दिया गया हो और प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ, यदि कोई पीआईपी गतिविधियाँ पहले संस्वीकृत की गई थीं, तो राज्य सरकार को पिछले वर्ष से 12 माह पूर्व की अवधि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

- **पूर्वोत्तर अंचल *(असम को छोड़कर सिक्किम सहित)* के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान**

i. वित्त वर्ष 2023-24 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 50,000 तक पहुँचने तक, जो भी पहले हो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक 100% व्यय वहन किया जाएगा।

ii. वित्त वर्ष 2023-24 से पाँच वर्षों के लिए प्रति औषधालय ₹40 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता (एएफए)।

iii. 2022-23 से प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष ₹1,800/- की अधिकतम सीमा के साथ लचीली प्रशासनिक उप-सीमा।

- **राज्य कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी**

धारा 58(5) और 58(6) राज्य कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के गठन को सक्षम बनाती हैं। सोसाइटी के गठन के लिए अपनाई जाने वाली संरचना, संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। सोसायटी के गठन से धन की उपलब्धता के संदर्भ में स्वायत्तता मिलती है, क्योंकि इसे राज्य कोषागार के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे सोसायटी के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है और सोसायटी का लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के साथ सूचीबद्ध एक चार्टर्ड एकाउंटेंट/फर्म होगी।

2. **क.रा.बी.योजना के अंतर्गत प्रदत्त हितलाभ**

क.रा.बी.अधिनियम, 1948 की धारा 46 में निम्नलिखित छह सामाजिक सुरक्षा हितलाभों की अवधारणा की गई है :-

i. चिकित्सा हितलाभ
ii. बीमारी हितलाभ
iii. मातृत्व हितलाभ
iv. नि:शक्तता हितलाभ
v. आश्रितजन हितलाभ
vi. अंत्येष्टि व्यय

उपर्युक्त वर्णित हितलाभों के अतिरिक्त, योजना बीमाकृत व्यक्तियों को कुछ अन्य आवश्यकता-आधारित राहत भी प्रदान करती है। विभिन्न हितलाभों का ब्योरा निम्नानुसार है। विभिन्न नकद हितलाभों के लिए पात्रता शर्तें संलग्नक -II पर दी गई हैं।

(i) चिकित्सा हितलाभ

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों को चिकित्सीय परिचर्या, उपचार, औषधि एवं मरहम पट्टी, विशेषज्ञ परामर्श और अस्पताल में भर्ती के रूप में व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिजन क.रा.बी.योजना में व्याप्त/व्याप्ति-योग्य होने के दिन से ही बीमारी हितलाभ के हकदार हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्थायी अपंगता, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण बीमाकृत व्यक्ति के बीमा-योग्य रोजगार में न रहने पर चिकित्सा देखभाल के लिए भी निम्नलिखित उपबंध हैं:-

(क) उन बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ जो स्थायी निःशक्तता के कारण बीमा-योग्य रोजगार में नहीं रह पाते :

दिनांक 01.02.1991 से चिकित्सा हितलाभ ऐसे स्थायी तौर पर निःशक्त बीमाकृत व्यक्ति और उसके/उसकी विवाहिती को भी दिया जाता है, जो रोजगार चोट के कारण बीमा-योग्य रोजगार से बाहर हो गया है। यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला को ₹10/- प्रतिमाह की दर से एक वर्ष के लिए अग्रिम रूप से अंशदान का एकमुश्त भुगतान करने पर तब तक प्रदान किया जाता है, जब तक कि वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर रोजगार से बाहर न हो गया होता/होती, यदि उसे ऐसी स्थायी निःशक्तता न हुई होती। नियम 60 में यथानिर्धारित अंशदान का भुगतान करने पर यह हितलाभ आश्रितजन हितलाभ प्राप्त कर रही बीमाकृत व्यक्ति की विधवाओं को भी दिया जाता है।

(ख) सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ :

चिकित्सा हितलाभ का विस्तार उन बीमाकृत व्यक्तियों और उनके विवाहिती तक भी किया गया है जो अधिवर्षिता की आयु होने पर अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अथवा समय पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा जो कम-से-कम 5 वर्ष तक बीमा-योग्य रोजगार में रहे हो। यह हितलाभ ₹10/- प्रतिमाह की दर से उसके द्वारा एक वर्ष के लिए अंशदान का एकमुश्त अग्रिम भुगतान करने पर दिया जाता है। यह हितलाभ सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उनके विवाहिती को भी उपलब्ध कराया जाता है, जो नियम 61 के अंतर्गत निर्धारित अंशदान के भुगतान पर चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर रहे थे।

(ii) बीमारी हितलाभ

1. बीमारी हितलाभ, प्रमाणित बीमारी की अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति को किए गए आवधिक भुगतान का द्योतक है। इस हितलाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु संबंधित अंशदान अवधि में कम-से-कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान/देय होना चाहिए। बीमारी हितलाभ की अधिकतम अवधि लगातार दो हितलाभ अवधियों (अर्थात् एक वर्ष में) में 91 दिन है। जिस बीमारी की अवधि के लिए पिछली बार बीमारी हितलाभ का भुगतान किया गया था, उसके बाद 15 दिनों से कम के अंतराल में आने वाली बीमारी की अवधि के मामले में, बीमारी के प्रथम दो दिनों के लिए बीमारी हितलाभ का भुगतान नहीं किया जाता है। बीमारी हितलाभ की दर दिनांक 01.07.2011 से किसी बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी का 70% है।
2. 91 दिनों तक देय बीमारी हितलाभ पूरा होने के बाद, कोई बीमाकृत व्यक्ति, यदि तपेदिक/कुष्ठ रोग, मानसिक और घातक रोगों या किसी अन्य निर्दिष्ट दीर्घकालिक रोग से पीड़ित है, तो दो वर्ष की अवधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 80% की उच्च दर पर विस्तारित बीमारी हितलाभ का हकदार है, बशर्ते वह किसी ऐसे कारखाने या स्थापना में 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए निरंतर सेवा में रहा हो, जिस पर अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं और अंशदायी शर्तों को पूरा करता हो। वर्तमान में कुल 34 दीर्घकालिक बीमारियाँ हैं, जिनके लिए विस्तारित बीमारी हितलाभ का भुगतान किया जाता है। महानिदेशक/चिकित्सा आयुक्त को अन्य विरल रोगों से पीड़ित बीमाकृत व्यक्तियों को भी हितलाभ देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
3. बीमारी हितलाभ के पात्र बीमाकृत व्यक्ति को, परिवार नियोजन के लिए बंध्यकरण शल्यक्रियाओं हेतु, पुरुष नसबंदी के मामले में 7 दिनों तक और महिला नलीबंदी के लिए 14 दिनों तक, शल्यक्रिया पश्चात की जटिलताओं, आदि के मामले में विस्तार-योग्य अवधि के लिए पूर्ण औसत दैनिक मजदूरी की दर से वर्धित बीमारी हितलाभ भी प्रदान किया जाता है।

(iii) मातृत्व हितलाभ

मातृत्व हितलाभ का तात्पर्य प्रसूति, गर्भपात या गर्भावस्था, प्रसूति, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से उत्पन्न होने वाली प्रसूति, गर्भपात या बीमारी के मामले में किसी बीमाकृत महिला को आवधिक भुगतान करना है। इस हितलाभ का विस्तार 'कमीशनिंग माता' तक भी किया गया है, जो जैविक माँ के रूप में बच्चे की इच्छा रखती है और किसी भी अन्य महिला में भ्रूण प्रत्यारोपित कराने की इच्छुक है और उस महिला तक भी है, जो तीन महीने तक की उम्र के बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लेती है।

मातृत्व हितलाभ की हकदारी के लिए, बीमाकृत महिला द्वारा उन हितलाभ अवधियों के संदर्भ में, जिनमें प्रसूति होती है या होने की उम्मीद है, तुरंत पूर्ववर्ती दो लगातार अंशदान अवधियों में कम-से-कम सत्तर दिनों के लिए अंशदान दिया होना चाहिए। हितलाभ की दैनिक दर औसत दैनिक वेतन का 100% है।

प्रसूति हितलाभ 2 जीवित बच्चों तक अधिकतम 26 सप्ताह की अवधि के लिए देय है, जिसमें प्रसूति के मामले में प्रसूति की अनुमानित तिथि 8 सप्ताह से अधिक पहले नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह के लिए मातृत्व हितलाभ देय है और यदि गर्भावस्था, प्रसूति, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के कारण बीमारी हुई हो तो उस मामले में अतिरिक्त एक महीने का भुगतान किया जाता है। यदि बीमाकृत महिला की, अपने पीछे बच्चे छोड़कर, मृत्यु हो जाती है, तो पूरी अवधि के लिए मातृत्व हितलाभ देय होता है, लेकिन यदि बच्चे की भी उक्त अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे की मृत्यु के दिन तक, मृत्यु के दिन सहित, भी देय होता है।

इसके अतिरिक्त, कमीशनिंग माँ या गोद लेने वाली माँ (बीमाकृत महिला) उस तारीख से बारह सप्ताह के मातृत्व हितलाभ की हकदार होगी, जिस तारीख से बच्चे को जन्म के बाद को सौंप दिया जाता है।

इसके अलावा, दो या दो से अधिक जीवित बच्चों की बीमाकृत महिला बारह सप्ताह की अवधि के दौरान मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसमें से छह सप्ताह से अधिक प्रसूति की अनुमानित तिथि से पहले नहीं होगा।

(iv) नि:शक्तता हितलाभ

रोजगार चोट से उत्पन्न होने वाली अस्थायी नि:शक्तता के मामले में, नि:शक्तता हितलाभ चिकित्सा अधिकारी/बीमा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित उस पूरी अवधि के लिए बीमाकृत व्यक्ति के लिए स्वीकार्य है, जिसके लिए बीमाकृत व्यक्ति ने मजदूरी हेतु काम नहीं किया है। नकद हितलाभ किन्हीं अंशदायी शर्तों के अधीन नहीं है और औसत दैनिक मजदूरी के 90% की दर से देय है। तथापि, अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ उस रोजगार चोट के लिए देय नहीं है, जो दुर्घटना की तारीख को छोड़कर, तीन दिनों से भी कम समय के लिए अक्षमता के परिणामस्वरूप हो। जहां रोजगार चोट के कारण नि:शक्तता के परिणामस्वरूप अर्जन क्षमता की स्थायी, आंशिक या पूर्ण हानि होती है, तो विधिवत रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए अनुसार अर्जन क्षमता की हानि की सीमा के आधार पर बीमाकृत व्यक्तियों को जीवनभर के लिए आवधिक नकद भुगतान किया जाता है। नकद हितलाभ की दर को समय-समय पर परिशोधित किया जाता है ताकि निधियों की उपलब्धता के शर्ताधीन मुद्रास्फीति आदि के कारण हितलाभ के मूल्य में क्षरण से बचाया जा सके।

तथापि, आवधिक भुगतान का संराशीकरण अनुमेय है, जहां स्थायी नि:शक्तता अंतिम रूप से आंकी गई है और हितलाभ की दैनिक दर ₹10 प्रतिदिन से अधिक नहीं है, और जहां हितलाभ दर ₹10 प्रतिदिन से अधिक है, लेकिन संराशीकृत मूल्य उसकी स्थायी नि:शक्तता के अंतिम अधिनिर्णय के प्रारंभ के समय 60,000 रुपये से अधिक नहीं है।

(v) आश्रितजन हितलाभ

रोजगार चोट के परिणामस्वरूप मृत बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को आवधिक रूप से भुगतान किया जाता है। विधवा (पुनर्विवाह तक) और विधवा माँ आजीवन मासिक पेंशन प्राप्त करती है। विधवा को आश्रितजन हितलाभ दर के 3/5 के बराबर राशि देय है। विधवा मां और प्रत्येक बच्चा आपस में आश्रितजन हितलाभ के 2/5 के बराबर राशि साझा करता है। पुत्रों को 25 वर्ष की आयु तक आश्रितजन हितलाभ मिलता है, परंतुक निःशक्तता के मामले में, हितलाभ का भुगतान निःशक्तता रहने तक जारी रहता है। पुत्रियाँ विवाह होने तक आश्रितजन हितलाभ की पात्र होती हैं। तथापि, यदि मृतक व्यक्ति की विधवा/विधवाओं और वैध या दत्तक बच्चों और मृतक की विधवा माँ के बीच वितरित आश्रितजन हितलाभ का कुल योग किसी भी समय पूर्ण दर से अधिक हो जाता है, तो प्रत्येक आश्रित का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा, ताकि उन्हें देय कुल राशि आश्रितजन हितलाभ की पूर्ण दर से अधिक हो। यदि बीमाकृत व्यक्ति अपने पीछे कोई विधवा या बच्चा या विधवा माँ नहीं छोड़ जाता है, तो उस स्थिति में हितलाभ अन्य आश्रितों को देय होता है। वास्तविक मूल्य की हानि की भरपाई के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक से जुड़ी पेंशन की राशि में समय-समय पर आवधिक वृद्धि संस्वीकृत की जाती है। सभी पात्र आश्रितों को देय आश्रितजन हितलाभ के आवधिक मासिक भुगतान की न्यूनतम राशि दिनांक 01.03.2012 से ₹1200/- (बारह सौ मात्र रूपये) से कम नहीं होगी।

(VI) अंत्येष्टि व्यय

अन्त्येष्टि व्यय का भुगतान मृतक बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर होने वाले व्यय के लिए किया जाता है। यह राशि परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को या उसकी अनुपस्थिति में मृतक बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर खर्च करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। अंत्येष्टि व्यय की राशि ₹15000/- है।

अन्य आवश्यकता आधारित हितलाभ/राहत :

(क) प्रसूति व्यय :

चिकित्सा अधिलाभ की योजना क॰रा॰बी॰ (केंद्रीय) नियमावली 1950 के नियम 56क के अंतर्गत दिनांक 16.11.1996 को आरंभ की गई थी। इस नियम के अनुसार बीमाकृत महिला और बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संबंध में प्रसूति व्यय के अंतर्गत क॰रा॰बी॰निगम द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित चिकित्सा अधिलाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते प्रसव उस स्थान पर हुआ हो, जहाँ क॰रा॰बी॰योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रसूति व्यय केवल दो प्रसूति के लिए देय है। प्रसूति व्यय के अंतर्गत चिकित्सा बोनस की राशि ₹7500/- है।

(ख) पुनर्वास भत्ता :

बीमाकृत व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ते का भुगतान मानक हितलाभ दरों से दोगुनी दरों पर तब तक किया जाता है, जब तक वे कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहते हैं।

(ग) स्थायी नि:शक्तता हितलाभ लाभार्थियों को वाहन भत्ता :

इस योजना के अंतर्गत स्थायी नि:शक्तता हितलाभ लाभार्थियों को ₹100/- का भुगतान वाहन भत्ते के रूप में तब किया जाता है जब वे वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु शाखा कार्यालय जाते हैं।

(घ) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (रा.गां.श्र.क.यो.) :

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जिसका शुभारंभ दिनांक 01.04.2005 को किया गया था, अंतर्गत उन बीमाकृत व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान अधिकतम 24 माह (दिनांक 06.09.2016 से) के लिए किया जाता है जो कारख़ाना/स्थापना के बंद होने/छँटनी अथवा गैर-रोजगार चोट के कारण 40% से अधिक स्थायी रूप से अशक्त होने के कारण अनिच्छा से बेरोजगार हो गए हों और जिनके मामले में रोजगार की हानि से पहले कम-से-कम दो साल के अंशदान का भुगतान हुआ हो या भुगतान देय हो। इस अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति और उसका परिवार चिकित्सा देखभाल का भी हकदार होता है। यदि बीमाकृत व्यक्ति पुनः रोजगार प्राप्त कर लेता है अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है अथवा 60 वर्ष का हो जाता है, जो भी पहले हो, तो यह भत्ता बंद हो जाएगा। पहले 12 महीनों के लिए बेरोजगारी भत्ते की दैनिक दर बीमाकृत पुरुष/बीमाकृत महिला की औसत दैनिक मजदूरी के 50% के बराबर होती है और बाद में 12 महीनों के लिए 25% के बराबर होती है।

(ङ) **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई**)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार बीमाकृत व्यक्तियों को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए नकद राहत प्रदान की जाती है। आरंभ में

राहत की दर दावेदार के औसत दैनिक अर्जन का पच्चीस प्रतिशत (25%) थी। यह योजना दिनांक 01.07.2018 को लागू हुई। इसे आरंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था। तब से इस योजना को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए दो बार विस्तारित किया गया है। वर्तमान में योजना को दिनांक 30.06.2024 तक विस्तारित किया गया है। हाल ही में क.रा.बी.निगम ने 08.10.2024 को आयोजित अपनी 194वीं बैठक में योजना को 01.07.2024 से 30.06.2026 तक दो साल की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। राहत की दर को बीमाकृत व्यक्ति के औसत दैनिक अर्जन के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और पात्रता शर्तों में शिथिलता दी गई है। योजना के अंतर्गत राहत के लिए पात्रता के लिए, बीमाकृत व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी से तुरंत पूर्व 12 माह की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा-योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से तुरंत पूर्व 12 माह में एक पूर्ण अंशदान अवधि में 78 दिनों से कम का अंशदान नहीं होना चाहिए।

च) क.रा.बी.अधिनियम, 1948 में संशोधन

उन बीमाकृत महिलाओं को बीमारी हितलाभ प्रदान करने के लिए जो मातृत्व हितलाभ का लाभ उठाने के कारण आवश्यक अंशदायी शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है।

क॰रा॰बी॰ (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 55 को उन बीमाकृत महिलाओं को बीमारी हितलाभ प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है जो बीमारी हितलाभ के लिए आवश्यक अंशदायी शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, यानी संगत अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान, क्योंकि वे मातृत्व हितलाभ ले रही थीं।

अब, एक बीमाकृत महिला जो मातृत्व हितलाभ प्राप्त कर रही है और मातृत्व हितलाभ के कारण अंशदान अवधि में उसके लिए कम अंशदान अवधि उपलब्ध है, वह संगत हितलाभ अवधि में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए योग्य होगी यदि उसके मामले में उस अंशदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से अधिक के लिए अंशदान देय था। **संशोधन दिनांक 20.01.2017 से प्रभावी है।**

छ) हितलाभ अवधि 01.01.2021 से 30.06.2021 के लिए बीमारी हितलाभ और मातृत्व हितलाभ की पात्रता शर्तों में छूट देने के लिए क.रा.बी. (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 55(1) और 56(1) में संशोधन

वर्ष 2020 में, कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी थी और बड़ी संख्या में क॰रा॰बी॰निगम में व्याप्त इकाइयां कार्यरत नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर कई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या कम हो गई थी। कई बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिलाओं को अंशदान की कम संख्या में उपलब्धता के कारण, मातृत्व हितलाभ/बीमारी हितलाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

उन बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिलाओं के कल्याण के लिए, जिन्हें 78 दिनों के अंशदान की न्यूनतम आवश्यकता की कमी के कारण क॰रा॰बी॰निगम के हितलाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, क॰रा॰बी॰निगम की 184वीं बैठक में जनवरी-जून 2021 की हितलाभ अवधि में बीमारी हितलाभ और मातृत्व हितलाभ के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले बीमाकृत व्यक्ति और बीमाकृत महिलाओं को बीमारी हितलाभ प्रदान करने के लिए अंशदायी शर्तों में शिथिलता प्रदान करने हेतु क॰रा॰बी॰ (केंद्रीय) नियमों के नियम 55 और 56 में संशोधन के लिए एक कार्यसूची रखी गई थी। निगम ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और तदनुसार भारत सरकार ने दिनांक 25.07.2023 को नियम 55(1) और 56(1) में संशोधन को अधिसूचित किया। यह संशोधन केवल दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की हितलाभ अवधि के लिए प्रभावी था।

3. प्रशासन

क.रा.बी.निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पूरे देश में इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 41 उप क्षेत्रीय कार्यालय और 6 कैम्प-सह-संपर्क कार्यालय हैं। दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ प्रदान करने हेतु 603 शाखा कार्यालय हैं और बीमाकृत व्यक्तियों को नकद और प्राथमिक चिकित्सा दोनों सुविधा प्रदान करने हेतु कुल 107 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) हैं।

दिनांक 01.01.2025 को अद्यतित स्थिति के अनुसार निगम में अधिकारियों (महानिदेशक, वित्त आयुक्त एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित) एवं कर्मचारिवृंद की अद्यतित कुल संस्वीकृत संख्या 22196 है। इसमें राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत चिकित्सा और परा-चिकित्सा तथा नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय और औषधालय-सह-शाखा कार्यालय का विवरण **संलग्नक -III** में दिया गया है।

4. वित्त

(i) सामान्य पक्ष :

क.रा.बी.योजना का वित्त पोषण नियोक्ताओं और कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान से होता है। दिनांक 18/09/2018 को आयोजित क.रा.बी.निगम की 175वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम ने अंशदान आय को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। जिसके अनुसार, अंशदान की संयुक्त रूप से कुल दर को घटाकर कर्मचारी को देय मजदूरी के 4% राशि के बराबर कर दिया गया। जिसमें तत्समय मौजूदा नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान की दर क्रमशः 4.75% और 1.75% के स्थान पर क्रमशः 3.25% और 0.75% की गई। उक्त निर्णय के अनुसरण में, श्रम और रोजगार, मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके क.रा.बी. (केंद्रीय) नियम 1950 के नियम 51 को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित उपबंध दिनांक 1 जुलाई, 2019 से लागू हो चुके हैं।

(ii) पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से क.रा.बी.निगम निधि का निवेश :

अप्रैल, 2019 से पूर्व, क.रा.बी.निगम, क.रा.बी. (केन्दीय) नियम, 1950 के नियम 27 के अंतर्गत अतिरिक्त निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश करता था। क.रा.बी.निगम की अतिरिक्त निधियों के निवेश विविधिकरण और बेहतर प्रतिफल के लिए क.रा.बी.निगम द्वारा पोर्टफोलियों प्रबंधकों को नियुक्त किया गया है। पोर्टफोलियों प्रबंधक 01 अप्रैल, 2019 से अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार क.रा.बी.निगम की अतिरिक्त निधि को सरकारी प्रतिभूतियों, बंधपत्र और एएए दर्जे वाले सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम बंधपत्र में निवेश करते रहे हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधकों के अतिरिक्त, अभिरक्षक और बाहय समवर्ती लेखा-परीक्षक (ईसीए) की नियुक्ति भी की गई है। क.रा.बी.निगम वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7.60% ब्याज अर्जन कर चुका है।

दिनांक 31/12/2024 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी.निगम द्वारा किए गए निवेश का संक्षिप्त वर्गीकरण -

(रुपये करोड़ में)

सरकारी प्रतिभूति/बंधपत्र/राज्य विकास ऋण	95,225.63
एएए सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम बंधपत्र + सावधि जमा	30,480.97
त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईवै.सहा.स), अल्पावधि सावधि जमा आदि	06,997.47
भारत सरकार के साथ विशेष जमा खाता (एसडीए)	22.336.40
कुल	**1,55,040.47**

5. राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकाय/सोसाइटी का गठन

क॰रा॰बी॰निगम ने अपनी 167वीं बैठक में राज्य स्वायत्त निकाय के व्यापक ढाँचे का अनुमोदन दिया और बाद में निगम की 172वीं बैठक में क॰रा॰बी॰अधिनियम, 1948 की धारा 58 के अंतर्गत राज्य क॰रा॰बी॰सोसाइटी के नए ढांचे का अनुमोदन दिया है। राज्य, निकाय को संस्था (सोसाइटी) के साथ-साथ न्यास (ट्रस्ट) के रूप में पंजीकृत करेंगे और क॰रा॰बी॰निगम उक्त संस्था को सीधे बैंक खाते में निधि जारी करेगा। अब तक 22 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने राज्य क॰रा॰बी॰सोसाइटी बनाने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने आठ राज्यों जैसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को सोसाइटी के गठन का अनुमोदन दे दिया है। वर्तमान में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में क॰रा॰बी॰सोसाइटी (पुराने स्वरूप में) चल रही हैं। इन राज्यों को निधि का अंतरण सीधे उक्त सोसाइटियों के बैंक खाते में किया जा रहा है।

राज्य क॰रा॰बी॰सोसाइटी के गठन से बीमाकृत व्यक्तियों और क॰रा॰बी॰योजना के लाभार्थियों को बेहतर प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल के माध्यम से चिकित्सा हितलाभ सेवा प्रदान करने में सुधार हेतु राज्यों को अधिक लचीलापन मिलेगा। यह राज्यों पर निर्भर है, जिन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और राज्य विशिष्ट सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अनुसार संस्था को पंजीकृत करना होता है।

क॰रा॰बी॰निगम नियमित रूप से राज्यों को सोसाइटी का गठन करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है, जिससे निम्नलिखित लाभ होंगे :

i. राज्य के राजकोष के जरिए के बजाय निधि की उपलब्धता के संदर्भ में स्वायत्तता देता है।
ii. जब तक नियमित जनशक्ति उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक संविदा पर चिकित्सा जनशक्ति की समय पर नियुक्ति।
iii. राज्य बजट जारी होने की प्रतीक्षा किए बिना बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपूर्ति बिलों का समय पर निपटान।
iv. निधियों की उपलब्धता के कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों और औषधालयों में औषधियों और मरहम-पट्टियों की बेहतर उपलब्धता।
v. सोसायटी द्वारा बेहतर निर्णय लेने के कारण चिकित्सा सेवाओं को उन्नत करने के लिए उपकरण खरीद।
vi. राज्य संचालित अस्पतालों और औषधालयों की मरम्मत और रखरखाव।

6. क.रा.बी.योजना के अंतर्गत प्रदत्त चिकित्सा हितलाभ

क) सामान्य पक्ष :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को अस्पताल में भर्ती करने, उपचार करने, दवा और मरहम-पट्टी, विशेषज्ञ से परामर्श करने और चिकित्सीय देखभाल करने जैसी व्यापक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती है।

बीमाकृत व्यक्ति और उसके आश्रितजन बीमा-योग्य रोजगार में प्रवेश के दिन से चिकित्सा हितलाभ के हकदार होते हैं। बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है, जिसमें रोगियों की आवश्यकता के अनुसार बाह्य रोगी देखभाल/अंतरंग रोगी देखभाल, विशेष चिकित्सा देखभाल और अति विशिष्टता चिकित्सा देखभाल शामिल है। इसके अतिरिक्त आयुष, अर्थात्- आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की चिकित्सा सुविधाएँ भी दी जाती हैं।

अस्पतालों, सेवा-औषधालयों, औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ), विशेषज्ञ केंद्रों, बीमा चिकित्सा व्यवसायी निदानशालाओं और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के साथ टाइ-अप व्यवस्था के एक बड़े बुनियादी अवसंरचना के माध्यम से लाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है, जिसमें चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएँ शामिल हैं। अंतरंग रोगी सेवाएं क.रा.बी.अस्पतालों तथा निजी और सरकारी अस्पतालों के साथ नामिकायन के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना की चिकित्सा अवसंरचना एक नजर में

क.रा.बी.अस्पतालों की कुल संख्या	165
क.रा.बी.निगम द्वारा संचालित अस्पताल	59
राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल	106
औषधालयों की कुल संख्या	1590
औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों की संख्या	107
भारतीय चिकित्सा पद्धति (आइएसएम) इकाइयों की कुल संख्या	394
क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना के अस्पतालों में संस्वीकृत बिस्तरों की कुल संख्या	28540
क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना के अस्पतालों में अधिकृत बिस्तरों की कुल संख्या	21067
चिकित्सकों की कुल संख्या	2615 (क.रा.बी.निगम)
	4114 (क.रा.बी.योजना)
बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की कुल संख्या	770

क.रा.बी.निगम द्वारा स्वयं तथा राज्य सरकारों द्वारा क.रा.बी. योजना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे अस्पतालों की सूची निम्नानुसार है :

(i) क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे संचालित अस्पतालों की सूची

क्रमांक	राज्य का नाम	अस्पताल का नाम	संस्वीकृत बिस्तर	कमीशन बिस्तर
1.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	100	30
2.	असम	बेलतला, गुवाहाटी	85	85
3.	असम	तिनसुकिया	100	20
4.	बिहार	बिहटा	420	330
5.	बिहार	फुलवारीशरीफ, पटना	100	50
6.	चंडीगढ़	रामदरबार, चंडीगढ़	100	70
7.	छत्तीसगढ़	भिलाई	200	0
8.	छत्तीसगढ़	कोरबा	100	0
9.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	100	50
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर	100	50
11.	दिल्ली	बसईदारापुर	1000	670
12.	दिल्ली	झिलमिल	300	250
13.	दिल्ली	ओखला	500	350
14.	दिल्ली	रोहिणी	300	248
15.	गुजरात	अंकलेश्वर	100	100
16.	गुजरात	बापूनगर	300	300
17.	गुजरात	नरोडा	100	50
18.	गुजरात	वापी	100	100
19.	हरियाणा	फरीदाबाद	1150	920
20.	हरियाणा	गुड़गाँव	200	130
21.	हरियाणा	मानेसर	100	100
22.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	100	100
23.	जम्मू एवं कश्मीर	बड़ी ब्रह्मणा	100	50
24.	झारखंड	आदित्यपुर	100	42
25.	झारखंड	नामकुम, रांची	200	50
26.	झारखंड	मैथन	110	0
27.	कर्नाटक	पीण्या	150	150
28.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बैंगलोर	750	580
29.	कर्नाटक	गुलबर्गा	630	550
30.	केरल	आश्रमम, कोल्लम	250	200
31.	केरल	एषुकोण	150	150
32.	केरल	उद्योगमंडल	150	114
33.	मध्य प्रदेश	नंदानगर, इंदौर	300	300

34.	मध्य प्रदेश	भोपाल	100	55
35.	महाराष्ट्र	अंधेरी	500	230
36.	महाराष्ट्र	बिबवेवाड़ी ,पुणे	120	120
37.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	100	30
38.	ओड़िशा	अंगुल	100	50
39.	ओड़िशा	राउरकेला	150	50
40.	पंजाब	लुधियाना	300	300
41.	राजस्थान	अलवर	420	420
42.	राजस्थान	भिवाड़ी	50	50
43.	राजस्थान	जयपुर	300	300
44.	राजस्थान	उदयपुर	100	100
45.	राजस्थान	बीकानेर	30	30
46.	राजस्थान	कोटा	60	60
47.	तमिलनाडु	के.के.नगर, चेन्नै	1000	1000
48.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	100	100
49.	तमिलनाडु	तिरुपुर	100	20
50.	तेलंगाना	सनतनगर	1000	800
51.	तेलंगाना	एसएस सनथनगर	150	141
52.	उत्तर प्रदेश	बरेली	100	50
53.	उत्तर प्रदेश	जाजमऊ, कानपुर	100	42
54.	उत्तर प्रदेश	सरोजिनी नगर, लखनऊ	150	75
55.	उत्तर प्रदेश	नोएडा	350	350
56.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	200	150
57.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	150	150
58.	उत्तराखंड	रुद्रपुर	100	68
59.	पश्चिम बंगाल	जोका	650	510

(ii) क.रा.बी. योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों की सूची :

क्रमांक	**राज्य का नाम**	**अस्पताल का नाम**	**संस्वीकृत बिस्तर**	**कमीशन बिस्तर**
1.	आंध्र प्रदेश	राजमहेंद्रवरम	100	30
2.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	50	50
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	110	50
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	200	125
5.	बिहार	डालमिया नगर	72	गैर कार्यात्मक
6.	बिहार	मुंगेर	30	गैर कार्यात्मक
7.	गोवा	मार्गो	100	56
8.	गुजरात	भावनगर	30	30
9.	गुजरात	जामनगर	50	50
10.	गुजरात	कलोल	150	40
11.	गुजरात	राजकोट	50	50

12.	गुजरात	राजपुर,हीरपुर	50	50
13.	गुजरात	सूरत	200	22
14.	गुजरात	बड़ोदरा (जनरल अस्पताल)	200	200
15.	गुजरात	बड़ोदरा (छाती रोग अस्पताल)	25	गैर कार्यात्मक
16.	हरियाणा	बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)	50	50
17.	हरियाणा	भिवानी	50	50
18.	हरियाणा	जगाधरी	80	74
19.	हरियाणा	पानीपत	75	75
20.	हिमाचल प्रदेश	परवाणू	50	50
21.	कर्नाटक	बेलगाम	100	0
22.	कर्नाटक	दाडेली	25	25
23.	कर्नाटक	दावनगेरे	100	50
24.	कर्नाटक	हुबली	100	50
25.	कर्नाटक	इंदिरा नगर	270	210
26.	कर्नाटक	मंगलौर	100	100
27.	कर्नाटक	मैसूर	100	60
28.	कर्नाटक	शाहबाद	25	गैर कार्यात्मक
29.	केरल	अल्लेप्पी	55	55
30.	केरल	एर्नाकुलम	100	65
31.	केरल	फेरोके	100	100
32.	केरल	मुलमकुन्नाथुकावु	110	90
33.	केरल	ओलारिक्कारा	102	102
34.	केरल	पलक्कड़	50	50
35.	केरल	पेरूरकाडा	128	128
36.	केरल	थोट्टाडा	50	50
37.	केरल	वेदवथूर	65	65
38.	मध्य प्रदेश	देवास	50	50
39.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	100	100
40.	मध्य प्रदेश	इंदौर (टीबी)	75	36
41.	मध्य प्रदेश	नागदा	50	0
42.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	50	15
43.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	100	100
44.	महाराष्ट्र	चिंचवाड	100	100
45.	महाराष्ट्र	कांदिवली	300	230
46.	महाराष्ट्र	एमजीएम	330	120
47.	महाराष्ट्र	मुलुंड	400	200
48.	महाराष्ट्र	नागपुर	200	130
49.	महाराष्ट्र	नासिक	100	100
50.	महाराष्ट्र	शोलापुर	150	100
51.	महाराष्ट्र	ठाणे	100	50
52.	महाराष्ट्र	उल्हासनगर	100	0

53.	महाराष्ट्र	वाशी	100	50
54.	महाराष्ट्र	वर्ली	300	85
55.	ओड़िशा	भुवनेश्वर	100	100
56.	ओड़िशा	चौद्वार	100	79
57.	ओड़िशा	जयकापुर	25	25
58.	ओड़िशा	कंसबहाल	50	50
59.	ओड़िशा	ब्रजराजनगर	50	गैर कार्यात्मक
60.	ओड़िशा	बारबिल	6	गैर कार्यात्मक
61.	पुदुचेरी	गोरीमेदु अस्पताल	75	75
62.	पंजाब	अमृतसर	125	65
63.	पंजाब	होशियारपुर	50	50
64.	पंजाब	जालंधर	100	100
65.	पंजाब	मंडीगोबिंदगढ़	30	02
66.	पंजाब	मोहाली	30	30
67.	पंजाब	फगवाड़ा	50	50
68.	राजस्थान	भीलवाड़ा	50	30
69.	राजस्थान	जोधपुर	50	25
70.	राजस्थान	पाली	50	20
71.	तमिलनाडु	अयनावरम, चेन्नै	616	466
72.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर (सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय)	506	506
73.	तमिलनाडु	होसुरे	50	50
74.	तमिलनाडु	मदुरै	209	209
75.	तमिलनाडु	सलेम	50	50
76.	तमिलनाडु	शिवकाशी	100	100
77.	तमिलनाडु	तिरुचरापल्ली	50	50
78.	तमिलनाडु	वेल्लोर	50	50
79.	तेलंगाना	नाचराम	450	272
80.	तेलंगाना	आर.सी.पुरम	100	100
81.	तेलंगाना	सिरपुरकागरनगर	62	62
82.	तेलंगाना	वारंगल	50	50
83.	तेलंगाना	निज़ामाबाद (डायग्नोस्टिक सेंटर)	20	20
84.	उत्तर प्रदेश	आगरा	100	50
85.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	60	30
86.	उत्तर प्रदेश	आजादनगर	100	100
87.	उत्तर प्रदेश	किदवई नगर	100	70
88.	उत्तर प्रदेश	मोदीनगर	124	100
89.	उत्तर प्रदेश	पांडुनगर	312	130
90.	उत्तर प्रदेश	पिपरी	60	60
91.	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	100	100
92.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	50	15

93.	उत्तर प्रदेश	सर्वोदयनगर	144	48
94.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	150	100
95.	पश्चिम बंगाल	बाल्टिकुरी	230	149
96.	पश्चिम बंगाल	बंदेल	250	181
97.	पश्चिम बंगाल	बेल्लूर बेली	200	90
98.	पश्चिम बंगाल	बज-बज	300	296
99.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	150	150
100.	पश्चिम बंगाल	गौरहाटी	216	216
101.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी	250	245
102.	पश्चिम बंगाल	कमरहाटी	350	266
103.	पश्चिम बंगाल	माणिकटोला	422	392
104.	पश्चिम बंगाल	सियालदह	254	95
105.	पश्चिम बंगाल	श्रीरामपुर	216	162
106.	पश्चिम बंगाल	उलुबेरिया	216	178

ख) प्राथमिक देखभाल

(i) सेवा औषधालय

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल अपेक्षाकृत बड़े औषधालयों में आवश्यक प्रयोगशाला जांच सहित बाह्य-रोगी चिकित्सा सेवा प्रणाली अर्थात योजना के अंतर्गत स्थापित ऐसे औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है, जो विशेष रूप से बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के लिए ही बनी होती हैं तथा इनमें प्रायः पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी तैनात होते हैं।

(ii) **औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.)**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 29 मई 2018 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में यह निर्णय किया कि सभी अधिसूचित जिलों में एक औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) खोला जाएगा, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सीधे संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही वर्तमान प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के प्रतिपूरक के रूप में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय की योजना बनाई गई है ताकि ऐसी प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता तथा संख्या में वृद्धि की जा सके। एक औषधालय-सह-शाखा-कार्यालय, औषधालय तथा शाखा कार्यालय दोनों के कार्य निष्पादित करेगा। औषधालय-सह-शाखा-कार्यालय में आने वाले रोगी को औषधियां देने के साथ-साथ यह बीमा चिकित्सा व्यवसायी/नियोक्ता उपयोग औषधालय द्वारा अभिनिर्देशित रोगियों को भी औषधियों का वितरण करेगा। औषधालय-सह-शाखा-कार्यालय की स्थापना और संचालन का 100% वहन क॰रा॰बी॰निगम द्वारा किया जाएगा और संबंधित राज्य इस शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय वहन नहीं करेंगे।

औषधालय सह शाखा कार्यालयों (डी.सी.बी.ओ.) का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**राज्य**	**राज्यवार डीसीबीओ की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	01
2	आंध्र प्रदेश	04
3	अरुणाचल प्रदेश	01
4	असम	01
5	बिहार	12
6	चंडीगढ़ (प्रशासन)	00
7	छत्तीसगढ़	01
8	दिल्ली	00
9	गोवा	00
10	गुजरात	03
11	हरियाणा	02
12	हिमाचल प्रदेश	01
13	जम्मू व कश्मीर (यूटी)	05
14	झारखंड	07
15	कर्नाटक	06
16	केरल	02
17	लद्दाख	01
18	मध्य प्रदेश	09
19	महाराष्ट्र	22
20	मणिपुर	01
21	मेघालय	00
22	मिजोरम	00
23	नगालैंड	00
24	ओड़िशा	01
25	पुडुचेरी (यूटी)	00
26	पंजाब	03
27	राजस्थान	07
28	सिक्किम	00
29	तमिलनाडु	01
30	तेलंगाना	10
31	त्रिपुरा	00
32	उत्तर प्रदेश	02
33	उत्तराखंड	00
34	पश्चिम बंगाल	04
	कुल	107

iii) अस्पताल बाह्य रोगी विभाग :

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के देश भर में फैले तंत्र के माध्यम से मेडिसिन, शल्य-चिकित्सा, बाल चिकित्सा, स्त्री एवं प्रसूति रोग, कान-नाक-गला, नेत्र, हृदय विज्ञान, वृक्कविज्ञान, तंत्रिकाविज्ञान, मूत्रविज्ञान, सी.टी.वी.एस. इत्यादि जैसे विशिष्टता तथा अतिविशिष्टता चिकित्सा हेतु बाह्य रोगी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

iv) अतिरिक्त प्राथमिक देखभाल व्यवस्था :

सामान्यतः, नए कार्यान्वित/मौजूदा क्षेत्रों में जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अपनी आधारभूत अवसंरचना नही हैं, वहाँ बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी) अथवा नियोक्ता उपयोग औषधालय (ईयूडी) के नामिकायन के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाई जाती है।

क) बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी) :- निजी चिकित्सा व्यवसायियों को नामिकागत चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया जाता है। नामिकागत चिकित्सक से यह अपेक्षित है कि उनके पास खुद का परामर्श कक्ष तथा औषधालय हो। प्रत्येक नामिकागत चिकित्सक को 2000 बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई तक का पंजीकरण करने की अनुमति होती है। दिनांक 08 सितंबर 2016 से कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा जिसमें परामर्श, आधारभूत प्रयोगशाला जांच और औषधि की कीमत भी शामिल है, उपलब्ध करवाने के लिए नामिकायन प्रणाली में बीमा चिकित्सा व्यवसायी (**आइएमपी**) को प्रति व्यक्ति शुल्क (₹500/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष) का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीमा चिकित्सा व्यवसायी योजना को और आकर्षक बनाने के लिए, दिनांक 29.05.2018 को आयोजित क॰रा॰बी॰निगम की 174वीं बैठक में इसमें संशोधन कर आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (**आइएमपी**) योजना शुरू की गई।

बीमा चिकित्सा व्यवसायियों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	राज्य	राज्यवार आईएमपी की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	00
2.	असम	16
3.	बिहार	17
4.	चंडीगढ़ (प्रशासन)	00
5.	छत्तीसगढ़	07
6.	दिल्ली	00
7.	गोवा	01
8.	गुजरात	00
9.	हरियाणा	00
10.	हिमाचल प्रदेश	00
11।	जम्मू व कश्मीर (यूटी)	00
12.	झारखंड	09
13.	कर्नाटक	00
14.	केरल	00
15.	मध्य प्रदेश	02
16.	महाराष्ट्र	502
17.	मणिपुर	03
18.	मेघालय	00
19.	मिजोरम	00

20.	नगालैंड	00
21.	ओड़िशा	09
22.	पुदुच्चेरी (यूटी)	00
23.	पंजाब	00
24.	राजस्थान	05
25.	सिक्किम	00
26.	तमिलनाडु	04
27.	तेलंगाना	00
28.	त्रिपुरा	00
29.	उत्तर प्रदेश	19
30.	उत्तराखंड	00
31.	पश्चिम बंगाल	176
	कुल	770

ख) नियोक्ता उपयोगन औषधालय (ई॰यू॰डी॰) : ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ नियोक्ता की खुद की व्यवस्था हो या वह नियोक्ता उपयोगन औषधालय (ई॰यू॰डी॰) के रूप में अपने खुद की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सहमत हो तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई के आधार पर नियोक्ता को प्रति व्यक्ति शुल्क प्रतिवर्ष का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नियोक्ता अपने परिसर में औषधालय खोलता है तथा अपने प्रतिष्ठान के कामगारों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाता है तथा उसे ₹450/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष के आधार पर भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता उपयोगन औषधालय (ई॰यू॰डी॰) योजना को और आकर्षक बनाने के लिए दिनांक 16 फरवरी, 2018 को आयोजित क॰रा॰बी॰निगम की 173वीं बैठक में आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय योजना में परिशोधन किया गया है और इसकी शुरूआत की गई है।

ग) द्वितीयक चिकित्सा देखभाल : देश भर में फैले 165 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की एक श्रृंखला के माध्यम से अंतरंग रोगी चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं जिनमें 59 सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पताल और 106 राज्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल शामिल हैं, जिनकी कुल बिस्तर संख्या 28540 है। जो सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं, वे सेवाएं प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों के साथ नकद रहित टाइ-अप व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

घ) तृतीयक चिकित्सा देखभाल : कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त पूरे भारत में सार्वजनिक/निजी अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क के साथ सभी अतिविशिष्टता उपचार के लिए व्यापक टाइ-अप व्यवस्था की गई है।

ङ) चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान की विशेषताएं : आमतौर पर, नए कार्यान्वित/मौजूदा क्षेत्रों में जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास अपनी अवसंरचना नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल सेवाएं बीमा चिकित्सा व्यवसायियों (आई॰एम॰पी॰) या नियोक्ता उपयोगन औषधालय (ई॰यू॰डी॰) के नामिकायन के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

च) नामिकागत अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था के प्रावधान : कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभार्थियों को उनके निवास के 10 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल/औषधालयों की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 07.12.2020 को आयोजित अपनी 183वीं बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को रेफरल के बिना सीधे निकट के नामिकागत अस्पताल से चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति दी है।

छ) आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना) के माध्यम से चिकित्सा उपचार की सुविधा : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 08.10.2024 को आयोजित अपनी 194वीं निगम बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल सेवाएं जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उपलब्ध नहीं हैं, प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी वै.सहा.म-जेएवाई) योजना के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अखिल भारतीय अभिसरण को अनुमोदन दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (वै.सहा.म-जेएवाई) के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए जिसमें पूरे भारत में फैले 30,000 से अधिक नामिकागत अस्पताल शामिल हैं, यह एकीकरण बीमाकृत कामगारों और उनके परिवारों के लिए एक सुदृढ़ स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।

ज) सामान्य सहायता मिशन (सी.एस.एम.) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामान्य सहायता मिशन (सीएसएम) तैयार किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करके मौजूदा कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना तथा सुविधाओं में सुधार के लिए जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। सामान्य सहायता मिशन (सीएसएम) टीमों ने 14 राज्यों का दौरा किया है, जिनमें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, गोवा और राजस्थान शामिल हैं।

झ) राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एच.) और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी चिकित्सा सुविधाओं में शुद्ध गुणवत्ता मानकों को लागू करके प्रीमियम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए दृढ़ता प्रकट करता है। उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण मान्यता उपलब्धियों से प्रमाणित होती है :

- **1 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ने पूर्ण रुप से राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एच.) मान्यता** प्राप्त कर ली है, जो स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है।

- **12 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों ने राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एच.) प्रवेश-स्तरीय मान्यता** प्राप्त कर ली है, जो व्यापक गुणवत्ता प्रमाणन की दिशा में उनकी प्रगति को दर्शाता है।

- **8 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों** ने अपनी प्रयोगशाला सेवाओं के लिए **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) प्रवेश-स्तर की मान्यता** प्राप्त की है जिससे सटीक और विश्वसनीय नैदानिक क्षमताएं सुनिश्चित होती हैं।

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्राधिकरणों से प्राप्त ये प्रमाणीकरण हमारी निरंतर गुणवत्ता सुधार पहलों को विधिमान्य करते हैं तथा लाभार्थियों को विश्वस्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के हमारे वादे को दर्शाते हैं जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों (बेंचमार्क) के अनुरूप है।

ञ) सेवा स्तर मानकों (बेंचमार्क) का कार्यान्वयन : कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के समग्र सुधार के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सेवा स्तरीय मानकों को कार्यान्वित किया है। ये मानक निर्बाध कार्यनिष्पादन सूचकों, सेवा गुणवत्ता मापदंड, रोगी संतुष्टि मानदंड और नैदानिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। निरंतर, उच्च-गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह पहल कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभार्थियों के लिए प्रोटोकॉल अनुपालन, निरंतर सुधार और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों का समर्थन करती है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में उत्कृष्टता के प्रति कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

ट) प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यान्वयन :- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी अवसंरचना के भीतर प्रधानमंत्री गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान (वै.सहा.मजीएस-एनएमपी) को लागू किया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय (एम॰ओ॰एल॰ई॰) के अधीन पहला संगठन है जिसने प्रधानमंत्री गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान (वै.सहा.मजीएस-एनएमपी) लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्ता सुधार और व्यवस्थित डेटा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस॰ओ॰पी॰) विकसित की है।

- **मुख्य उपलब्धियां :**
    - 12 महत्वपूर्ण अवसंरचना डेटा स्तरों (लेयर) की पहचान की गई।
    - उच्च परिशुद्धता के साथ 10 प्राथमिकता स्तरों (लेयर) को सफलतापूर्वक मैप किया गया है।
    - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को विशेषीकृत मैपिंग के लिए शेष डेटा प्रस्तुत किया गया।
    - निर्बाध एकीकरण के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ सक्रिय समन्वय बनाए रखा जाता है।

यह पहल कर्मचारी राज्य बीमा निगम को राष्ट्रीय अवसंरचना योजना में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करती है, साथ ही लाभार्थियों के लिए सेवा सुलभता को बढ़ाती है।

ठ) वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जाँच शिविर : - कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क्षेत्रीय इकाइयों के साथ वार्षिक स्वास्थ्य जाँच शिविरों के आयोजन में सक्रिय रूप से समन्वय किया। पूरे वर्ष में लगभग 1,87,700 वार्षिक स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए गए। बीमाकृत व्यक्तियों के लिए मिशन मोड में वार्षिक स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए गए, जो हमारे लाभार्थियों के लिए दूरगामी स्वास्थ्य लाभों वाली एक सफल स्वास्थ्य पहल थी। 15 अगस्त 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक मिशन मोड के तहत लगभग 3,50,000 (तीन लाख पचास हज़ार) स्वास्थ्य जाँच शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

ड) ई-संजीवनी (टेली-परामर्श) :- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सी-डैक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम नेटवर्क के अंतर्गत टेलीपरामर्श सेवाओं के लिए एक अभिनव हब और स्पोक मॉडल प्रस्तुत किया है।

- **मॉडल संरचना :**
    - औषधालय "स्पोक" के रूप में कार्य करते हैं, और अस्पताल केंद्रीय "हब" के रूप में कार्य करते हैं।
    - औषधालयों में रोगियों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से अस्पताल-आधारित विशेषज्ञों से दूरस्थ विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त होता है।
    - औषधालय के चिकित्सक इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, तथा नैदानिक संदर्भ और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
    - परामर्श के तुरंत बाद दवाइयां औषधालय में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं।
- **मुख्य लाभ :**
    - इससे मरीजों का आना-जाना कम होता है और अस्पताल की बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में भीड़ कम होती है।
    - विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में समय पर विशेषज्ञ पहुंच को बढ़ावा मिलता है।
    - देखभाल की निरंतरता और संसाधन दक्षता को बढ़ाता है।

इसके अलावा, रोगी इस टेलीपरामर्श मॉड्यूल के माध्यम से सीधे चिकित्सकों से भी परामर्श ले सकते हैं। यह डिजिटल स्वास्थ्य पहल प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग के माध्यम से सुलभ, रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

7. क.रा.बी.निगम अस्पताल एवं क.रा.बी.औषधालयों की स्थापना

(i) सामान्य नीति :-

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय की स्थापना के लिए मौजूदा कर्मचारी राज्य बीमा निगम मानदंडों के अनुसार, 02-चिकित्सक औषधालय के लिए न्यूनतम 3000 बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या, 03 चिकित्सक औषधालय के लिए 5000 बीमाकृत व्यक्ति संख्या और 05 चिकित्सक औषधालय के लिए 10000 बीमाकृत व्यक्तिय संख्या की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की 163वीं बैठक में यथा अनुमोदित किए जाने के बाद तदनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना के लिए निम्नलिखित मानदंड मौजूद हैं :

क्र.सं.	बिस्तरों की संख्या	ग्रहण क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या
1.	100 बिस्तरों वाला अस्पताल	50,000
2.	150 बिस्तरों वाला अस्पताल	1,00,000
3.	200 बिस्तरों वाला अस्पताल	1,50,000
4.	250 बिस्तरों वाला अस्पताल	2,00,000
5.	300 बिस्तरों वाला अस्पताल	2,50,000
6.	350 बिस्तरों वाला अस्पताल	3,00,000
7.	400 बिस्तरों वाला अस्पताल	3,50,000
8.	500 बिस्तरों वाला अस्पताल	4,00,000
9.	600 बिस्तरों वाला अस्पताल	5,00,000

बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या को 25 किमी के दायरे में लिया जाना चाहिए और 50 किमी के दायरे में कोई अन्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल नहीं होना चाहिए। यदि 50 किमी के भीतर एक और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल है, तो प्रत्येक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को संबंधित ग्रहण क्षेत्रों में इन मानदंडों को पूरा करना चाहिए (उदाहरण के लिए, यदि दो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल 40 किमी की दूरी पर हैं, तो प्रत्येक अस्पताल को 20 किमी के दायरे में इन मानदंडों को पूरा करना चाहिए)।

इसके अतिरिक्त, पूरे भारत को व्याप्त करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम विस्तार योजना के अनुरूप पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 18/19 जून, 2022 को आयोजित अपनी 188वीं बैठक के दौरान देश भर में भविष्य की बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या और भौगोलिक आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों को और अद्यतन करने के लिए मंजूरी दे दी है जो कि निम्नानुसार है :

(i) वर्तमान बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या पर विचार करने के बजाय, अस्पतालों के मामले में आगामी 05 वर्षों में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या की अनुमानित भविष्य की संख्या और औषधालयों के मामले में 03 वर्षों के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है। नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की स्थापना के लिए शेष शर्तें वही रखी जाएं जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 163वीं बैठक में अनुमोदित की गई थीं।

(ii) गैर-अधिसूचित जिलों या आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों के गैर-अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में, बीमाकृत व्यक्ति के बजाय व्याप्ति-योग्य कर्मचारियों की संख्या के आधार पर नए औषधालय स्थापित किए जा सकते हैं, जैसा

कि कार्यान्वयन-पूर्व सर्वेक्षण आंकड़ों के दौरान पता लगाया गया है, ताकि नए क्षेत्रों में कार्यान्वयन से पहले चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

(iii) आंशिक रूप से कार्यान्वित और गैर-कार्यान्वित जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए, यदि कोई स्थान (गैर-कार्यान्वित क्षेत्र) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय की स्थापना के लिए मानदंडों/मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो क्षेत्रीय निदेशक/राज्य सरकार प्राथमिक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मानदंडों के अनुसार बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी), संशोधित-बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आइएमपी), संशोधित नियोक्ता उपयोग औषधालय (एमईयूडी) के नामिकायन के माध्यम से तथा द्वितीयक देखभाल चिकित्सा सेवाओं के लिए सार्वजनिक/निजी अस्पतालों के साथ और/या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ टाइ-अप व्यवस्था कर सकते हैं।

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना के लिए न्यूनतम 15000 बीमाकृत व्यक्तियों के मानदंड पहले के अनुसार लागू रहेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क॰रा॰बी॰योजना के अंतर्गत चिकित्सीय अवसंरचना की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**राज्य**	**क.रा.बी.योजना के कार्यान्वयन की तिथि**	**संख्या**		
			अस्पताल	**औषधालय**	**बीमा चिकित्सा व्यवसायी**
1	अरुणाचल प्रदेश	01.11.2020	-	1(औषधालय-सह-शाखा कार्यालय)	-
2	असम	28.09.1958	2	26 + 1(औषधालय-सह-शाखा कार्यालय)	16
3	मणिपुर	01.06.2018	-	1(औषधालय-सह-शाखा कार्यालय)	-
4	मेघालय	28.09.1980	-	2	-
5	मिजोरम	01.12.2015	-	1	-
6	नागालैंड	01.03.2008	-	3	-
8	त्रिपुरा	01.01.2009	-	6	-

8. व्यवसायजन्य रोग केन्द्र (ओडीसी)

क॰रा॰बी॰निगम ने व्यावसायिक स्वास्थ्य से जुड़े निवारक और प्रोत्साहक उपायों के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, व्यावसायिक रोग की पूर्व पहचान और त्वरित उपचार के लिए बसईदारापुर में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान (आइओएचईआर) तथा छह आंचलिक व्यवसायजन्य रोग केंद्र स्थापित किए हैं। ये संस्थान निम्नवत हैं :-

1.	क॰रा॰बी॰निगम अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली (आइओएचईआर)	उत्तरी अंचल
2.	क॰रा॰बी॰निगम अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय, के.के.नगर, चेन्नै	दक्षिणी अंचल
3.	क॰रा॰बी॰निगम अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय, जोका, कोलकाता	पूर्वी अंचल
4.	क॰रा॰बी॰निगम अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय, बिहटा, बिहार	पूर्वी अंचल
5.	क॰रा॰बी॰निगम अस्पताल, अंधेरी, मुम्बई	पश्चिमी अंचल
6.	क॰रा॰बी॰निगम अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान	पश्चिमी अंचल
7.	क॰रा॰बी॰निगम अस्पताल, नंदानगर, इंदौर	मध्य अंचल

9. **चिकित्सा देखभाल पर व्यय**

राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष प्रति बीमाकृत व्यक्ति ₹3000/- उच्चतम दर पर प्रतिपूर्त्ति की जा रही है। ₹3000/- की व्यापक उच्चतम सीमा के अंतर्गत विभिन्न उप उच्चतम सीमा निम्नानुसार है :

क) चिकित्सा देखभाल व्यय के लिए पात्रता ₹2150/- की पूर्व सीमा से बढ़ाकर ₹2,600/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष करते हुए ''प्रशासन'' शीर्ष के अंतर्गत व्यय की अधिकतम उप सीमा ₹1300/- कर दी गई है।

ख) परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) के अंतर्गत व्यय करने के लिए ₹200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की पात्रता है।

ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य क॰रा॰बी॰अस्पतालों और औषधालयों में क॰रा॰बी॰निगम धनवंतरी मॉड्यूल के कार्यान्वयन की सीमा के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रतिवर्ष ₹200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति की पात्रता है।

इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन के रूप में 200/-रू. प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की अतिरिक्त पात्रता है जहां सभी राज्य क॰रा॰बी॰अस्पतालों में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बिस्तर अधिभोग 70% से अधिक है और 3,000/-रू. की उच्चतम सीमा से ऊपर निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय के लिए प्रतिवर्ष 20/-रू. प्रति बीमाकृत व्यक्ति की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
इसके अतिरिक्त अतिविशिष्टता उपचार (नैदानिकी सहित) पर होने वाला व्यय क॰रा॰बी॰निगम द्वारा वहन किया जा रहा है।

10. चिकित्सा शिक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने देश भर में चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं स्थापित की हैं, जिनमें चिकित्सा महाविद्यालय, दंत्य महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और पराचिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में वर्ष 2010 में संशोधन किया गया और 'चिकित्सा और परा-चिकित्सा शिक्षा' से संबंधित धारा 59-ख अंतर्विष्ट की गई जिससे निगम अपने परा-चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने में सक्षम हुआ।

- **चिकित्सा शिक्षा का औचित्य:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है: (1) लाभार्थियों की सेवा के लिए अल्प योग्य चिकित्सा जनशक्ति का संवर्धन (2) अनुसंधान करना-विशेष रूप से व्यवसाय-जन्य रोगों पर तथा चिकित्सकों एवं परा-चिकित्सकों को प्रशिक्षण देना और (3) समावेशिता को बढ़ावा देना क्योंकि चिकित्सा महाविद्यालयों में बीमाकृत व्यक्तियों/कामगारों की संतान के लिए निर्दिष्ट सीटें उद्दिष्ट की जाती हैं। गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए आंतरिक उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना जिससे रोगी संतुष्टि में वृद्धि हो।

	संस्थानों की सूची	**स्थापना का वर्ष**	**संस्वीकृत बिस्तर**
क.	**चिकित्सा महाविद्यालय (स्थापना का वर्ष)**		
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, राजाजीनगर, बैंगलोर	2012	750
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, केके नगर, चेन्नै	2013	1000
3.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, जोका, कोलकाता	2013	650
4.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, गुलबर्गा, कर्नाटक	2013	630
5.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा	2015	1150
6.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, सनथनगर, हैदराबाद	2016	1000
7.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, अलवर, राजस्थान	2021	430
8.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, बिहटा - पटना, बिहार	2021	430
ख.	**स्नातकोत्तर संस्थान**		
1.	क.रा.बी.-पीजीआईएमएसआर बसईदारापुर दिल्ली	2011	1000
2.	क.रा.बी.-पीजीआईएमएसआर अंधेरी, मुंबई	2011	500
ग.	**दंत्य महाविद्यालय**		
1.	क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय, रोहिणी, दिल्ली	2010	
2.	क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय, गुलबर्गा, कर्नाटक	2017	
घ.	**नर्सिंग महाविद्यालय**		
1.	नर्सिंग महाविद्यालय, इंदिरानगर, बैंगलोर	2013	
2.	नर्सिंग महाविद्यालय, गुलबर्गा, कर्नाटक	2013	
ङ.	**परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम/संस्थान**		
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, गुलबर्गा, कर्नाटक	2019	
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, केके नगर, चेन्नै	2024	
3.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, सनथनगर, हैदराबाद	2024	

क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय 2024-25

क्र.सं.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय	संस्वीकृत बिस्तर	एमबीबीएस सीट	आई पी वार्ड
1.	राजाजीनगर, बैंगलोर	750	**150**	**68**
2.	केके नगर, चेन्नै	1000	**150**	**30**
3.	जोका, कोलकाता	650	**125**	**65**
4.	गुलबर्गा, कर्नाटक	630	**150**	**68**
5.	फरीदाबाद, हरियाणा	1150	**125**	**43**
6.	सनथनगर, हैदराबाद	1150	**125**	**43**
7.	अलवर, राजस्थान	420	**100**	**20**
8.	बिहटा - पटना, बिहार	420	**100**	**35**
		कुल	**1025**	**372**

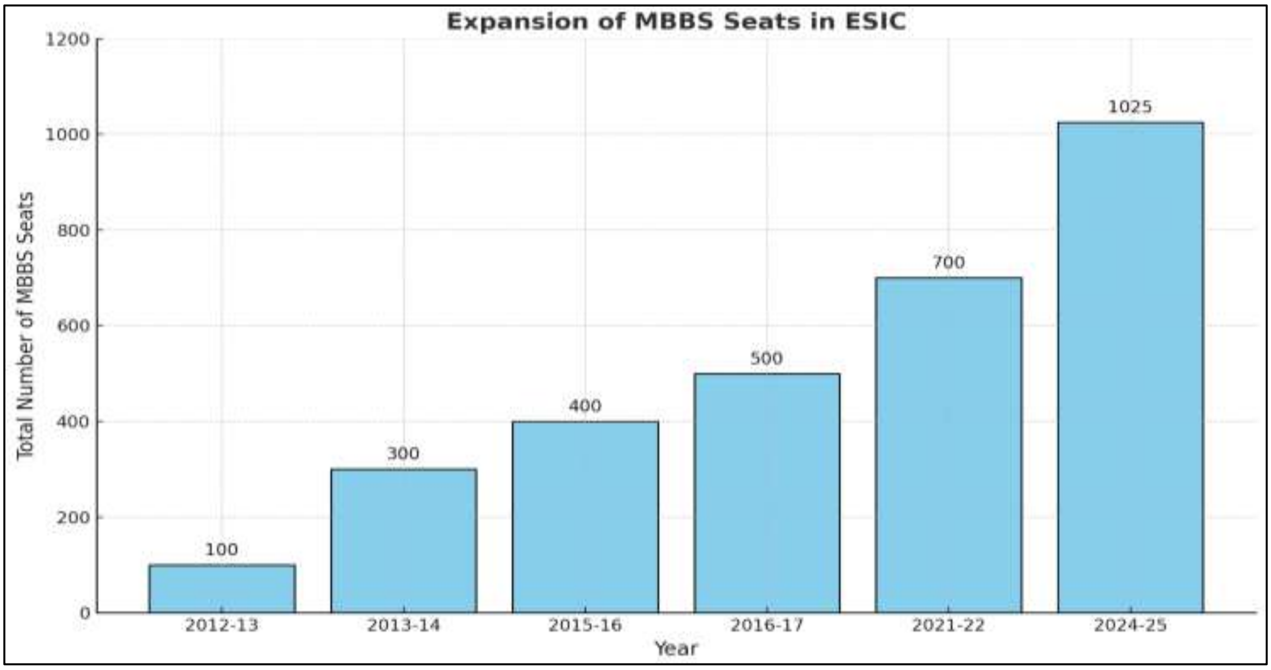

राज्य को सौंपे गए चिकित्सा महाविद्यालय 2024-25 :

क्रम सं.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय	एमबीबीएस सीटें	आईपी वार्ड
1.	कोयम्बतूर, तमिलनाडु	100	20
2.	मंडी, हिमाचल प्रदेश	120	36
3.	कोल्लम, केरल	110	38
	कुल	**330**	**94**

क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय

क्रम सं.	क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय	बीडीएस सीटें	आईपी वार्ड
1.	रोहिणी	62	-
2.	गुलबर्गा	62	28
कुल		**124**	**28**

स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों पर एक नज़र :

क्रम सं.	कोर्स	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	एमडी/एमएस	123	259	275	394	506
2.	एनबीईएमएस : डीएनबी/ डिप्लोमा			81	109	100
3.	सुपर-स्पेशलिटी : डीएम/ एमसीएच	-	-	04	31	*31
4.	सुपर-स्पेशलिटी : डॉ. एन बी	-	-	-	16	*16

सुपर-स्पेशलिटी सीटें : मूल्यांकन वर्ष 2024-25

क	सुपर-स्पेशलिटी :डीएम/एमसीएच	क.रा.बी.निगम बसईदारापुर	क.रा.बी.निगम चि.आ. फरीदाबाद	क.रा.बी.निगम चि.आ. सनथनगर
1.	डीएम पल्मोनोलॉजी	4		
2.	डीएम कार्डियोलॉजी		2	
3.	डीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन		3	
4.	एम.सीएच. - बाल चिकित्सा सर्जरी		2	3
5.	एम.सीएच. - न्यूरो सर्जरी		2	3
6.	एम.सीएच. - कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी			3
7.	एम.सीएच. - यूरोलॉजी			3
8.	एम.सीएच. - प्लास्टिक सर्जरी		3	3
		4	12	15
कुल		**(15+12+4)31**		

ख	सुपर-स्पेशलिटी : एनबीईएमएस 2024-25	क.रा.बी.निगम चि.आ. फरीदाबाद	क.रा.बी.निगम चि.आ. सनथनगर	क.रा.बी.निगम चि.आ. राजाजी नगर
1.	डॉएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी	03	03	
2.	डॉएनबी रुमेटोलॉजी		02	
3.	डॉएनबी एंडोक्रिनोलॉजी		02	
4.	डॉ.एनबी नेफ्रोलॉजी		02	
5.	डॉएनबी न्यूरोलॉजी		02	
6.	डॉ.एनबी यूरोलॉजी			02
		03	11	02
कुल		**(2+11+3)16**		

<u>स्नातकोत्तर सीटें (एमडी/एमएस) मूल्यांकन वर्ष 2024-25</u>

विषय	फरीदाबाद	जोका	गुलबर्गा	सनथ नगर	राजाजी नगर	केके नगर	बसईदारापुर	कुल
शरीर रचना	3	0	5	5	5	2	0	22
शरीर क्रिया विज्ञान	3	0	5	5	7	2	0	22
जीव रसायन	4	0	4	3	4	2	0	17
विकृति विज्ञान	3	4	6	4	4	2	3	26
कीटाणु-विज्ञान	3	0	4	3	4	2	2	18
औषध	3	4	3	3	5	0	0	18
एफएमटी	2	0	0	0	0	3	0	05
सामुदायिक चिकित्सा	3	0	4	0	6	2	0	15
सामान्य दवा	8	5	6	8	6	11	4	48
बच्चों की दवा करने की विद्या	5	2	3	2	6	4	5	27
मनोचिकित्सा	2	0	0	2	0	5	0	09
त्वचा विज्ञान	1	0	0	3	0	5	5	14
श्वसन औषधि	2	0	0	3	0	5	0	10
जनरल सर्जरी	8	0	5	4	12	11	8	48
हड्डी रोग	2	3	5	3	2	10	8	33
रेडियोडायगनोसिस	5	0	0	5	2	0	0	12

ओटोरहिनोलैरिंगोलॉजी	3	1	3	2	0	5	0	14
नेत्र विज्ञान	3	0	2	4	0	3	5	17
प्रेक्षण एवं स्त्री रोग	8	6	4	2	9	4	8	41
अनेस्थिसियोलॉजी	7	5	5	4	10	11	6	48
इम्यूनोहेमेटोलॉजी और रक्त आधान	2	0	0	0	2	0	0	02
निवारक सामाजिक चिकित्सा	0	1	0	3	0	0	0	04
आधान चिकित्सा	2	0	0	5	0	0	0	07
आपातकालीन दवा	4	0	0	5	2	5	0	14
शारीरिक चिकित्सा पुनर्वास	3	0	0	5	0	5	0	08
	87	**31**	**64**	**83**	**88**	**99**	**54**	**506**

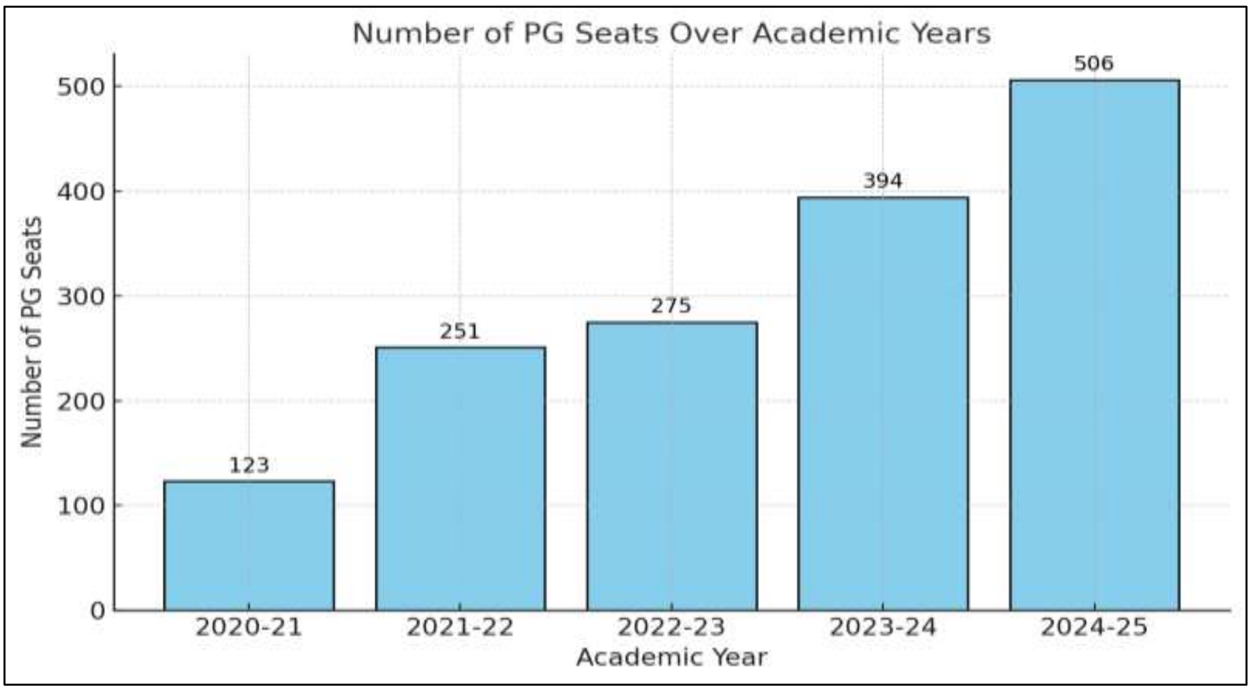

स्नातकोत्तर सीटें : एनबीईएमएस : पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सहित

डीएनबी 2024															
		बापू नगर	**इंदौर**	**जयपुर**	**झिलमिल**	**लुधियाना**	**नोएडा**	**ओखला**	**डीसी-रोहिणी**	**वाराणसी**	**बिहटा**	**सनतनगर**	**कुल**		
		कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	अखिल भारतीय	सेवा में	**कुल**
पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी	अनेस्थिसियोलॉजी		1		1			1					0	3	3
	सामान्य दवा		2	2	2		2	2			0		5	5	10
	जनरल सर्जरी		2	2			1				2		4	3	7
	ओबीजीवाई	1		1			1	1	1				3	2	5
	नेत्र विज्ञान						0						0	0	0
	हड्डी रोग			0	1								0	1	1
	बच्चों की दवा करने की विद्या	2			1		1		1				2	3	5
	पारिवार की दवा										4	4	4	4	8
	कीटाणु-विज्ञान										2		1	1	2
	औषध										2		2	0	2
	शरीर क्रिया विज्ञान										2		2	0	2
	जैव रसायन शास्त्र										2		1	1	2
	कुल	**3**	**5**	**5**	**5**		**5**	**4**	**2**		**14**	**4**	**24**	**23**	**47**
पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी	अनेस्थिसियोलॉजी		1		1			1					1	2	3
	ओबीजीवाई	1		1			1	1	1				1	4	5
	नेत्र विज्ञान						0						0	0	0
	हड्डी रोग			0	1								1	0	1
	बच्चों की दवा करने की विद्या	1					1		1				3	0	3
	कुल	**2**	**1**	**1**	**2**		**2**	**2**	**2**				**6**	**6**	**12**

पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा	अनेस्थिसियोलॉजी	4		2			4			2	4		8	8	16
	ओबीजीवाई				4	4					2		5	5	10
	नेत्र विज्ञान				1								1	0	1
	हड्डी रोग												1	0	1
	बच्चों की दवा करने की विद्या			2	4	0					2		0	4	4
	ईएनटी				2								4	1	5
	तपेदिक और छाती के रोग				2								1	1	2
	रेडियोडायगनोसिस										2		1	1	2
	कुल	**4**		**4**	**13**	**4**	**4**			**2**	**10**		**21**	**20**	**41**
सभी स्थानों पर कुल डी एन बी सीटें		**9**	**6**	**10**	**20**	**4**	**11**	**6**	**4**	**2**	**24**	**4**	**51**	**49**	**100**

क.रा.बी.निगम नर्सिंग कॉलेज

क्र.सं.	क.रा.बी.निगम नर्सिंग कॉलेज	बी.एस.सी (नर्सिंग) सीट	आईपी वार्ड
.1	इंदिरानगर	60	30
.2	गुलबर्गा	60	30
कुल		**120**	**60**

क.रा.बी.निगम परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम /संस्थान

क्र.सं.	संस्था	परा-चिकित्सा सीटें	आईपी वार्ड
.1	गुलबर्गा	130	104
.2	सनतनगर	90	-
.3	केके नगर	72	-
कुल		**292**	**104**

प्रस्तावित नए क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	सीटों की संख्या
1.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, अंधेरी, महाराष्ट्र	050
2.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बसईदारापुर, दिल्ली	100
3.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बेलतला, गुवाहाटी, असम	050
4.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, इंदौर, मध्य प्रदेश	100
5.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, जयपुर	050
6.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, लुधियाना	050
7.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, नरोदा-बापूनगर, गुजरात	पहले 50 फिर 100
8.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, नोएडा	050
9.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, रांची	050
10.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, वाराणसी	050

11. संपत्ति प्रबंधन

01.01.2024 से 31.12.2024 के दौरान निष्पादन के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं (पूंजीगत कार्यों) सूची वर्ष

क्र.सं.	परियोजना का नाम
अस्पताल (नया)	
1.	विजयनगरम में 100बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
2.	शीलानगर, विशाखापत्तनम (एपी) में 350 बिस्तर+50 एसएसटी बिस्तर वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
3.	अच्युतापुरम में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल
4.	साणंद में 350 बिस्तरों वाले (500 बिस्तरों तक अपग्रेड करने योग्य) क.रा.बी. अस्पताल
5.	बावल (हरियाणा) में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल
6.	बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल
7.	गुरूग्राम में मानेसर 500 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण
8.	काला अंब (हि.प्र.)में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल (100 बिस्तरों तक विस्तार योग्य)
9.	ओमपुरा (जम्मू एवं कश्मीर) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल
10.	शिवमोगा (कर्नाटक) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल
11.	डोड्डाबल्लापुर (कर्नाटक) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल
12.	बोम्मासंद्रा में 200 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण
13.	हारोहल्ली में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल
14.	नरसरपुरा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल
15.	पीथमपुर में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण

16.	महाराष्ट्र के नागपुर के बुटीबोरी में 200 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
17.	डुबुरी में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण
18.	तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण
19.	तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण
20.	हरिद्वार (उत्तराखंड) में 300 बिस्तरों वाले (50 बिस्तरों वाले एसएसटी सहित) अस्पताल
21.	शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में 30बिस्तरों वाले (100 बिस्तरों तक उन्नयन योग्य) क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण
22.	पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 100बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल
23.	सिलीगुड़ी ,पश्चिम बंगाल में 100बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल ।
अस्पताल (आशोधन)	
1.	राजामहेंद्रवरम में 100 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल
2.	बेलतला 200 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल,
3.	तिनसुकिया में 100 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल
4.	सूरत, गुजरात में 200 बिस्तरों वाले (300 बिस्तरों तक उन्नयन योग्य) क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
5.	कलोल*, गुजरात में 50 बिस्तरों से 150 बिस्तरों तक क.रा.बी.निगम अस्पताल का ध्वस्तीकरण, निर्माण और उन्नयन
6.	मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद
7.	रांची में 200 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल
8.	दावणगेरे में 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों तक क.रा.बी.निगम अस्पताल
9.	इंदौर में 300 बिस्तरों को, 500 बिस्तरों तक उन्नयन योग्य क.रा.बी.निगम अस्पताल
10.	उल्हासनगर, मुंबई में शाखा कार्यालय सहित 100 बिस्तरों वाले आवासीय क्वार्टर अस्पताल और 32 बिस्तरों वाले अस्पतालों का निर्माण क.रा.बी.
11.	कोल्हापुर में 100 बिस्तरों वाले मौजूदा क.रा.बी.निगम अस्पताल एवं स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्य
12.	बिबेवाड़ी*, पुणे में 200 बिस्तरों वाले (एसएसटी के 50 बिस्तरों सहित 500 बिस्तरों तक उन्नयन योग्य) क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
13.	अंधेरी, मुंबई में क.रा.बी.निगम अस्पताल का उन्नयन एवं विस्तार (अनुबंध - I और II)
14.	सनथ नगर में मौजूदा क.रा.बी.निगम अस्पताल में अतिरिक्त 200 बिस्तरों वाले ओपीडी ब्लॉक का निर्माण
15.	बरेली, उत्तर प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल के लिए ए.एण्ड.ई कार्य का निर्माण
16.	पांडु नगर, उत्तर प्रदेश में क.रा.बी.निगम अस्पताल
17.	आसनसोल में 100 से 150 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
औषधालय / औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) / क्षेत्रीय कार्यालय / स्टाफ क्वार्टर	
1.	गया (बिहार) में 04 चिकित्सक क.रा.बी.निगम औषधालय सह शाखा कार्यालय
2.	मयूर विहार, फेज़-I (दिल्ली) में क.रा.बी.निगम के लिए औषधालय सह डायग्नोस्टिक सेंटर और कार्यालय
3.	कुंडैम, गोवा में 5 चिकित्सक औषधालय का निर्माण।
4.	सुरेंद्रनगर, गुजरात में 2 चिकित्सक औषधालय और शाखा कार्यालय का निर्माण।

5.	पंचकूला में क.रा.बी. स्वास्थ्य सेवा के लिए 05 चिकित्सक औषधालय और शाखा कार्यालय का निर्माण।
6.	सेक्टर 38, फेज़-II, औद्योगिक एस्टेट राय में 3 चिकित्सक औषधालय।
7.	संस्थागत प्लॉट संख्या क.रा.बी.निगम औषधालय (ईडी-1), फेज़-1, औद्योगिक एस्टेट बरही में 3 चिकित्सक औषधालय।
8.	अलुवा (अलवे) में क.रा.बी.निगम शाखा कार्यालय का निर्माण
9.	चक्कोराथुकुलम, कोझिकोड में 05 चिकित्सक औषधालय,
10.	केरल के चलप्पुरम में क.रा.बी. औषधालय, आरउप निदेशक कार्यालय (उत्तर अंचल), एसआरओ और सब स्टोर का निर्माण
11.	डी एन नगर, अंधेरी, मुंबई में 228 टाइप-III स्टाफ क्वार्टर का निर्माण
12.	भरतपुर, राजस्थान में 03 चिकित्सक औषधालय और शाखा कार्यालय का निर्माण।
13.	राजस्थान के भवानीमंडी में 03 चिकित्सक औषधालय का निर्माण।
14.	उद्योग नगर, कोटा, राजस्थान में 05 चिकित्सक औषधालय सह शाखा कार्यालय का निर्माण।
15.	सेक्टर-22 नोएडा 05 चिकित्सक औषधालय एवं शाखा कार्यालय,
16.	नुनहाई, आगरा (यूपी) 02 चिकित्सक क.रा.बी.निगम औषधालय,

क्रम सं.	**शिलान्यास (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)**
1.	फरीदाबाद स्थित क.रा.बी.निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जमा करने के माध्यम/आधार पर अतिरिक्त 500 बिस्तरों का निर्माण (बिस्तरों की संख्या 650 से बढ़ाकर 1150 करना)।
2.	कर्नाटक के बोम्मासांद्रा में क.रा.बी.निगम के लिए आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधा, जल निकासी, ईएंडएम सेवाओं के विकास और थोक सेवाओं सहित 62 स्टाफ क्वार्टरों सहित 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।
3.	कर्नाटक के नरसापुर में 100 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल एवं स्टाफ क्वार्टर।
4.	मेरठ (उत्तर प्रदेश) में 100 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल एवं 32 स्टाफ क्वार्टर।
5.	आंध्र प्रदेश के अचुतापुरम में 30 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल।

क्र.सं.	**उद्घाटन (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)**
1.	क.रा.बी.निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना, बिहार का निर्माण
2.	मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर, राजस्थान
3.	कोरबा (छत्तीसगढ़) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
4.	उदयपुर (राजस्थान) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
5.	आदित्यपुर (झारखंड) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
6.	फुलवारी शरीफ (बिहार) में 50 से 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
7.	तिरुप्पुर, तमिलनाडु में क.रा.बी.निगम के लिए 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल भवन और 32 आवासीय क्वार्टरों (टाइप-IV विशेष 2 संख्या, टाइप -IV 6 संख्या, टाइप -III 8 संख्या,

	टाइप -III 16 संख्या) का निर्माण, जिसमें विकास और थोक सेवाएँ, आंतरिक जल आपूर्ति आदि शामिल हैं।
8.	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में 100 बिस्तरों वाला क.रा.बी.निगम अस्पताल
9.	रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण
10.	भिलाई (छत्तीसगढ़) में 100 बिस्तरों वाला (200 बिस्तरों तक अपग्रेड करने योग्य) क.रा.बी.निगम अस्पताल
11.	नीमराना, राजस्थान में 5 चिकित्सकों वाला औषधालय
12.	आबू रोड, राजस्थान में 2 चिकित्सकों वाला औषधालय, शाखा कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर
13.	भीलवाड़ा, राजस्थान में 3 चिकित्सकों वाला औषधालय
14.	अलवर, राजस्थान में 4 चिकित्सकों वाला औषधालय
15.	बहरौर, राजस्थान में 3 चिकित्सकों वाला औषधालय
16.	सीतापुरा, राजस्थान में 5 चिकित्सकों वाला औषधालय
17.	सेलाकुई, उत्तराखंड में 5 चिकित्सकों वाला औषधालय
18.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में 02 चिकित्सकों वाला क.रा.बी.निगम डीसीबीओ का निर्माण
19.	कोराट्टी, केरल में 2 चिकित्सकों वाला औषधालय
20.	नवाईकुलम, केरल में 2 चिकित्सकों वाला औषधालय सह शाखा कार्यालय
21.	पाइडीभीमावरम, आंध्र प्रदेश में 6 चिकित्सकों वाला औषधालय
22.	इंदौर, मध्य प्रदेश में 300 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल, को जो 500 बिस्तरों तक अपग्रेड के योग्य है

<u>पूंजीगत निर्माण परिव्यय</u>

अस्पतालों, उपभवनों, औषधालयों और अन्य कार्यालयों के निर्माण के लिए संस्वीकृत लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की संस्वीकृत (₹ करोड़ में)**
1.	चिकित्सा संस्थान	Nil
2.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय/ कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय कार्यालय/केंद्रीय चिकित्सा भंडार आदि।	7053.65
3.	क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/स्टाफ आवास	316.09
	कुल	**7369.74**

12. भारतीय चिकित्सा पद्धति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम देशभर के सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों और औषधालयों में एलोपैथी के साथ-साथ आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, आयुष सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आयुष को सशक्त बनाने और बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए इन सेवाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। ब्योरा निम्नानुसार है :-

(i) आयुष इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पहले पांच वर्षों के लिए राज्यों में नई आयुष इकाइयों की स्थापना पर होने वाले पूरे खर्च को वहन करने की मंजूरी दी गई है (21/12/2005 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 134वीं बैठक में)।

(ii) आयुष-2023 पर क.रा.बी.निगम नीति की समीक्षा के उद्देश्य से दिनांक 14.11.2024 को आयुष पर क.रा.बी.निगम की उप समिति की 20वीं बैठक आयोजित की गई।

(iii) देश भर के सभी क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और क.रा.बी.निगम/ क.रा.बी.योजना प्रतिष्ठानों में दिनांक 21.06.2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

दिनांक 21.06.2024 को "स्वयं और समाज के लिए योग" विषय पर क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना के सभी अस्पतालों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और योग कक्षाएं/योग प्रदर्शन आयोजित किए गए। बैनर और पर्चे वितरित किए गए और योग से संबंधित सूचना प्रदर्शनी एवं संचार (आईईसी) सामग्री प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम में कुल 9928 व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना के कर्मचारी और लाभार्थी शामिल थे।

(iv) क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा औषधालयों में आयुर्वेद के सिद्धांतों एवं प्रचलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई आकर्षक गतिविधियों के साथ नौवाँ आयुर्वेद दिवस मनाया गया। नौवें आयुर्वेद दिवस समारोह की वैचारिक सोच (थीम) ''वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार'' थी। इस आयोजन का उद्देश्य समकालीन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में आयुर्वेद की नई परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करना था। आयुर्वेद दिवस समारोह ने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में आयुर्वेद के महत्व की पुष्टि की और साथ ही इस प्राचीन ज्ञान को समकालीन स्वास्थ्य प्रथाओं में एकीकृत करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार किया।

(v) क.रा.बी संस्थानों में होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति के लिए महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा संख्या होमियो-4 के लिए निविदा पूछताछ प्रपत्र तैयार करना और प्रकाशित करना।

(vi) सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों तथा आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक भेषजज्ञों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें तैयार करना।

देश भर के क॰रा॰बी॰निगम/क॰रा॰बी॰योजना अस्पतालों और औषधालयों में आयुष इकाइयां उपलब्ध हैं। दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में उपलब्ध आयुष सुविधाओं के विवरण **संलग्नक-'V'** पर दिए गए हैं।

13. अंशदान की वसूली और अभियोजन मामलों का विवरण

I. अंशदान की वसूली

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान कुल ₹18351.21 करोड़ के अंशदान का संग्रह किया गया। इस अंशदान आय में वसूली अधिकारी द्वारा चूककर्ता नियोक्ताओं से वसूली गई अंशदान आय भी शामिल है।

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, अंशदान की बकाया राशि ₹5899.27 करोड़ है। विभिन्न कारणों के चलते वर्तमान में ₹3351.30 करोड़ रुपए की राशि तुरंत वसूली जाने योग्य बकाया राशि है**,** जिसके कारण निम्नानुसार हैं :-

बकाया राशि का विवरण (31.03.2024 तक)

क) तुरंत वसूला न जा सकने वाला बकाया

(रु. करोड़ में)

i.	न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	1770.06
ii.	परिसमापन के अंतर्गत राशि	0623.63
iii.	दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	0012.10
iv.	कारखानों/बंद स्थापनाओं या पता-ठिकाना ज्ञात न होने वाले नियोक्ताओं से देय राशि	0614.19
v.	वह राशि जिसके लिए डिक्री प्राप्त हुई परंतु डिक्री निष्पादित नहीं हुई है।	0001.31
	कुल	**3021.29**

ख) बीमार उद्योगों से बकाया

i.	औद्योगिक तथा वित्तीय पुन: संरचना बोर्ड (बीआईएफआर)/राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में पंजीकृत कारखानों/संस्थाओं से संबंधित मामले, परंतु पुनर्वास योजना की संस्वीकृति दी जानी है।	231.07
ii.	अलाभकारी घोषित कारखाने/स्थापनाएं परंतु पुनर्वास योजना संस्वीकृत की गई है।	98.94
	कुल	**330.01**

ग) दिनांक 31.03.2023 तक तत्काल वसूली योग्य बकाया राशि

i.	नियोक्ता का ठिकाना ज्ञात है लेकिन इकाई बंद है	194.24
ii.	वसूली अधिकारी के पास वसूली योग्य बकाया राशि वसूली कार्रवाई के लिए लंबित है	2353.73
	कुल	**2547.97**
कुल योग (क+ख+ग)		**5899.27**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए की गई वसूली का विवरण

रुपये लाखों में

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की गई वसूली का विवरण (राशि लाख में)				
क्रम संख्या	**क्षेत्र**	**निर्धारित लक्ष्य 2023-24 के लिए**	**की गई वसूली मार्च 2024 तक**	**%वसूली प्रस्तावित लक्ष्य की**
	आंध्र प्रदेश			
1	विजयवाड़ा	15.01	15.44	102.86
2	विशाखापत्तनम	10.10	9.21	91.18
3	तिरुपति	13.20	6.71	50.86
	असम		0.00	
4	गुवाहाटी	6.01	3.64	60.55
	बिहार			
5	पटना	8.51	7.48	87.84
	छत्तीसगढ़			
6	रायपुर	15.09	12.42	82.31
	दिल्ली			
7	राजेंद्र प्लेस	9.17	7.39	80.59
8	रोहिणी	3.76	3.77	100.37
9	ओखला	9.70	9.79	100.96
10	नंदनगरी	2.46	2.47	100.24
	गोवा		0.00	

11	पण्जी	3.35	3.35	100.06
	गुजरात			
12	अहमदाबाद	16.78	9.10	54.23
13	बड़ौदा	4.33	3.30	76.21
14	सूरत	5.14	2.76	53.77
	हरियाणा		0.00	
15	फरीदाबाद	12.05	7.74	64.21
16	गुड़गाँव	11.83	11.84	100.08
17	अंबाला (करनाल)	3.36	2.16	64.29
	हिमाचल प्रदेश			
18	बद्दी	4.43	4.45	100.45
	जम्मू व कश्मीर			
19	जम्मू	5.48	2.58	46.99
	झारखंड			
20	रांची	6.49	5.54	85.38
	कर्नाटक			
21	बेंगलुरु	30.51	13.66	44.76
22	हुबली	5.94	6.03	101.46
23	बोम्मासंद्रा	11.01	7.45	67.65
24	पीण्या	9.84	6.48	65.82
25	मैसूर	5.31	5.40	101.60
26	गुलबर्गा (कलबुर्गी)	3.12	3.29	105.32
27	मंगलौर	2.26	2.01	89.12
	केरल			
6	त्रिशूर	9.33	5.61	60.13
29	कोल्लम	7.52	5.92	78.78
30	एर्नाकुलम	11.31	6.84	60.50
31	कोझिकोड	7.58	3.54	46.68
32	तिरुवनंतपुरम	7.56	6.88	90.95
	मध्य प्रदेश			
33	इंदौर	10.72	8.58	80.03
34	भोपाल	11.08	6.78	61.16
	महाराष्ट्र			
35	मुंबई	31.27	7.46	23.84
36	ठाणे	20.98	13.16	62.74
37	मरोल	33.59	21.86	65.08
38	पुणे	42.44	34.01	80.13

39	नागपुर	16.54	6.09	36.83
40	औरंगाबाद	4.34	3.57	82.26
41	नासिक	5.15	2.81	54.50
	उड़ीसा			
42	ओड़िशा	16.93	7.70	45.48
	पुदुचेरी			
43	पुदुचेरी	9.58	4.88	50.97
	पंजाब			
44	चंडीगढ़	11.96	10.87	90.92
45	लुधियाना	24.06	24.06	100.00
46	जालंधर	5.71	2.86	50.07
	राजस्थान			
47	जयपुर	16.49	9.70	58.80
48	उदयपुर	4.48	1.25	27.88
49	जोधपुर	6.52	2.20	33.79
	तमिलनाडु			
50	चेन्नै	42.34	31.92	75.40
51	मदुरै	9.47	9.57	101.05
52	कोयम्बतूर	10.14	10.15	100.09
53	तिरुनेलवेली	10.37	6.02	58.03
54	सलेम	12.64	5.77	45.68
	तेलंगाना			
55	हैदराबाद	73.29	24.25	33.09
	उत्तर प्रदेश			
56	कानपुर	2.26	2.29	101.46
57	नोएडा	6.76	5.35	79.20
58	वाराणसी	1.23	1.28	103.66
59	लखनऊ	13.90	11.78	84.71
	उत्तराखंड			
60	देहरादून	4.91	5.71	116.27
	पश्चिम बंगाल			
61	कोलकाता	42.81	18.62	43.48
62	सिक्किम	1.94	0.11	5.46
63	बैरकपुर	2.84	3.23	113.63
64	दुर्गापुर	3.27	3.17	97.03
	कुल	**787.55**	**511.28**	**64.92**

II) बकाया की वसूली : - दिनांक 31.3.2024 को कुल बकाया ₹5899.27 करोड़ में से, ₹2547.97 करोड़ की राशि, जो कुल बकाया का 43.19% है, तत्काल वसूली-योग्य बकाया की श्रेणी में आती है। शेष राशि ₹3351.30 करोड़ जो कुल बकाया का 56.81% है, जो अदालतों में विवादित दावों के कारण वर्तमान में तुरंत गैर-वसूली-योग्य बकाया की श्रेणी में आता है, वह कारखाने जो परिसमापन के लिए चले गए हैं, बीआइएफआर पंजीकृत कारखाने, दावा आयुक्त के पास लंबित राशि, कारखाने को बंद करना और कुछ मामलों में दोषी नियोक्ता जिनके ठिकाने का पता नहीं है।

निगम के बकायों के प्रभावी वसूली को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, क॰रा॰बी॰अधिनियम,1989 में संशोधन द्वारा मूल अधिनियम में धारा 45-सी से 45-आइ का उपबंध किया गया है जिससे निगम को अपना बकाया वसूलने के लिए अपनी स्वयं का वसूली तंत्र स्थापित करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। तदनुसार, निगम का अपना वसूली तंत्र अब सभी क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया की निगरानी करने और क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में वसूली अधिकारियों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए मुख्यालय में एक वसूली कक्ष भी स्थापित किया गया है।

वर्ष 2023-2024 के दौरान, ₹787.55 करोड़ की वसूली के लक्ष्य के मुकाबले चूककर्ताओं नियोक्ताओं से ₹511.28 करोड़ की वसूली की गई। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान वसूली ₹489.45 करोड़ थी।

III) अभियोजन मामलों का विवरण :-

चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85(क से छ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत अभियोजन मामले दायर किए गए थे। उपर्युक्त उपबंधों के अधीन वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित और वर्ष 2023-24 के दौरान दायर और निर्णीत मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

अभियोजन मामलों की स्थिति 2023-24				
क्र.सं.	**विवरण**	**कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85(क से छ)**	**भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409**	**कुल**
1	दिनांक 01.04.2023 को तिमाही के आरंभ में लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	**11159**	**888**	**12047**
2	दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तिमाही के दौरान दायर अभियोजन मामलों की संख्या	**666**	**1**	**667**
3	उपर्युक्त (1+2) का योग	**11825**	**889**	**12714**
4	वापस लिए गए मामले	**4**	**0**	**4**
5	अवधि के दौरान निर्णीत अभियोजन मामलों की कुल संख्या	**1064**	**81**	**1145**
क)	कारावास सहित दोष सिद्ध	**11**	**0**	**11**
ख)	जुर्माने सहित दोषी	**361**	**4**	**365**
ग)	दोषमुक्त	**46**	**1**	**47**
घ)	बंद/बर्खास्त	**646**	**76**	**722**
6	उपर्युक्त (4+5) का योग	**1068**	**81**	**1149**
7	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अभियोजन मामलों की संख्या	**10757**	**808**	**11565**

14 . केंद्रीय विश्लेषण एवं आसूचना इकाई (सीएआइयू) के माध्यम से संचालित निरीक्षण

(i) क॰रा॰बी॰निगम द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के विधिवत अनुमोदन से संगत प्रतिमानकों तथा मापदंडों को लेकर प्रणालीगत उत्प्रेरण के साथ एक ऐसी पारदर्शी निरीक्षण नीति का निर्माण किया गया है जिसका उद्देश्य व्यापार विनियमों का सरलीकरण करना है। इस योजना की परिकल्पना निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ मापदंड स्थापित करना है ताकि शिकायतों की स्थिति में जवाबदेही, पारदर्शिता तथा एक ही इकाई के बार-बार निरीक्षण को कम करना सुनिश्चित किया जा सके। यह निरीक्षणों/जांच-पड़तालों को संचालित करने के उद्देश्यों पर भी बल देती है जो क्षेत्र स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात साक्ष्य के आधारित निविष्टि पर आधारित होते हैं। शिकायती मामलों से निपटने के लिए तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी श्रम निरीक्षण पद्धति बनाने की भारत सरकार की नीति के अनुपालन में क॰रा॰बी॰निगम द्वारा मुख्यालय में केंद्रीय विश्लेषण एवं आसूचना इकाई की स्थापना की गई है। इसका अधिदेश अनुपालन के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करना शिकायत के संदर्भ में अंचल कार्यालय से यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त करना है तथा ऐसी शिकायतों के संबंध में जांच/निरीक्षण अभिलेखों की आवश्यकता का निर्णय करना है। तद्नुसार, कें.वि.आ.ई. ने मामलों के चयन के मापदंडों के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली की संरचना की है। क्षेत्र कार्यालयों को ऐसी सभी शिकायतों को के.वि.आ.इ. को अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है जिन कारखानों/स्थापनाओं द्वारा अनुपालन में की गई चूक से संबंधित अभिलेखों की जांच/निरीक्षण के बिना उनका समाधान संभव नहीं है वहाँ ऐसी शिकायतों को कें.वि.आ.ई. फीडबैक संस्तुति के साथ प्रेषित किया जाना है।

(ii) इसके अतिरिक्त, क्षेत्र कार्यालयों को क॰रा॰बी॰निगम के निरीक्षण नीति की उपबंधों तथा के.वि.आ.इ. के प्रकार्यात्मकता पर मुख्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार प्रणालीगत निरीक्षण प्रतिमानकों के अंतर्गत चिह्नित मामलों की समीक्षा की गई और ऐसे मामलों को पूर्ण औचित्य के साथ निरीक्षण अनुमोदन के लिए के.वि.आ.ई को भेजने की सलाह दी गई है। वर्ष 2024 के दौरान, के.वि.आ.इ में कुल 2661 शिकायतें/संदर्भ प्राप्त हुई जिसमें से 32 वै.सहा.मओपीजी पोर्टल से तथा 37 आर.टी.आई. और 05 मंत्रालय से प्राप्त हुईं। अनुपालन आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् इनमें से 295 मामले निरीक्षण/जांच/औचक प्रत्यक्ष सत्यापन कर अनुमोदित किए गए हैं। शेष मामलों की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र कार्यालयों को सूचित किया जाता है।

15. क॰रा॰बी॰निगम में स्थापित लोक शिकायत निवारण तंत्र

क॰रा॰बी॰निगम प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के नाते 13.50 करोड़ लाभार्थियों अर्थात देश की 10% जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। सेवा प्रदाता संगठन होने के कारण क॰रा॰बी॰निगम, पूरे वर्ष सभी पणधारियों से बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाली शिकायतों/प्रश्नों का निवारण कर रहा है।

लोक शिकायत निदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन में निगम प्राप्त लोक शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध तरीके से त्वरित निवारण के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहा है।

लोक शिकायतें विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीफोन, डाक, ई-मेल, सीपीग्राम, सोशल मीडिया शिकायत पेटी, व्यक्तिगत से प्राप्त होती हैं। निगम सभी क्षेत्र कार्यालयों/क॰रा॰बी॰निगम अस्पतालों में लोक शिकायतों की निगरानी विशाल नेटवर्क के माध्यम से करता है। जिसमें शिकायत निवारण अधिकारी सभी क्षेत्र कार्यालयों/क.रा.बी.निगम अस्पतालों/मुख्यालय के प्रभागों में तैनात हैं।

पणधारियों/लाभार्थियों को तुरंत एवं सटीक सूचना प्रदान करने और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए निगम ने नि:शुल्क सहायता (फ्री हेल्पलाइन) संख्या 1800-11-2526 उपलब्ध कराई है, जिसके द्वारा पणधारी एवं आम जनता दूरभाष पर अपनी शिकायतें पंजीकृत कर शिकायत पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकती है। वे इस हेल्पलाइन से शिकायत पंजीकरण संख्या द्वारा अपनी शिकायत की प्रस्थिति का भी पता लगा सकते हैं। इस सुविधा ने उन बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं को लाभ पहुंचाया है, जो या तो निरक्षर हैं या लिखने/कंप्यूटर प्रयोग करने में अधिक कुशल नहीं हैं।

सभी शिकायतों को अतिशीघ्र और 21 दिनों की अधिकतम सीमा में निवारण के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि में निगम सीपीग्राम पोर्टल पर निम्नलिखित संख्याओं में प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक तरीके से निपटान कर पाया है।

वर्ष	**अग्रानीत**	**प्राप्ति**	**निपटाए गए**	**औसत निपटान समय (दिन)**	**31-12-2024 अनुसार लंबित**
01.01.2024 से 31.12.2024	436	**18772**	**18741 (99%)**	7	**467**

दिनांक 31.12.2024 को लंबित	**0-10 दिन लंबित**	**11-21 दिन लंबित**	**22-30 दिन लंबित**	**31-45 दिन लंबित**
467	**369**	96	1	**1**

लाभार्थियों की शिकायतों के त्वरित एवं तत्काल निवारण के लिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार (अप.) (यदि छुट्टी का दिन है तो अगला कार्यदिवस) तथा शाखा कार्यालयों में प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को नियमित रूप से आवधिक सुविधा समागम का भी आयोजन किया जाता है। क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित इन सुविधा समागमों के कार्यक्रमों में उन क॰रा॰बी॰निगम/क॰रा॰बी॰योजना अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक भी भाग लेते हैं, जहां क॰रा॰बी॰निगम तथा क॰रा॰बी॰योजना अस्पताल उसी शहर/नगरी में स्थित हो और इस प्रकार उनके द्वारा चिकित्सा संबंधी शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाता है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, नकद लाभ, भ्रष्टाचार, क.रा.बी.निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों की गैर-व्याप्ति/ गैर-अनुपालन/कम रिपोर्टिंग से संबंधित शिकायतों को समाधान और निपटान हेतु प्राथमिकता दी जाती है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित शिकायतों का निपटारा करते समय, दावा की गई राशि, पात्रता, दर, सीजीएचएस दरों के अनुसार की गई कटौती आदि का पूरा विवरण याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है ताकि शिकायतों या अपीलों की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

निगम ने क.रा.बी योजना के लाभार्थियों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने तथा उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, क.रा.बी.निगम अस्पतालों में सुविधा केंद्र खोले हैं।

अधिकतर मामलों में जहां दूरभाष संख्या उपलब्ध है, शिकायतकर्ता से फीडबैक/संतुष्टि स्तर प्राप्त किया जाता है। यदि कोई असंतुष्टि होती है तो सुधारात्मक/उपचारात्मक संबंधी कार्रवाई त्वरित रूप से की जाती है।

विभिन्न क.रा.बी.निगम कार्यालयों/अस्पतालों में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र और उचित निपटान की निगरानी के लिए समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है।

सभी स्तर पर समय-सीमा के साथ लोक शिकायतों के समय पर निवारण के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी लोक शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया गया है।

महानिदेशक, क॰रा॰बी॰निगम भी विभिन्न पणधारियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए क॰रा॰बी॰निगम, मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुविधा समागम का आयोजन करते हैं।

16. जनसंपर्क

क॰रा॰बी॰निगम में जनसंपर्क शाखा की व्यवस्था है, जिसके प्रभागीय प्रमुख बीमा आयुक्त (जनसंपर्क) हैं और इसमें मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित संपूर्ण रूप से क्रियाशील जनसंपर्क शाखा और इसकी सहायता के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय तथा अस्पताल स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी हैं। क॰रा॰बी॰निगम में जनसंपर्क शाखा की मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं -

- नई पहलों को विज्ञापन, प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से प्रसारित करने के लिए प्रचार एवं मीडिया के साथ संवाद।
- बैठकों, सम्मेलनों, आउटरीच कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, स्वास्थ्य जाँच शिविरों, स्वास्थ्य मेलों, जागरूकता शिविरों, शिलान्यास /उद्घाटन समारोहों आदि का आयोजन।
- निगम के लिए विवरणिका/पर्चे (पंफ्लेट)/पत्रिका (बुकलेट) वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन।
- क॰रा॰बी॰निगम की सूचना वेबसाइट - www.esic.gov.in की देखरेख एवं अद्यतन।
- क॰रा॰बी॰निगम के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल का प्रबंधन व नियंत्रण।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनुपालन

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन निगम के सभी कार्यालयों में किया गया है, जिसमें निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित क॰रा॰बी॰अस्पताल एवं औषधालय भी शामिल हैं।

(ii) मुख्यालय, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों/अस्पतालों, औषधालयों तथा शाखा कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) नामोदिष्ट किया गया है। प्रत्येक कार्यालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

(iii) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध कर सकता है जिसके साथ समय-समय पर यथासंशोधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 7 की उप-धारा (1) और (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क भी संलग्न करना होगा।

(iv) सामान्यत: आवेदक को सूचना, माँगे गए स्वरूप में ही उपलब्ध कराई जाती है।

(v) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार सूचना का अधिकार नियम पुस्तक (मैनुअल) का प्रकाशन किया गया है। दिनांक 01/01/2024 से 31/12/2024 के दौरान सूचना के लिए 13044 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 11749 मामलों में सूचना उपलब्ध कराई गई, 56 मामले अन्य लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआइओ) को अंतरित किए गए तथा 19 मामले अस्वीकार किए गए।

(vi) इस अवधि के दौरान 996 अपीलें भी प्राप्त हुईं, जिनमें से 889 अपीलों पर निर्णय लिया गया।

(vii) आवेदक को दिए गए जवाब/निर्णय में अपीलीय प्राधिकारी के नाम व पते का उल्लेख किया जाता है।

(viii) भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, तीसरे पक्ष एजेंसी के माध्यम से क.रा.बी.निगम के सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रकटीकरणों की पारदर्शिता लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

18. प्रशिक्षण

क॰रा॰बी॰निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी

राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी प्रशिक्षण प्रभाग के अंतर्गत क॰रा॰बी॰निगम का शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें बीमा आयुक्त अकादमी का प्रमुख होता है। इसका काम निगम के सभी समूह 'क' और 'ख' (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा सहित) अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में अकादमी दिल्ली के द्वारका में स्थित है।

क॰रा॰बी॰निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

वर्ष 2005 में, क॰रा॰बी॰निगम के सभी समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क॰रा॰बी॰निगम की राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी, जिसके कार्यालय प्रमुख अपर आयुक्त थे और इसने क॰रा॰बी॰निगम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई भवन से कार्य करना शुरू किया।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की गई जिसके प्रमुख निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान-प्रभारी होते हैं -

1. क्षे. का., दिल्ली स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तर क्षेत्र)
2. क॰रा॰बी॰निगम चिकित्सा महाविद्यालय गुलबर्गा स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण क्षेत्र)
3. क्षे. का., मुंबई स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिम क्षेत्र)
4. क्षे. का., कोलकाता स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व क्षेत्र)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

केलेंडर वर्ष 2023 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र) द्वारा 853 दिनों के कुल 180 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 11063 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

समय के साथ कदम मिलाकर चलना

नई प्रौद्योगिकियों के आगमन और समय की आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी ने भी प्रशिक्षण प्रदान करने के अपने तंत्र को तैयार किया है। बदलते समय में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल्स और अन्य उपयुक्त ऑनलाइन अनुप्रयोगों द्वारा ई-प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे एक तरफ लागत में कटौती और दूसरी तरफ अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

प्रशिक्षण ब्योरा 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024							
क्र.सं	**तारीख**	**विषय**	**प्रशिक्षुओं**	**स्थान**	**माध्यम**	**सत्र**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1.	01.01.2024 से 05.01.2024	प्रवेश प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि./ आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	05	19
2.	01.01.2024 से 05.01.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	बहुकार्य स्टाफ	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	05	29
3.	03.01.2024 से 18.01.2024	क.रा.बी.निगम में कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता पद पर (सिविल) पदोन्नति के लिए अनिवार्य "क" स्तर का प्रशिक्षण	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	12	31
4.	04/01/2024	चिकित्सा वृत्तिकों में तनाव प्रबंधन	चिकित्सक (सभी संवर्गों में)	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	0
5.	04/01/2024	"चिकित्सा वृत्तिकों में "तनाव प्रबंधनपर ऑनलाइन प्रशिक्षण	चिकित्सक (सभी संवर्गों में)	गूगल मीट	ऑनलाइन	1	150
6.	05/01/2024	चिकित्सा वृत्तिकों में तनाव प्रबंधन	"नर्सिंग और पैरा-मेडिकल स्टाफ"	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	0
7.	05/01/2024	"चिकित्सा वृत्तिकों में पर "तनाव प्रबंधन ऑनलाइन प्रशिक्षण	नर्सिंग और पैरा-मेडिकल	गूगल मीट		1	130
8.	08.01.2024 से 12.01.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पैरा-मेडिकल स्टाफ	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	05	26
9.	08.01.2024 से 12.01.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि.	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	05	32
10.	08.01.2024 से 19.01.2024	प्रवेश प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. उ. क्षेत्र	ऑफलाइन	10	22
11.	24/01/17-15	एनएबीएच प्रत्यायान प्रशिक्षण	चिकित्सक, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल	रा.प्र.अ.		12	38
12.	15/01 से 17/01/2024	कार्यान्वयन पर एनएबीएच कार्यक्रम	चिकित्सा अधिकारी, परा-चिकित्सा कर्मचारी और प्रशासनिक कर्मचारी	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	3	38
13.	15.01.2024 से 19.01.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	05	35
14.	15.01.2024 से 20.01.2024	''प्रबंधन विकास कार्यक्रम'' बैच । के लिए	सहा. निदेशक/उप निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	06	30

		: क.रा.बी.निगम के सहायक निदेशक से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण	तदर्थ				
15.	17.01.2024 से 19.01.2024	सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना पर कार्यशाला	सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' अधिकारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	03	12
16.	18.01.2024 से 19.01.2024	समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन पर वेबिनार	अधिकारी/कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	02	65
17.	22.01.2024 से 24.01.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	ड्रेसर/ नर्सिंग एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	03	35
18.	22.01.2024 से 25.01.2024	राजस्व,निरीक्षण, वसूली, एवं हितलाभ पर क्षमता निर्माण कार्यशाला	सा.सु.अधिकारी/ का.अधी./शा.अधी. सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	04	27
19.	29.01.2024 से 30.01.2024	समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन पर वेबिनार	अधिकारी/ कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	02	50
20.	05.02.2024 से 09.02.2024	वित्त एवं लेखा, एफ आर तथा एस पी, आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा, जीएफआर के प्रावधान, ई-प्रापण, जेम पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, सा.सु.अधि./कार्यालय अधीक्षक/शाखा प्रबंधक/ सहायक	सा.सु.अधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक/शाखा प्रबंधक/सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	22	23
21.	29.01.2024 से 02.02.2024	प्रवेश प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	05	17
22.	29.01.2024 से 30.01.2024	समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन पर वेबिनार	अधिकारी/ कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	02	50
23.	29.01.2024 से 02.02.2024	प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि. / आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	05	17

24.	29.01.2024 से 02.02.2023	प्र.क्षे.लि./आशुलिपिकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि./ आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	25	17
25.	05.02.2024 से 09.02.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	सहायकों	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	19	37
26.	07/02/2024	उच्च रक्तचाप" निदान और प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	चिकित्सक क.रा.बी.निगम भारत	गूगल मीट		1	114
27.	08/02/2024	"आपदा प्रबंधन सहित अस्पताल के जोखिम संबंधी सुरक्षा" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	चिकित्सक क.रा.बी. निगम भारत	गूगल मीट		1	118
28.	12-16/2/2024	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	परा-चिकित्सा कर्मचारी	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)		22	26
29.	14.02.2024 से 15.02.2024	लैंगिक संवेदीकरण पर वेबिनार	अधिकारी/ अधिकारियों	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	04	71
30.	19.02.2024 से 23.02.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	19	35
31.	19.02.2024 से 23.02.2024	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि. / आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	25	17
32.	22.02.2024	दंत स्वच्छता, सामान्य समस्याएं एवं उनके प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	चिकित्सक, क.रा.बी. निगम, भारत	गूगल मीट		1	100
33.	23.02.2024	गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए अखिल भारतीय क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालयों क्षेत्रीय-उप कार्यालयों के शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) के लिए जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए ऑनलाइन संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिकायत निवारण अधिकारी	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	2	100
34.	26.02.2024 से 01.03.2024 तक	प्र.श्रे.लि./अ.श्रे.लि.. के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	24	27

35.	26.02.2024 से 18.03.2024 तक	नियमित आधार पर उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए उप निदेशक / सहायक निदेशक(तदर्थ) / प्रबंधक ग्रेड/अनुभाग अधिकारी का अनिवार्य स्तर 'ए' प्रशिक्षण	सहायक निदेशक/ उप निदेशक (तदर्थ)	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	14	30
36.	26.02.2024 से 01.03.2024 तक	कार्मिक एवं प्रशिक्षण द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कौशल प्रशिक्षण	प्रशिक्षक (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	15	2
37.	26-29/2/2024	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के लिए परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)		12	38
38.	27-29/2/2024	पश्चिमी अंचल के लिए व्यावसायिक रोग पर ऑफलाइन प्रशिक्षण	नोडल अधिकारी और चिकित्सक	उप क्षेत्रीय कार्यालयमरोल ,		12	23
39.	04.03.2024 से 15.03.2024 तक	प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के प्र.श्रे.लि.	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन कक्षा	34	28
40.	04.03.2024 से 09.04.2024 तक	नियमित आधार पर उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु उप निदेशक (तदर्थ)/ सहायक निदेशक/प्रबंधक ग्रेड-I/अनुभाग अधिकारी के लिए "प्रबंधन विकास कार्यक्रम "प्रशिक्षण हेतु बैच II	सहायक निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफ लाइन / क्लास रूम	24	31
41.	04.03.2024 से 08.03.2024 तक	नर्सिंग कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नर्सिंग कार्मिक	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ लाइन / क्लास रूम	24	25
42.	24/03/07	"यूटीआई मॉड्यूल की कार्यप्रणाली "पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र अंचल के सूचीबद्ध अस्पताल और क.रा.बी.निगम उपयोगकर्ता	गूगल मीट	ऑनलाइन	1	200

43.	11.03.2024	बीमा चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशासनिक विषयों पर ऑफ़लाइन प्रशिक्षण	दिल्ली औषधालयों के बीमा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी	रा.प्र.अ.	ऑफ़लाइन	8	24
44.	11.03.2024 से 15.03.2024	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण सहायकों	सा.सु.अधिकारी/का. अधी./शा.अधी./ सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ क्लास रूम	24	19
45.	18.03.2024 से 22.03.2024	प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	नव नियुक्त बहुकार्य स्टाफ	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफलाइन क्लास रूम	20	34
46.	18.03.2024 से 23.03.2024	उप निदेशक तदर्थ/ सहायक निदेशक/प्रबंधक ग्रेड-I/अनुभाग अधिकारी के लिए नियमित आधार पर उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु "प्रबंधन विकास कार्यक्रम "प्रशिक्षण हेतु बैच II	सहायक निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफ़लाइन/ कक्षा कक्ष	24	28
47.	18.03.2024 से 19.03.2024	"आपदा प्रबंधन" पर ऑफ़लाइन प्रशिक्षण	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र के क.रा.बी. अस्पतालों के चिकित्सक और नर्स	रा.प्र.अ.		10	31
48.	18.03.2024 से 22.03.2024 (5 दिन)	सहायकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सहायक	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ क्लास रूम	19	33
49.	18.03.2024 से 22.03.2024 तक	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ क्लास रूम	25	19
50.	21.03.2024 से 22.03.2024 तक	राजभाषा पर वेबिनार	अधिकारी/ कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	46
51.	25.03.2024 से 26.03.2024 तक	आरटीआई अधिनियम-2005 पर वेबिनार	अधिकारी/ अधिकारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	56
52.	25.03.2024 से 29.03.2024 तक	नर्सिंग कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नर्सिंग कार्मिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	24	22

53.	27.3.2024	“यूटीआई मॉड्यूल की कार्यप्रणाली ”पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	चेन्नै अंचल के सूचीबद्ध अस्पताल और क.रा.बी.निगम उपयोगकर्ता	गूगल मीट		1	80
54.	01.04.2024 से 05.04.2024	प्र.श्रे.लि./अ.श्रे.लि. के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	24	16
55.	15.04.2024 से 26.04.2024	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि. / आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	49	19
56.	17.04.2024 से 18.04.2024	लैंगिक संवेदीकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 -पर वेबिनार	अधिकारी/ कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	46
57.	24.04.2024 से 25.04.2024	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि/नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए ऑनलाइन "डिजिटल साक्षरता "प्रशिक्षण कार्यक्रम	बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि /नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	40
58.	29.04.2024 से 03.05.2024	बहुकार्य स्टाफ/अ.श्रे.लि के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	24	20
59.	29.04.2024 से 10.05.2024	क.चि.प्र.त./रेडियोग्राफर के लिए 10 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण	क.चि.प्र.त. क.चि.प्र.त. / रेडियोग्राफर	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	49	21
60.	01.04.2024 से 05.04.2024 (05 दिन)	सहायकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ-लाइन/ कक्षा कक्ष	20	24
61.	12.04.202	बहुकार्य स्टाफ/अ.श्रे.लि / प्र.श्रे.लि. के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यशाला	पूर्वी अंचल के बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि /प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	50
62.	15.04.2024 से 19.04.2024 (5 दिन)	ड्रेसर/नर्सिंग एवं परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के ड्रेसर/नर्सिंग और परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	16	33

63.	22.04.2024 से 26.04.2024 (5 दिन)	अ.श्रे.लि के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी एशिया के अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	17	25
64.	22/04/2024 से 26/04/2024	राजस्व, हितलाभ, प्रशासन, वित्त एवं लेखा, विधि, वसूली, परियोजना पंचदीप, ईआरपी मॉड्यूल, ई-ऑफिस, आईटी साक्षरता, हिंदी राजभाषा, सॉफ्ट कौशल आदि पर नव-नियुक्त बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रशिक्षण।	बहुकार्य स्टाफ	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	20	18
65.	15.04.2024 से 29.04.2024	प्र.श्रे.लि. के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नव नियुक्त प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ लाइन/ कक्षा	38	33
66.	02.05.2024	एलआईएमबीएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	अधिकारी/ सभी इकाइयों के एलआईएमबीएस पर पंजीकृत कर्मचारी	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	4	353
67.	17.05.2024	एलआईएमबीएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	अधिकारी/ मुख्यालय में एलआईएमबीएस के साथ पंजीकृत कर्मचारी	रा.प्र.अ.	ऑफ़लाइन/ कक्षा	2	27
68.	06.05.2024 से 10.05.2024	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./हिंदी अनुवादक सहायकों के लिए राजस्व एवं प्रशासन आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	सा.सु.अधिकारी/ का.अधी./शा.अधी. / हिंदी अनुवादक/सहायकों	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	21
69.	13.05.2024 से 17.05.2024	नर्सिंग अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नर्सिंग अधिकारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	23	34
70.	20.05.2024 से 24.05.2024	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम परा-चिकित्सा कर्मचारी	परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	23	27
71.	16.05.2024 व 17.05.2024	समय और तनाव प्रबंधन पर वेबिनार	अधिकारी/ कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	41

72.	29.05.2024 से 30.05.2024	बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि/नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि. /नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	35
73.	27.05.2024 से 31.05.2024	प्र.श्रे.लि./अ.श्रे.लि.. के लिए राजस्व एवं वसूली आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि..	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	25	22
74.	13.05.2024 से 24.05.2024	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि. / आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	48	17
75.	27.05.2024 से 07.06.2024	क.चि.प्र.त. के लिए 10 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण	क.चि.प्र.त. क.चि.प्र.त./रेडियोग्राफर	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	44	18
76.	03.05.2024	अ.श्रे.लि/प्र.श्रे.लि. / सहायक के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यशाला	अ.श्रे.लि/प्र.श्रे.लि./सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन	4	50
77.	06.05.2024 से 10.05.2024	बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	18	25
78.	13.05.2024 से 17.05.2024	प्र.श्रे.लि. के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	18	23
79.	20.05.2024 से 24.05.2024	सहायक के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	20	24
80.	27.05.2024 से 31.05.2024	अ.श्रे.लि के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	16	22
81.	13.05.2024 से 17.05.2024	राजस्व, हितलाभ, प्रशासन, वित्त एवं लेखा, विधि, वसूली, परियोजना पंचदीप, ईआरपी मॉड्यूल, ई-ऑफिस, आईटी	मीटर	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	20	18

		साक्षरता, हिंदी राजभाषा, सॉफ्ट कौशल आदि पर नव-नियुक्त बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रशिक्षण।					
82.	24.06.2024 से 28.06.2024	सहायक निदेशक (रा.भा.) के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक निदेशक (राजभाषा)	रा.प्र.अ.	ऑफ़लाइन/ कक्षा	20	9
83.	03.06.2024 से 07.06.2024	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./ शा.अधी./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायकों के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी/का. अधी./शा.अधी./वै.सहा. /हिंदी अनुवादक एवं सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	23	22
84.	10.06.2024 से 14.06.2024	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	24	27
85.	17.06.2024 से 21.06.2024	नर्सिंग अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नर्सिंग अधिकारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	24	35
86.	24.06.2024 से 28.06.2024	प्र.श्रे.लि./अ.श्रे.लि के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्र.श्रे.लि. /अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	24	23
87.	26.06.2024 से 27.06.2024	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि/नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम	बहुकार्य स्टाफ /अ.श्रे.लि/नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	54
88.	10.06.2024 से 21.06.2024	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	48	17
89.	24.06.2024 से 05.07.2024	क.चि.प्र.त. के लिए 10 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण	क.चि.प्र.त. क.चि.प्र.त./रेडियोग्राफ र	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	43	17
90.	27.05.2024 से 07.06.2024	नव नियुक्त प्र.श्रे.लि. के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	नव नियुक्त प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	40	25
91.	14.06.2023 से 21.06.2023	स्टाफ नर्स के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण	स्टाफ नर्स	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)			34

92.	03.06.2024 से 07.06.2024	सा.सु.अधिकारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सा.सु.अधिकारी	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	18	23
93.	10.06.2024 से 14.06.2024	सहायकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सहायक	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	24
94.	18.06.2024 से 21.06.2024	ड्रेसर/नर्सिंग एवं परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के ड्रेसर/नर्सिंग और परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	14	30
95.	24.06.2024 से 28.06.2024	बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के बहुकार्य स्टाफ	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	16	23
96.	26-04-2024	क.रा.बी.निगम अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय के नर्सिंग और पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए "कौशल "पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	नर्सिंग और पैरा-मेडिकल स्टाफ	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	140
97.	30-04-2024	क.रा.बी.निगम अस्पताल एवं चिकित्सा कॉलेज के "चिकित्सको "के लिए "तनाव प्रबंधन "पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	सभी चिकित्सक	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	70
98.	20-05-2024	क.रा.बी.निगम अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय के "चिकित्सको"और नर्सिंग स्टाफ "के लिए "चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन "पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	540
99.	21-05-2024	क.रा.बी.निगम अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों के डॉक्टरों के लिए "व्यवहारिक और सॉफ्ट कौशल "पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	सभी चिकित्सक	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	180

100.	30-05-2024	पूरे भारत में क.रा.बी.निगम चिकित्सा अधिकारियों के लिए "जेम खरीद और क्रय पर सीवीसी दिशानिर्देश "पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	चिकित्सा अधिकारी	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	240
101.	06-06-2024	ताप तरंग शमन प्रबंधन	चिकित्सा अधिकारी	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	303
102.	10 से 12-06-2024	अस्पताल प्रशासकों के लिए प्रशासनिक मुद्दों पर प्रशिक्षण	चिकित्सा अधीक्षक	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	4	22
103.	14-06-2024	यूटीआई आईटीएसएल रेफरल सिस्टम और बिल प्रस्तुतीकरण	पैनलबद्ध अस्पताल पश्चिम बंगाल और सिक्किम अंचल	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	150
104.	21-06-2024	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा	चिकित्सा अधिकारी	रा.प्र.अ.	ऑनलाइन	1	240
105.	09-07-2024	एनएबीएच और एनएबीएल के माध्यम से चिकित्सा देखभाल को मान्यता देना	दिल्ली और रा.रा.क्षेत्र अंचल में अस्पताल प्रयोगशालाएँ	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	4	33
106.	23-25.07.2024	क.रा.बी.निगम अस्पतालों के स्टाफ सर्जन (दंत चिकित्सा) (एनएफएसजी) के पद पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण	दंत शल्य चिकित्सक (NFSG)	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	12	12
107.	30.07.2024	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	पीठासीन अधिकारी और सदस्य	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	4	19
108.	19.08.2024 से 23.08.2024	वसूली अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	वसूली अधिकारी	रा.प्र.अ.	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	46
109.	29.07.2024 से 02.08.2024	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि. के लिए राजस्व एवं वसूली आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्र.श्रे.लि. /अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	24	20
110.	05.08.2024 से 09.08.2024	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा. के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायक	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	25	27

		हिंदी अनुवादक और सहायक					
111.	05.08.2024 से 09.08.2024	प्र.श्रे.लि. अ.श्रे.लि./ के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्र.श्रे.लि. /अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	25	20
112.	12.08.2024 से 17.08.2024	परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	25	25
113.	12.08.2024 से 17.08.2024	नर्सिंग अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नर्सिंग अधिकारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइ न	25	22
114.	20.08.2024 से 21.08.2024	आचरण नियमावली और अनुशासनिक नियमों पर वेबिनार	अधिकारी/ कर्मचारी -चिकित्सा एवं गैर चिकित्सा	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइ न	4	45
115.	19.08.2024 से 23.08.2024	बहुकार्य स्टाफ/अ.श्रे.लि.के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	22	22
116.	26.08.2024 से 30.08.2024	परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	20	22
117.	27.08.2024 से 28.08.2024	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि./नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम	बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि. /नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	30
118.	22.07.2024 से 02.08.2024	क.चि.प्र.त./रेडियोग्राफर के लिए 10 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण	क.चि.प्र.त. क.चि.प्र.त. / रेडियोग्राफर	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	44	18
119.	19.08.2024 से 30.08.2024	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिकों के लिए 10 दिवसीय प्रवेश प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि./ आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	42	18
120.	05.08.2024 से 09.08.2024	राजस्व, हितलाभ, प्रशासन, वित्त एवं लेखा ,विधि ,वसूली ,	बहुकार्य स्टाफ	आ.प्र.सं. (पश्चिम अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	20	22

		परियोजना पंचदीप , ईआरपी मॉड्यूल ,ई-ऑफिस ,आईटी-साक्षरता ,हिंदी राजभाषा ,कौशल आदि पर नव नियुक्त बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रवेश प्रशिक्षण।					
121.	28.08.2024 से 30.08.2024	पश्चिम अंचल की राजभाषा शाखा में तैनात समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए राजभाषा प्रशिक्षण।	बहुकार्य स्टाफ, अ.श्रे.लि प्र.श्रे.लि., आशुलिपिक और अधीक्षक।	आ.प्र.सं. (पश्चिम अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	12	20
122.	05.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली /छुट्टी नियम /सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल / कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी. निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	32
123.	06.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/ छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल / कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	30
124.	07.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी. निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	31
125.	08.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण ।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	32

			अधिकारियों का प्रशिक्षण				
126.	09.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	30
127.	12.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	32
128.	13.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और क.रा.बी. निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	29
129.	14.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/ कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	29
130.	16.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	30
131.	19.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	14

		संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण ।	और क.रा.बी. निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण				
132.	20.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	27
133.	21.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	29
134.	22.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और क.रा.बी. निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	28
135.	23.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	28
136.	27.08.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियम/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी. निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण	अ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	4	28

137.	05.08.2024 से 09.08.2024	ड्रेसर, नर्सिंग और परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के ड्रेसर/नर्सिंग और परा-चिकित्सा कर्मचारी	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	17	29
138.	12.08.2024 से 24.08.2024	सेवानिवृत्ति योजना पर कार्यशाला	पूर्वी अंचल के समूह 'ग' कर्मचारी जो अगले 3 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	9	16
139.	19.08.2024 से 23.08.2024	बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के बहुकार्य स्टाफ	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	19
140.	27.08.2024 से 30.08.2024	आशुलिपिकों/वै.सहा. और हिंदी अनुवादकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के आशुलिपिक/वै.सहा. एवं हिंदी अनुवादक	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	16	21
141.	19.08.2024 से 23.08.2024	बैच-I - "प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" नव नियुक्त उप निदेशकों का आईआईपीए में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	आईआईवै.सहा. दिल्ली	ऑफलाइन	20	32
142.	27.08.2024 से 20.09.2024	बैच-I - "प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम " नवनियुक्त उप निदेशकों का रा.प्र.अ. में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	72	32
143.	09.09.2024 से 13.09.2024	बैच-II - "प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" नव नियुक्त उप निदेशकों का आईआईपीए में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	आईआईवै.सहा. , दिल्ली	ऑफलाइन	20	30
144.	09.09.2024 से 14.09.2024	बैच-। - "प्रबंधन विकास कार्यक्रम" : नवनियुक्त उप निदेशकों का आई.आई.एम. कोझिकोड में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	आईआईएम कोझिकोड	ऑफलाइन	24	30
145.	17.09.2024 से 21.09.2024	बैच-III - "प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :" नवनियुक्त उप निदेशकों का आईआईपीए में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	आईआईवै.सहा. , दिल्ली	ऑफ-लाइन	20	32

146.	17.09.2024 से 22.09.2024	बैच-II - "प्रबंधन विकास कार्यक्रम" : नवनियुक्त उप निदेशकों का आईआईएम कोझिकोड में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	आईआईएम कोझिकोड	ऑफलाइन	24	32
147.	23.09.2024 से 27.09.2024	बैच-IV - "प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :" में नव नियुक्त उप निदेशकों का आईआईपीए में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	आईआईवै.सहा. , दिल्ली	ऑफलाइन	20	32
148.	23.09.2024 से 28.09.2024	बैच-III - "प्रबंधन विकास कार्यक्रम :" नवनियुक्त उप निदेशकों का आईआईएम कोझिकोड में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	आईआईएम कोझिकोड	ऑफलाइन	24	32
149.	02.09.2024 से 06.09.2024	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायकों के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायक"	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	25	15
150.	09.09.2024 से 13.09.2024	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि के लिए राजस्व एवं वसूली ,प्रशासन आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम"	प्र.श्रे.लि. /अ.श्रे.लि	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	23	19
151.	16.09.2024 से 20.09.2024	नर्सिंग अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नर्सिंग अधिकारी	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	23	18
152.	23.09.2024 से 27.09.2024	सा.सु.अ./का.अ./शा.प्र./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायकों के लिए राजस्व एवं वसूली आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायक"	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	25	17
153.	25.09.2024 से 26.09.2024	बहुकार्य स्टाफ/अ.श्रे.लि/नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-	बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि../नर्सिंग अर्दली और अन्य	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	"ऑनलाइन "	4	35

		चिकित्सा कर्मचारी के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम	कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी				
154.	02.09.2024 से 13.09.2024	क.चि.प्र.त. (जेएमएलटी) रेडियोग्राफर के लिए 10दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण	क.चि.प्र.त. क.चि.प्र.त. / रेडियोग्राफर"	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	40	13
155.	16.09.2024 से 27.09.2024	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक के लिए 10 दिवसीय प्रवेश प्रशिक्षण				44	16
156.	09.09.2024 से 13.09.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियमावली/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार तथा क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार अन्य विषय पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और उत्तरी अंचल अर्थात् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क.रा.बी.निगम अस्पतालों के अ.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	28
157.	23.09.2024 से 27.09.2024	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियमावली/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार तथा क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार अन्य विषय पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और उत्तरी अंचल अर्थात् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क.रा.बी.निगम अस्पतालों के समूह 'ख' कैडर के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी और नर्सिंग अधिकारी	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	30
158.	03.09.2024 से 06.09.2024	सहायकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सहायक	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	24
159.	09.09.2024 से 13.09.2024	प्र.श्रे.लि. के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	18

160.	16.09.2024 से 20.09.2024	अ.श्रे.लि के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के अ.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	19	19
161.	02.09.2024 से 06.09.2024	नव नियुक्त बहुकार्य स्टाफ के लिए राजस्व, लाभ, प्रशासन, वित्त और लेखा, कानूनी, वसूली, परियोजना पंचदीप, ईआरपी मॉड्यूल, ई-ऑफिस, आईटी-साक्षरता, साइबर सुरक्षा, हिंदी राजभाषा, कौशल आदि पर प्रवेश प्रशिक्षण	बहुकार्य स्टाफ	आ.प्र.सं. (पश्चिम अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	20	14
162.	16.09.2024 से 27.09.2024	नव नियुक्त प्रवर श्रेणी लिपिक (पश्चिम अंचल) के लिए क.रा.बी. अधिनियम, सामान्य कार्यालय प्रक्रियाएं, सूचना का अधिकार, हितलाभ, राजस्व, विधि, वसूली और वित्त कार्यों, ईआरपी मॉड्यूल, पंचदीप परियोजना, साइबर सुरक्षा, ई-ऑफिस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सॉफ्ट कौशल तथा सेवा नियमों आदि पर प्रवेश प्रशिक्षण	प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (पश्चिम अंचल)	ऑफ़लाइन/ कक्षा	40	23
163.	03.10.2024	नैतिकता और शासन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और औषधालयों के अधिकारी/कर्मचारी	रा.प्र.अ.	* ऑनलाइन	1	105
164.	25.10.2024	प्रापण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दोपहर 2.15-4.45 बजे (2 सत्र)	क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और औषधालयों के चिकित्सक	रा.प्र.अ.	* ऑनलाइन	2	291

165.	28.10.2024	ऑनलाइन "साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा"	क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और औषधालयों के चिकित्सक	रा.प्र.अ.	* ऑनलाइन	1	243
166.	14/10/2024 से 18/10/2024 तक	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियमावली/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार तथा क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार अन्य विषय पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और उत्तरी अंचल अर्थात् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क.रा.बी.निगम अस्पतालों के बहुकार्य स्टाफ के लिए 5 दिवसीय में प्रत्यक्ष कक्षा प्रवेश प्रशिक्षण।	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफलाइन	19	40
167.	21/10/2024 से 25/10/2024 तक	क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार के.सि.से. आचरण नियमावली / छुट्टी नियमावली / सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल /कार्यालय शिष्टाचार और अन्य विषय पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और उत्तरी अंचल अर्थात् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क.रा.बी.निगम अस्पतालों के परा-चिकित्सा कर्मचारी संवर्ग के लिए 5 दिवसीय भौतिक प्रत्यक्ष कक्षा प्रवेश प्रशिक्षण।	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफलाइन	19	24
168.	15.10.2024	लेखाकरण सिद्धांत, वस्तु और सेवाओं के प्रापण और लेखा परीक्षा आवश्यकताओं पर पश्चिम अंचल के अधिकारियों के लिए वित मॉड्यूल प्रशिक्षण	कार्यालय प्रमुख अर्थात अपर आयुक्त/क्षे.नि., चि.अ., उप चि.अ., उ.नि.प्रभारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय मरोल	ऑफलाइन	04	25

169.	15.10.2024 से 18.10.2024 तक	लेखाकरण सिद्धांत, वस्तु और सेवाओं के प्रापण और लेखा परीक्षा आवश्यकताओं, वित्त और लेखा बही, लेखा शीर्ष और सभी विवरण, वेतन नियतन, पेंशन, जीपीएफ, एनपीएस, क.रा.बी.निगम में लेखाकरण प्रक्रिया, सहमति और बजट, हितलाभ भुगतान और खातागत भुगतान, बैंकिंग और निवेश, आयकर और टीडीएस, एआरएम और एसआर और जीईएम के साथ निर्माण परियोजनाओं पर पश्चिम अंचल के अधिकारियों के लिए वित्त मॉड्यूल प्रशिक्षण।	उप निदेशक (वित्त) और सहायक निदेशक (वित्त)	उप क्षेत्रीय कार्यालय मरोल	ऑफलाइन	16	29
170.	21/10/2024 से 25/10/2024 तक	राजस्व, हितलाभ, प्रशासन, फ़ाइल अनुक्रमणी प्रणाली, टिप्पण और प्रारूपण कौशल, आशुलिपिक का उत्तरदायित्व, परियोजना पंचदीप, ईआरपी मॉड्यूल, ई-ऑफिस, साइबर सुरक्षा, हिंदी राजभाषा, कौशल, आचरण नियमावली आदि पर नव नियुक्त आशुलिपिक के लिए प्रवेश प्रशिक्षण ।	आशुलिपिक	उप क्षेत्रीय कार्यालय मरोल	ऑफलाइन	20	17
171.	18.10.2024	बहुकार्य स्टाफ/अ.श्रे.लि / प्र.श्रे.लि. के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि./ प्र.श्रे.लि.	ऑनलाइन	ऑनलाइन	04	50

172.	21.10.2024 से 25.10.2024 (5 दिन)	सहायकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सहायक	आ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	18	20
173.	30.09.2024 से 05.10.2024 तक	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि के लिए राजस्व एवं वसूली आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम"	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	23	13
174.	30.09.2024 से 05.10.2024 तक	परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम"	परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	20	20
175.	07.10.2024 से 09.10.2024	नर्सिंग अधिकारियों के लिए बुनियादी जीवन सहायता और सॉफ्ट कौशल पर क्षमता निर्माण कार्यशाला	नर्सिंग अधिकारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	12	22
176.	07.10.2024 से 09.10.2024	परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए बुनियादी जीवन समर्थन और सॉफ्ट कौशल पर क्षमता निर्माण कार्यशाला	परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	12	21
177.	14.10.2024 से 18.10.2024	बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि. के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	बहुकार्य स्टाफ / अ.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	24	16
178.	21.10.2024 से 25.10.2024	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि.के लिए राजस्व एवं वसूली आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्र.श्रे.लि. /अ.श्रे.लि	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	24	20
179.	28.10.2024 से 30.10.2024	सा.सु.अधिकारी/सहायकों /प्र.श्रे.लि. के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन पर विशेष बैच	सा.सु.अधिकारी/ सहायक /प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	15	14
180.	03.10.2024 और 04.10.2024	कर्मचारियों के लिए नैतिक सिद्धांतों, प्रेरक कार्यनीतियों, भावनात्मक बुद्धिमता, सॉफ्ट कौशल और कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य पर वेबिनार।	अधिकारी/ कर्मचारियों ने (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	*58

181.	23.10.2024 और 24.10.2024	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि. /नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि./ नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	*35
182.	14.10.2024 को 25.10.2024	सा.सु.अधिकारियों के लिए 10 दिवसीय अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	48	13
183.	14.10.2024 को 15.10.2024	साइबर स्वच्छता और सुरक्षा पर वेबिनार	अधिकारी/कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	*54
184.	17.10.2024 को 18.10.2024	प्रापण पर वेबिनार	अधिकारी/कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	*45
185.	21.10.2024	नैतिकता और सुशासन पर वेबिनार	अधिकारी /कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	*42
186.	2.10.2024 को 23.10.2024	संगठन की प्रणाली और प्रक्रियाओं पर वेबिनार	अधिकारी /कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	*49
187.	24.10.2024 से 25.10.2024	सीसीएस (आचरण नियमावली) 1964 पर वेबिनार	अधिकारी /कर्मचारी (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा)	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	*50
188.	24.09.2024 से 18.10.2024	बैच-II - "प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :" नवनियुक्त उप निदेशकों का रा.प्र.अ. में प्रवेश प्रशिक्षण	उप निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	72	30
189.	14.10.2024 से 18.10.2024	प्रशिक्षकों को मास्टर ट्रेनर पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करना	डॉक्टर, उप निदेशक	एएससीआई हैदराबाद	ऑफलाइन	20	10
190.	23.10.2024 से 25.10.2024	एमडीपी :परिवर्तन का नेतृत्व करना और उच्च प्रदर्शन संस्कृति का निर्माण करना	अपर आयुक्त, चिकित्सा निर्देशी विशेष कार्याधिकारी	आईआईएम, मुंबई	ऑफलाइन	12	6

191.	21.10.2024 से 22.10.2024	बैच-I: राजभाषा प्रभारी प्रशिक्षण	उप निदेशक ,सहायक निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफलाइन	8	27
192.	24.10.2024 से 25.10.2024	बैच -II: राजभाषा प्रभारी प्रशिक्षण	उप निदेशक ,सहायक निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफ लाइन	8	24
193.	28.10.2024 से 29.10.2024	बैच-III: राजभाषा प्रभारी प्रशिक्षण	उप निदेशक ,सहायक निदेशक	रा.प्र.अ.	ऑफ लाइन	8	24
194.	06.11.2024	आचरण नियमावली पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों/ अस्पतालों/औषधालयों के चिकित्सक	रा.प्र.अ.	* ऑनलाइन	1	303
195.	12 से 14.11. 2024	सॉफ्ट कौशल	क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों/ अस्पतालों/औषधालयों के चिकित्सक	एनआईएचएफडब्ल्यू	ऑफलाइन	18	22
196.	21.11.2024	यूटीआई आईटीएसएल -रेफरल सिस्टम और बिल प्रस्तुतीकरण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण"	अ.वि.उ. बिलों के प्रसंस्करण में लगे कार्मिक/ और कर्मचारी	रा.प्र.अ.	* ऑनलाइन	1	198
197.	04.11.2024 से 08.11.2024 (5 दिवसीय)	बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रेरण/क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के बहुकार्य स्टाफ	असम (पूर्वोत्तर) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	ऑफलाइन	19	11
198.	11.11.2024 से 14.11.2024 (4दिन)	प्राथमिक जीवन रक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यशाला	पूर्वी अंचल के ड्रेसर/नर्सिंग और परा चिकित्सा कर्मचारी	असम (पूर्वोत्तर) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	ऑफलाइन	17	25
199.	18.11.2024 से 29.11.2024 (10 दिन(	प्र.श्रे.लि. के लिए प्रेरण/क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के प्र.श्रे.लि.	असम (पूर्वोत्तर) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	ऑफलाइन	35	16
200.	04.11.2024 से 08.11.2024	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./ शा.अधी./वै.सहा. /के लिए राजस्व और वसूली आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	सा.सु.अधि./का.अधी./ शा.अधी./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	25	13

		हिंदी अनुवादक और सहायक					
201.	11.11.2024 से 15.11.2024 तक	नर्सिंग अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नर्सिंग अधिकारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन		26
202.	18.11.2024 से 22.11.2024 तक	परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	24	23
203.	25.11.2024 से 29.11.2024 तक	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा. के लिए क्षमता निर्माण पुनश्चर्या प्रशिक्षण हिंदी अनुवादक और सहायक	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा./हिंदी अनुवादक एवं सहायक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	23	23
204.	20.11.2024 से 21.11.2024 तक	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि / नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण हेतु डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम	बहुकार्य स्टाफ/अ.श्रे.लि/नर्सिंग अर्दली और अन्य कनिष्ठ स्तर के परा-चिकित्सा कर्मचारी	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑनलाइन	4	24
205.	04.11.2024 से 15.11.2024 तक	क.चि.प्र.त./रेडियोग्राफर के लिए 10दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण	क.चि.प्र.त. क.चि.प्र.त./ रेडियोग्राफर	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	45	22
206.	18.11.2024 से 29.11.2024 तक	प्र.श्रे.लि./आशुलिपिकों के लिए 10 दिवसीय प्रवेशन प्रशिक्षण	नवनियुक्त प्र.श्रे.लि./आशुलिपिक	आ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन/ कक्षा	48	20
207.	04.11.2024 से 28.11.2024 तक	बैच-III- "प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :" नवनियुक्त उप निदेशकों का रा.प्र.अ. में प्रवेशन प्रशिक्षण	नवनियुक्त उप निदेशकों का प्रवेशन प्रशिक्षण	रा.प्र.अ. , एजेएनआईएफएम	ऑफलाइन/ कक्षा	72	32
208.	18/11/2024 से 22/11/2024 तक	के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियमावली/सॉफ्ट और	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और उत्तरी	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफलाइन	19	32

		संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार तथा क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार अन्य विषयों पर प्रशिक्षण।	अंचल यानी दिल्ली , पंजाब ,हरियाणा , जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क.रा.बी.निगम अस्पतालों के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय में प्रत्यक्ष कक्षा प्रवेशन प्रशिक्षण।				
209.	25/11/2024 से 29.11.2024	क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार के.सि.से. आचरण नियमावली / छुट्टी नियमावली / सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/ कार्यालय शिष्टाचार और अन्य विषय पर प्रशिक्षण।	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क.रा.बी.निगम औषधालयों और उत्तरी अंचल यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क.रा.बी.निगम अस्पतालों के सहायकों के लिए 5 दिनों में भौतिक कक्षा प्रवेशन प्रशिक्षण।	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफलाइन	19	31
210.	09-12-2024 से 20.12.2024	दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र स्थित क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय रा.प्र.अ./क.रा.बी.निगम औषधालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों के प्र.श्रे.लि. को के.सि.से. आचरण नियमावली/छुट्टी नियमावली/सॉफ्ट और संप्रेषण कौशल/कार्यालय शिष्टाचार तथा क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार अन्य विषयों पर प्रवेशन प्रशिक्षण।	प्र.श्रे.लि.	आ.प्र.सं. (उत्तर अंचल)	ऑफलाइन	39	14

211.	25-11-2024 से 06.12.2024	नव नियुक्त प्र.श्रे;लि. (प.अं.) के लिए क.रा.बी. अधिनियम, सामान्य कार्यालय प्रक्रियाएं, सूचना का अधिकार, हितलाभ, राजस्व, विधि, वसूली एवं वित्त कार्य, ईआरपी मॉड्यूल, परियोजना पंचदीप, साइबर सुरक्षा, ई-ऑफिस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सॉफ्ट कौशल और सेवा नियमावली आदि प्रवेशन प्रशिक्षण।	प्र.श्रे.लि.	अ.प्र.सं. (पश्चिम अंचल)	ऑफलाइन	40	25
212.	2024-12-10	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. गुजरात अंचल , मध्य प्रदेश अंचल ,गोवा अंचल के लिए	सा.सु.अधिकारी/शा.अधी./अधीक्षक , सहायक ,प्र.श्रे.लि. , अ.श्रे.लि	अ.प्र.सं. (पश्चिम अंचल)	ऑनलाइन	4	89
213.	2024-12-12	कौशल प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी/ शा.अधी./ अधीक्षक ,सहायक , प्र.श्रे.लि. ,अ.श्रे.लि , बहुकार्य स्टाफ	अ.प्र.सं. (पश्चिम अंचल)	ऑनलाइन	4	71
214.	02.12.2024 से 06.12.2024 तक	सा.सु.अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सा.सु.अधिकारी	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	20	19
215.	09.12.2024 से 13.12.2024 तक	सहायकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के सहायक	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	19	18
216.	16.12.2024 से 20.12.2024 तक	बहुकार्य स्टाफ के लिए प्रवेशन/क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी अंचल के बहुकार्य स्टाफ	अ.प्र.सं. (पूर्वी अंचल)	ऑफलाइन	19	22
217.	02.12.2024 से 06.12.2024 तक	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लिपिकों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण	बहुकार्य स्टाफ/ अ.श्रे.लि	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	23	21
218.	09.12.2024 से 13.12.2024 तक	प्र.श्रे.लि./अ.श्रे.लिपिकों के लिए राजस्व एवं वसूली	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लि	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	23	23

		आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम					
219.	16.12.2024 से 20.12.2024 तक	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./हिंदी अनुवादक सहायकों के लिए राजस्व एवं प्रशासन आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	सा.सु.अधिकारी/का.अधी./शा.अधी./वै.सहा./ हिंदी अनुवादक एवं सहायक	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	25	22
220.	23.12.2024 से 27.12.2024 तक	प्र.श्रे.लि./ अ.श्रे.लिपिकों के लिए राजस्व एवं वसूली आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्र.श्रे.लि. /अ.श्रे.लि	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	23	18
221.	02.12.2024 से 13.12.2024 तक	सा.सु.अधिकारियों के लिए 10दिवसीय अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण	सा.सु.अधिकारी	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	45	11
222.	16.12.2024 से 27.12.2024 तक	क.चि.प्र.त./रेडियोग्राफर के लिए 10दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण	क.चि.प्र.त. क.चि.प्र.त. / रेडियोग्राफर	अ.प्र.सं. (दक्षिण अंचल)	ऑफलाइन	44	18

आयोजित प्रशिक्षण की संख्या : 222

कुल प्रशिक्षण सत्रों की संख्या : 3603

प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों की कुल संख्या : 9429

19. प्रापण अनुभाग और दर संविदा कक्ष के अनुभाग का कार्य

क. प्रापण अनुभाग के कार्य निम्नानुसार हैं :

- उपकरण खरीद से संबंधित नीतिगत मामले।
- कर्मचारी राज्य बीमा के सभी संस्थानों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा उपकरण मैनुअल के अनुसार 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले उपकरणों के विनिर्देश तैयार करना।
- प्रयोक्ता इकाइयों द्वारा प्रापण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानदंडों के बाहर अथवा संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक डीओपी से परे कर्मचारी राज्य बीमा निगम संस्थानों से प्राप्त उपस्कर प्रस्तावों की स्वीकृति/अनुमोदन।
- मेक इन इंडिया दिशा-निर्देशों सहित सभी सार्वजनिक प्रापण दिशा-निर्देशों के वैधानिक अनुपालन हेतु अनुदेश जारी करना तथा निगरानी करना।
- अति विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता वाले क.रा.बी. संस्थानों के लिए उपकरण क्षमता को बढ़ाना तथा सुदृढ़ करना एवं उपकरणों के इष्टतम उपयोग के लिए अनुदेश जारी करना।
- क.रा.बी. निगम के संस्थानों द्वारा प्रापण को आसान बनाने के लिए जीईएम से संबंधित उपकरणों की प्रापण (उपकरणों का प्रदर्शन, सहायक उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों, एएमसी/सीएमसी आदि की प्रापण के लिए लागत स्थिर करना आदि) पर अद्यतन निर्णयों के संबंध में प्रापण के तौर-तरीकों को शामिल करने और निर्देश जारी करने के लिए जीईएम समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई।
- उपकरणों के प्रापण के संबंध में क.रा.बी. संस्थानों के संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षकों की शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि।
- चिकित्सा उपकरण डैशबोर्ड की निगरानी ।
- क.रा.बी. संस्थानों के लिए चिकित्सा उपकरण मानदंडों का अद्यतन/परिशोधन ।
- उपकरणों के प्रापण में क.रा.बी. संस्थानों की समस्याओं/शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित प्राधिकारियों (जीईएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डीपीआईआईटी, औषध विभाग आदि) के साथ समन्वय करना।
- उपयोगकर्ता इकाइयों के समन्वय से ईएमडी और पीबीजी का लोकार्पण/वापसी।
- नए उपकरणों के संबंध में ऑनलाइन श्रेणी के निर्माण के लिए जीईएम के साथ समन्वय।

ख) दर संविदा प्रकोष्ठ : -

क.रा.बी. अधिनियम 1948 के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम 165 अस्पतालों, 158 औषधालय सह शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.) और 1590 औषधालयों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापक चिकित्सा देखभाल सेवाएँ प्रदान करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने हितलाभार्थियों को कैशलेस दवाएँ और मरहम पट्टी सामग्री प्रदान करता है। प्रतिस्पर्धी दरों पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की एक समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम मुख्यालय में तैयार किए गए मौजूदा महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा के माध्यम

से इनकी प्रापण की जाती है। महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा पूरे देश में संबंधित क.रा.बी. संस्थानों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार दवाओं की प्रापण के लिए संचालित किए जाते हैं।

संविदा प्रकोष्ठ का कार्य संक्षेप में निम्नानुसार है :

1. सभी क.रा.बी. संस्थानों के लिए दवाओं और मरहम पट्टी की उपलब्धता :

क) जीईएम के माध्यम से 103:सीवै.सहा.सयू दवाएं

ख) महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा के माध्यम से 930 दवाएं (लगभग)

ग) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से दर संविदा की दवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में, खरीद, जन औषधि प्रणाली के माध्यम से की जानी है।

घ) जो दवाईयाँ न तो किसी दर संविदा में उपलब्ध है न ही जेईएम जन औषधि में उपलब्ध है, उन्हें क.रा.बी. संस्थानों द्वारा जीएफआर/जेईएम/सीवीसी/भारत सरकार की दिशानिर्देशों का विधिवत् पालन करते हुए खरीदा जा रहा है।

1.1: महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा :

क. मौजूदा महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा को भारत सरकार के ई-प्रापण पोर्टल यानी केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल पर एससीओजीईएम से उचित छूट प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन खुली ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है।

ख. सभी महानिदेशक क.रा.बी.निगम ई-निविदा पूछताछ और दर संविदा सार्वजनिक प्रापण दिशा-निर्देशों, जीईएम, जीएफआर, सीवीसी और मेक इन इंडिया पर भारत सरकार के सभी वैधानिक निर्णयों का पालन करते हैं।

ग. सभी महानिदेशक क.रा.बी.निगम ई-निविदा पूछताछ सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यनिष्ठा संधि को शामिल करने का पालन करती हैं।

घ. पात्र फार्मास्यूटिकल्स फर्मों के साथ महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा दो साल की वैधता के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

ङ. वर्तमान में मान्य महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा का विवरण :

क्र.स.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा	दर संविदा की वैधता	अनुमोदित मदों की संख्या
1.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा 142सी से 146सी और 147बी	30.04.2025	506
2.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा 149 से 153	30.04.2025	332
3.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा 154 से 158	09.06.2026	92
4.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा 159 से 164	निविदा 16.07.2024 को खोली गई प्रक्रियाधीन (अंतिम चरण)	
5.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा 165 से 169	निविदा 17.01.2025 को खोली गई प्रक्रियाधीन (प्रारंभिक चरण)	

दर संविदा तैयार करने की प्रक्रिया संलग्नक-VI में दी गई है।

20. अति विशिष्टता उपचार प्रकोष्ठ

क.रा.बी.निगम की 143वीं बैठक में दिनांक 01.08.2008 से निगम के लाभार्थियों को नकदरहित आधार पर अति विशिष्टता उपचार) एसएसटी (सेवाओं को मंजूरी दी गई है, जो कॉर्पोरेट/ट्रस्ट/निजी अस्पतालों के साथ नामिकायन व्यवस्था के माध्यम से सीजीएचएस दरों पर प्रदान की जाती है। अति विशिष्टता उपचार पर होने वाला खर्च क.रा.बी.निगम द्वारा समय-समय पर चिकित्सा देखभाल पर खर्च के लिए निर्धारित सीमा से अधिक होता है।

बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके आश्रितों के लिए नकदरहित चिकित्सा उपचार सेवाओं की सुचारू और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए, विशिष्टता/अति विशिष्टता ,जो आंतरिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं ,हेतु टाइ-अप व्यवस्था की गई है। आज की तारीख में, पूरे भारत में, क.रा.बी.निगम ने बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके आश्रितों के लिए नकदरहित चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 2393 निजी और सरकारी अस्पतालों के साथ टाइ-अप किया है।

वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, अति विशिष्टता उपचार प्रकोष्ठ ,मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं, जिनकी सूचना सभी हितधारकों को वेबसाइट अपलोड) प्रतियां संलग्न (और ईमेल के माध्यम से दी गई है।

क्र.	पत्र संख्या	विषय
1.	यू-16012/2/2023-एसएसटी	कार्डियोलॉजी प्रक्रियाओं के लिए दरों में संशोधन, 02 नई प्रक्रियाओं को शामिल करने और पीईटी सीटी स्कैन की दरों में संशोधन पर सीजीएचएस का.ज्ञापन को अपनाना।
2.	यू-16012/14/2021-एसएसटी	उच्च लागत उपचार मामलों को मुख्यालय में अग्रेषित करने के लिए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना।
3.	यू-16/30/565/2020-एसएसटी	सरकारी संस्थानों के साथ पैनलबद्धता के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) और बयाना राशि जमा (ईएमडी)।
4.	यू-16/30/649/2023-एसएसटी	टाइ-अप अस्पतालों की मास्टर सूची का निर्माण
5.	यू-16012/2/2023-एसएसटी	सामान्य सर्जरी के लिए सीजीएचएस पैकेज दरों में संशोधन के संबंध में सीजीएचएस कार्यालय ज्ञापन संख्या Z15025/8/2023/DIR/CGHS, दिनांक 01.02.2024 का अंगीकरण।
6.	यू-16/30/565/2019-एसएसटी	पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ) में क.रा.बी.निगम लाभार्थियों के लिए विशेष डेस्क का निर्माण
7.	यू-16012/392/2022-एसएसटी	अति विशिष्टता उपचार (एसएसटी) मामलों के लिए दस्तावेजों का कड़ाईपूर्वक सत्यापन और जांच।
8.	यू-16/30/36-यूटीआई/2020-एसएसटी (56) भाग	सीएफए के अनुमोदन के बाद टाइ-अप अस्पतालों के बिलों के अति विशिष्टता उपचार और द्वितीयक देखभाल उपचार का भुगतान।
9.	यू-16012/25/2022-एसएसटी	क.रा.बी.निगम और यूटीआई-आईटीएसएल के बीच सेवा समझौते का एक वर्ष के लिए विस्तार
10.	यू-16012/392/2022-एसएसटी	अति विशिष्टता उपचार (एसएसटी) मामलों के लिए दस्तावेजों का कड़ाईपूर्वक सत्यापन और जांच
11.	यू-16/30/36-यूटीआई/2020-एसएसटी(56) पार्ट/ई-100618	सीएफए के अनुमोदन के बाद टाइ-अप अस्पतालों के अति विशिष्टता उपचार और द्वितीयक देखभाल के बिलों का भुगतान

21. भर्ती

क.रा.बी.निगम में भर्ती प्रभाग की गतिविधियाँ मुख्यतः शिक्षण, चिकित्सा, परा-चिकित्सा एवं नर्सिंग, प्रशासनिक और तकनीकी संवर्गों में रिक्तियों के लिए भर्ती और चयन के संचालन से संबंधित हैं, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। भर्ती प्रभाग विज्ञापन प्रकाशित करता है तथा परीक्षाएँ और साक्षात्कार आयोजित करता है, परिणामों को संकलित, घोषित और प्रकाशित करता है।

वर्ष 2024 के दौरान भर्ती प्रभाग ने चिकित्सा पदों के लिए कई भर्ती अधिसूचनाओं के लिए साक्षात्कार आयोजित किए और पराचिकित्सा संवर्गों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के लिए भर्ती की। विवरण निम्नानुसार है:

<u>चिकित्सा पद :</u>

क्र .सं.	पद	रिक्तियों की संख्या	वर्तमान स्थिति
1.	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II की नियुक्ति	1120	विज्ञापित 1120 रिक्तियों के सापेक्ष 890 अभ्यर्थियों का चयन किया गया
2.	आईएमओ ग्रेड II की भर्ती	608	यूवै.सहा.ससी द्वारा आयोजित सीएमएसई-2022 और सीएमएसई-2023 की सार्वजनिक प्रकटीकरण सूची के माध्यम से 608 रिक्तियों को भरने के लिए अंतिम तिथि 31.01.2025 के साथ एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

<u>परा चिकित्सा पद :</u>

क्रम सं.	पद	रिक्तियों की संख्या	वर्तमान स्थिति
1.	21 क्षेत्रों के लिए 12 ग्रुप सी पैराचिकित्सा पदों पर भर्ती	1038	विभिन्न संवर्गों की 1038 विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष 143 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
2.	समूह ख नर्सिंग अधिकारी की भर्ती	573	सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) 2024 के माध्यम से नर्सिंग अधिकारी के 573 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन 07.01.2025 को जारी किया गया है।
3.	22 क्षेत्रों के लिए ग्रुप सी पैराचिकित्सा पदों पर भर्ती	1206	सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) 2024 के माध्यम से ग्रुप सी पैराचिकित्सा पदों के 13 संवर्गों में 1206 रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन 07.01.2025 को जारी किया गया है।

सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा

क्रम सं.	भर्ती गतिविधि	भर्ती का विवरण	वर्तमान स्थिति
1.	अग्रिम वेतन वृद्धि परीक्षा मौजूदा आशुलिपिकों के लिए	अग्रिम वेतन वृद्धि परीक्षा 24.10.2024 को आयोजित की गई	03.01.2025 को परिणाम घोषित
2.	अनुकंपा आधार/खेल कोटे के तहत प्र.श्रे.लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए अर्ध-वार्षिक कंप्यूटर कौशल परीक्षा	अर्ध वार्षिक कंप्यूटर कौशल परीक्षण 18.9.2024 को आयोजित किया गया था	06.11.2024 को परिणाम घोषित

शिक्षण संकाय पद

क्रम सं.	पद	वर्तमान स्थिति
I.	क.रा.बी.निगम पीजीआईएमएसआर, चिकित्सा और दंत्य महाविद्यालय के लिए सह आचार्य	विज्ञापित 115 रिक्तियों में से 50 उम्मीदवारों (चिकित्सा-43, दंत्य-7) का चयन किया गया
II.	क.रा.बी.निगम पीजीआईएमएसआर और चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सहायक आचार्य	विज्ञापित 491 रिक्तियों में से 349 उम्मीदवारों का चयन किया गया। क.रा.बी.निगम पीजीआईएमएसआर और चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सहायक आचार्य के पद हेतु 287 रिक्तियों का विज्ञापन 13.12.2024 को जारी किया गया था।

विशेषज्ञ ग्रेड II (वरिष्ठ/कनिष्ठ वेतनमान) पद

क्रम	स्थिति
1.	4 राज्यों (मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु अंचल) के लिए विशेषज्ञ ग्रेड II (कनिष्ठ/वरिष्ठ वेतनमान) के लिए 72 विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष 38 उम्मीदवारों का चयन किया गया।

बहु कार्य कर्मचारी

क्रम	स्थिति
1.	एसएससी द्वारा बहुकार्य स्टाफ के 1257 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम अभी घोषित होना बाकी है।

<u>मिशन भर्ती</u>

वर्ष 2024 में ,मिशन भर्ती रोजगार मेला के अंतर्गत शिक्षण संकाय ,विशेषज्ञ ग्रेड II, परा-चिकित्सा संवर्ग ,प्रवर श्रेणी लिपिक , आशुलिपिक और बहुकार्य कार्मिक संवर्ग में कुल **704** अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।

22. सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग

1. क.रा.बी.निगम में सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

पंचदीप 1.0: क.रा.बी.निगम की ई-गवर्नेंस परियोजना

'पंचदीप परियोजना' भारत में सामाजिक सुरक्षा के अंचल में सबसे बड़ी ई-गवर्नेंस पहलों में से एक है, जिसे नियोक्ताओं, बीमाकृत व्यक्तियों, क.रा.बी.निगम कर्मचारियों, तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं, सरकारी एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के लिए व्यापक ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह परियोजना नियोक्ता और लाभार्थी पंजीकरण, अंशदान जमा, नकद हितलाभ प्रदान करना, चिकित्सा सेवाओं का दस्तावेज़ीकरण, इन्वेंट्री प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण क.रा.बी.निगम कार्यों को सुगम बनाती है।

क.रा.बी.निगम की सूचना संचार प्रौद्योगिकी पहलों ने प्रमुख प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे बीमाकृत व्यक्तियों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के लिए कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक बोझ कम हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत ने लाभार्थियों को अपने हितलाभ और स्वास्थ्य सेवा संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिससे पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा मिला है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए क.रा.बी.निगम की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप डेटा विश्लेषण क्षमता में भी सुधार हुआ है, जिससे योजना और ई-गवर्नेंस के प्रावधानों की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम) ईएसआईसी (ने हाल ही में अपनी प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, **पंचदीप परियोजना** का सफलतापूर्वक उन्नयन किया है। इस महत्वपूर्ण उन्नयन में हार्डवेयर, मिडलवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क प्रणालियों सहित संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप क.रा.बी.निगम के सभी हितधारकों के लिए एक तेज़, अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध होगा।

उन्नत प्रणाली निर्बाध पंजीकरण और अंशदान जमा प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, जिससे नियोक्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाता है। परिचालन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क.रा.बी.निगम ने बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत सुरक्षा उपायों और उन्नत डेटाबेस सर्वरों के साथ एक नए परिवेश में प्रवेश किया है।

धन्वंतरि एप्लिकेशन/मॉड्यूल में सुधार के उपाय

धन्वंतरि मॉड्यूल) स्वास्थ्य सूचना प्रणाली एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (में अस्पतालों, औषधालयों, बाह्य रोगी विभाग, अंतः रोगी विभाग, प्रयोगशालाओं, इमेजिंग सेवाओं से संबंधित सभी सेवाएँ शामिल हैं। यह पिछले केस इतिहास सहित रोगी रिकॉर्ड तक पहुँच में सुधार करके अस्पतालों और औषधालयों को बेहतर बनाता है, जिससे रोगी प्रबंधन अधिक कुशल हो जाता है। अब इसका उपयोग/अपनाया जाना क.रा.बी.निगम अस्पतालों और औषधालयों में व्यापक रूप से किया जा रहा है, वर्ष 2024 की शुरुआत से इसके उपयोग में 50% की वृद्धि हुई है और यह निरंतर बढ़ रहा है।

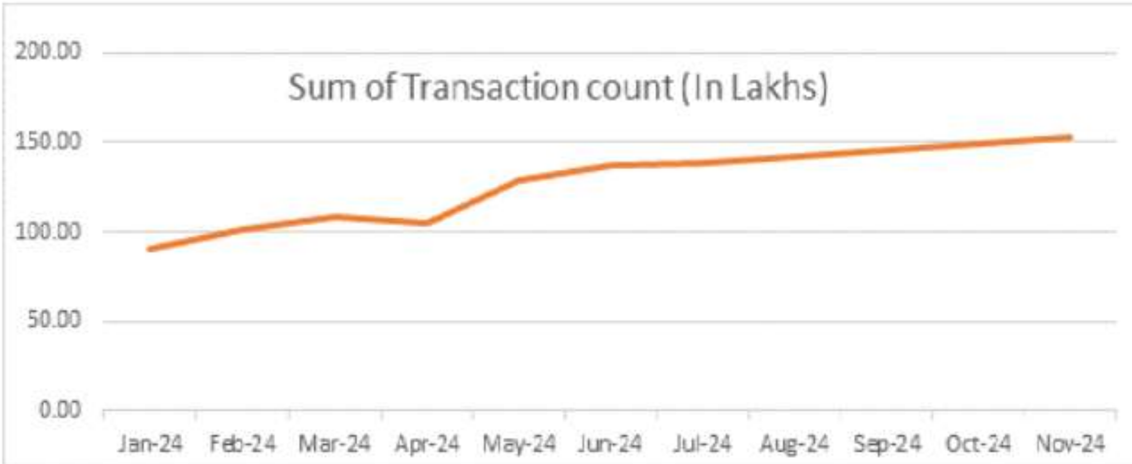

धन्वंतरि मॉड्यूल और बीमा मॉड्यूल के समवर्ती उपयोगकर्ताओं के लिए कनेक्शन पूल में सितंबर 2024 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मॉड्यूल के संचालन से संबंधित उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं/समस्याओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में घटकर एक तिहाई रह गई है। 1.5 करोड़ से अधिक के कुल लेनदेन के मुकाबले, रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या केवल 93 थी।

2. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना 'पंचदीप' की मुख्य विशेषताएं

2.1 क.रा.बी.निगम की ई-गवर्नेंस संरचना के पांच घटक इस प्रकार हैं: -

- **पहचान,** इसमें बीमाकृत व्यक्तियों) आईपी (की पहचान, प्रमाणीकरण और सत्यापन से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं। इसमें शुरुआत में बायोमेट्रिक्स) डुप्लिकेशन हटाने के लिए (लेना और हितलाभ प्राप्त करने के लिए दो पहचान पत्र) एक आईपी के लिए और एक परिवार के लिए (जारी करना शामिल था। बाद में, ई-पहचान के शामिल होने के साथ, इन्हें बंद कर दिया गया। अब ,आधार का उपयोग बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए किया जा सकता है। बीमाकृत व्यक्ति अपने बीमाकृत व्यक्ति संख्या का उपयोग करते हुए **आभा** आईडी भी जनित कर सकते हैं।
- **मिलाप** में नेटवर्क और बैंडविड्थ की व्यवस्था संबंधी सभी सेवाएं शामिल हैं।
- **पाषाण** में डेटा सेंटर का हार्डवेयर, आपदा समुत्थान केंद्र, डेस्कटॉप/पीसी और मिडलवेयर से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
- **धनवंतरी** में अस्पताल, औषधालय, बाह्य रोगी विभाग, अंतः रोगी विभाग, प्रयोगशालाएं, छायांकन सेवाओं से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं।
- ईआरपी, बीमा, हितलाभ, एचआरएमएस, सामग्री प्रबंधन और वित्त से संबंधित सभी सेवाओं के लिए **प्रगति** है।

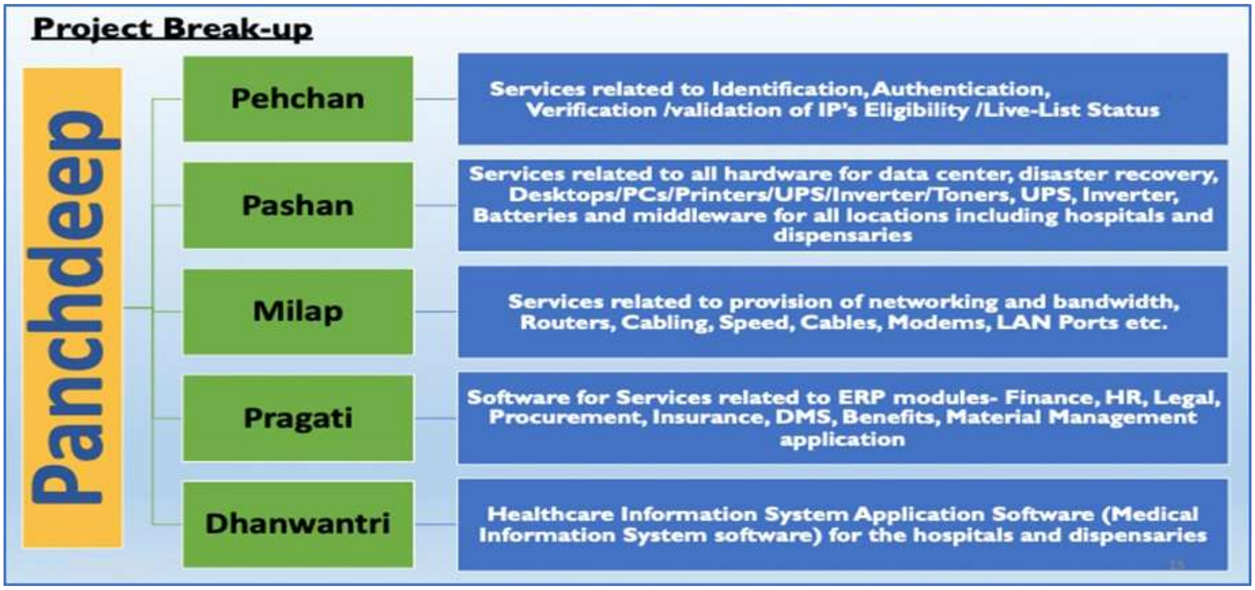

2.2 **पंचदीप अनुप्रयोग का सेट**

अनुप्रयोगों का यह सेट एक केंद्रीकृत वेब-आधारित समाधान है, जो क.रा.बीमा के विभिन्न कार्यालयों के उपयोगकर्ताओं को ,समर्पित एलएएन/डब्ल्यूएएन के अलावा ,वेब ब्राउज़रों से भी अनुप्रयोगों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह समाधान एक लचीले और विन्यास-योग्य कार्यप्रवाह इंजिन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जाता है कि यह क.रा.बी.योजना के कार्यप्रवाह से संबंधित सभी अपेक्षाओं जैसे प्रशासन, चिकित्सा सुविधाओं की अपेक्षा, नियोजकों दिया गया अंशदान तथा क.रा.बी.निगम के कर्मचारियों के प्रशासन, को पूरा करता हो। इस समाधान में योजना के अंतर्गत व्याप्त किए गए कर्मचारियों के लिए एक स्व-सेवा पोर्टल भी सम्मिलित है। मुख्य अनुप्रयोग प्रणाली नीचे दिए गए आरेख में दर्शायी गई है : -

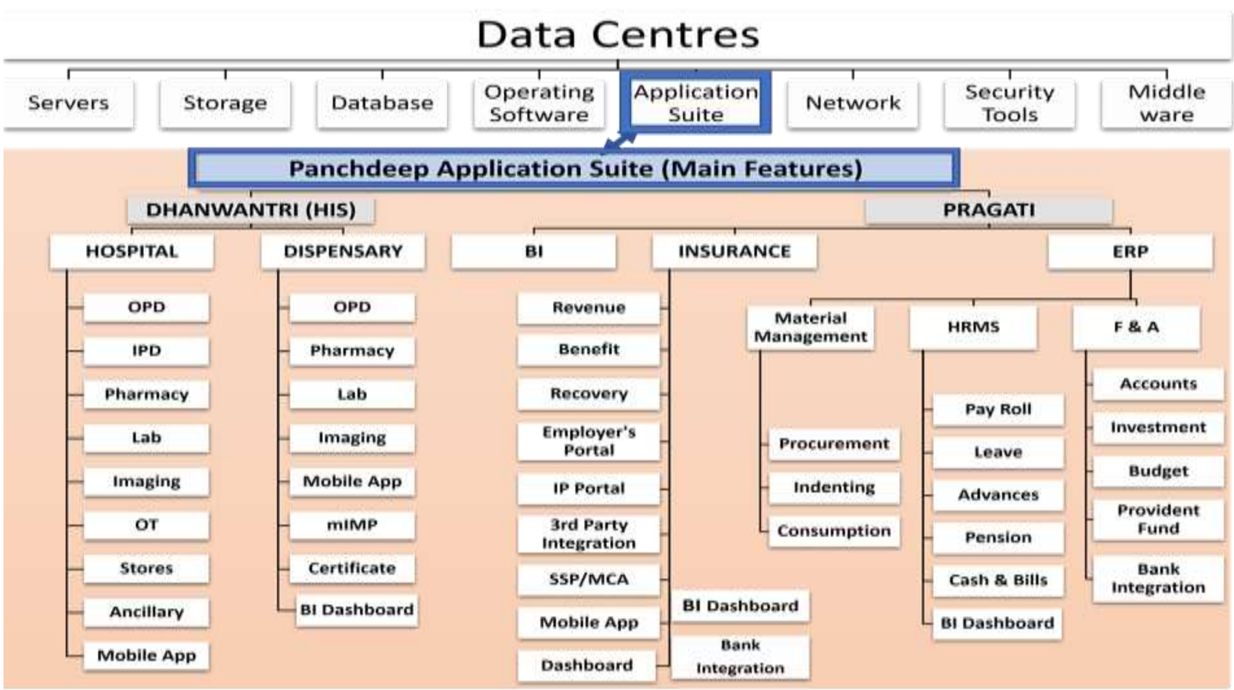

3. मॉड्यूल/एप्लिकेशन में हाल ही में हुए मूल्यवर्धित परिवर्तन

क) AAA+ मोबाइल ऐप का सुदृढ़ीकरण

आरंभ में" आपका अपॉइंटमेंट आसान "मोबाइल ऐप) AAA+ मोबाइल ऐप (को बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों को बटन क्लिक करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था, जिससे बाह्य रोगी विभाग अपॉइंटमेंट के लिए कतार में खड़े होने की आवश्यकता समाप्त हो गई। AAA+ मोबाइल ऐप को उन्नत सेवाओं के साथ सुदृढ़ किया गया है, जो बीमाकृत व्यक्तियों) आईपी(, क.रा.बी.निगम कर्मचारियों और क.रा.बी.निगम पेंशनभोगियों की पहुँच और सुविधा में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह ऐप अब बीमाकृत व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएँ प्रदान करता है :

- **स्व-चेक-इन जनरेशन**-ऐप उपयोगकर्ता) बीमाकृत व्यक्ति/लाभार्थी/कर्मचारी (अब अपॉइंटमेंट के दिन बुकिंग के लिए स्वयं चेक-इन जनरेट कर सकेंगे। उन्हें बाह्य रोगी विभाग चेक-इन बनाने के लिए औषधालय/अस्पताल में कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **बीमाकृत व्यक्ति व्यक्तिगत विवरण** : बीमाकृत व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच सकते हैं और उसे देख सकते हैं तथा अपने व्यक्तिगत विवरण के अद्यतन हेतु अनुरोधों की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं।
- **हितलाभों की पात्रता** : एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस बीमाकृत व्यक्ति को विभिन्न क.रा.बी.निगम हितलाभों के लिए अपनी पात्रता की आसानी से जाँच करने में सक्षम बनाता है।
- **ई-पहचान कार्ड** : बीमाकृत व्यक्ति तुरंत पहुँच के लिए अपने मोबाइल उपकरणों पर अपना ई-पहचान कार्ड सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
- **अंशदान विवरण** : बीमाकृत व्यक्ति अपनी बीमाकृत व्यक्ति संख्या से जुड़े अपने अंशदान का विस्तृत सारांश देख सकते हैं।
- **दावा सूचना अनुरोध स्थिति** : बीमाकृत व्यक्ति अपने प्रस्तुत दावा सूचना अनुरोधों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
- **घर से नमूना संग्रहण** : अनुरोध जनित करने की सुविधा।
- **आधार सीडिंग** - बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों के लिए स्वयं बीमाकृत व्यक्ति और क.रा.बी.निगम स्टाफ सदस्यों के माध्यम से आधार संख्या सीडिंग और एबीएचए नंबर जनित करने की व्यवस्था जोड़ी गई है।

इसके अतिरिक्त, अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए ऐप में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2023 से 2024 तक 177% की वृद्धि दर्शाती है। ये प्रयास क.रा.बी.निगम की अपने सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, परिचालन दक्षता बढ़ाने और समग्र लाभार्थी अनुभव में सुधार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

ख) लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग:

क.रा.बी.निगम ने एएए +मोबाइल ऐप, बीमाकृत व्यक्ति पोर्टल, नियोक्ता पोर्टल और स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आधार कार्ड को सीडिंग करने का प्रावधान किया है। क.रा.बी.निगम विभिन्न तरीकों जैसे बायोमेट्रिक, ओटीपी

या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार सीडिंग कर रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, नियोक्ताओं और स्टाफ लॉगिन में बल्क आधार सीडिंग का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) ABHA) विवरण तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, आधार सीडिंग के साथ एक प्रावधान भी जोड़ा गया है।

ग) चूककर्ताओं के लिए स्वचालित ईमेल सूचनाएँ-

मासिक चूककर्ता नियोक्ताओं) डीएल, डी2, डी3) को स्वचालित रूप से ईमेल भेजने के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे त्वरित संचार और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

घ) लाभार्थियों के लिए फोटोग्राफ लेना

क.रा.बी.निगम और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रस्तावित अभिसरण के अनुरूप, क.रा.बी.निगम ने बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों के फोटोग्राफ लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ङ) डैशबोर्ड

वरिष्ठ प्रबंधन को विश्लेषण के लिए कई नए डैशबोर्ड प्रदान किए गए हैं, जैसे कि अ.शा. पत्रों के लिए डैशबोर्ड, आंतरिक और बाह्य ऑडिट पैराग्राफ और चिकित्सा महाविद्यालयों और क.रा.बी.निगम अस्पतालों की सीसीटीवी निगरानी।

च) सतर्कता अनापत्ति मॉड्यूल

प्रक्रणण समय को कम करने और सतर्कता मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन सतर्कता अनापत्ति मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी रिपोर्ट आसानी से उपलब्ध हों।

छ) बैंक एकीकरण

क.रा.बी.निगम ने कई बैंकों के साथ एकीकरण किया है, जिससे 8 लाख से अधिक नियोक्ताओं के लिए भुगतान विकल्प उपलब्ध हो गए हैं ,जो अपने मासिक अंशदान के लिए चालान बनाते हैं। यह एकीकरण सुविधा को बढ़ाता है और नियोक्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

ज) अंतर/अंतः-क्षेत्रीय स्थानांतरण मॉड्यूल-

विभिन्न क.रा.बी.निगम संवर्गों के लिए नई नीति के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया मॉड्यूल लागू किया गया है। यह मॉड्यूल कर्मचारियों को स्थानांतरण विकल्प खोजने और सिस्टम के भीतर अपने अनुरोधों की प्रगति पर नज़र रखने की सुविधा देकर अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

ये पहल क.रा.बी.निगम द्वारा अपनी सेवाओं के आधुनिकीकरण, परिचालन दक्षता में सुधार और बीमाकृत व्यक्तियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और नियोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। इन निरंतर प्रगति के माध्यमों से, क.रा.बी.निगम अपने लाभार्थियों के कल्याण के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

23 प्रबंधन सेवा एकक

1. **सांसद/वीआईपी संदर्भ- :**

   प्रबंधन सेवा इकाई) एमएसयू (क.रा.बी.निगम मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों/शाखाओं द्वारा वीआईपी संदर्भों के उत्तर के लिए समन्वय करती है। 192 सांसद/वीआईपी संदर्भों का उचित प्रोटोकॉल के अनुसार निपटारा किया गया है।

2. **उत्पादकता संबद्ध बोनस- :**

   क.रा.बी.निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ष 24-2023 हेतु उत्पादकता संबद्ध बोनस) वै.सहा.लबी (की गणना की गई है।

3. **नागरिक/ग्राहक चार्टर की समीक्षा- :**

   क.रा.बी.निगम के वर्ष 2024 के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर को संशोधित किया गया है।

4. **प्रधानमंत्री गतिशक्ति-एनएमपी- :**

   वै.सहा.म गतिशक्ति की बारह (12) डेटा परतों की पहचान की गई है, और प्रधानमंत्री गतिशक्ति एनएमपी पर नौ (9) डेटा परतों को मैप किया गया है।

5. **गतिविधि सूची:**

   क.रा.बी.निगम मुख्यालय की सभी शाखाओं की गतिविधि सूची को संशोधित, प्रकाशित और क.रा.बी.निगम की सभी इकाइयों को वितरित किया गया है।

6. **आंचलिक बीमा आयुक्तों/आंचलिक चिकित्सा आयुक्तों के कार्य को सुव्यवस्थित करना**

   आंचलिक बीमा आयुक्तों/आंचलिक चिकित्सा आयुक्तों के कार्यालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, मुख्यालय स्थित बीमा आयुक्त) हितलाभ (आंचलिक बीमा आयुक्तों के संबंध में समन्वय अधिकारी होंगे और मुख्यालय स्थित चिकित्सा आयुक्त) चिकित्सा सेवाएँ (मुख्यालय स्थित महानिदेशक की सहायता के लिए आंचलिक चिकित्सा आयुक्तों के संबंध में समन्वय अधिकारी होंगे। इस संबंध में प्रबंधन सेवा एकक द्वारा एक सूचना जारी की गई है।

7. **क.रा.बी.निगम में समितियों का गठन और रणनीतिक पहलें:**

   एमएसयू द्वारा नवनियुक्त उप निदेशकों वाली पाँच समितियों का गठन किया गया है। ये समितियाँ संबंधित प्रभागों के साथ विचार-विमर्श और रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

   क) असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - बीमा आयुक्त (पी एंड डी)

   ख) संचार रणनीति - बीमा आयुक्त (पीआर)

   ग) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) - बीमा आयुक्त (आईसीटी

   घ) प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) - एफसी/एमसी (एमएस)

   ङ) लंबित बिलों का निपटारा और एआरएम का सुव्यवस्थीकरण - एमसी (प्रापण/एसएसटी)/बीमा आयुक्त (वै.सहा.मडी)

   एमएसयू माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार और सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों का भी समन्वय करता है।

24. ई-प्रापण/ई-बाजार स्थलों पर सरकार/स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) ई-प्रापण

अंतर्वस्तु	कार्रवाई रिपोर्ट/सूचना
ई-प्रापण	क.रा.बी.निगम ने दिनांक 01.02.2019 से एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल) सीपीपी पोर्टल (पर ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रकार, क.रा.बी.निगम ने भारत सरकार के दिनांक 17.05.2016 के निर्देश संख्या-2011/1/10 पीपीडी का अनुपालन किया है, जिसके तहत सभी निविदाओं की ई-प्रापण सीपीपी पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दी गई है।
सरकारी ई-मार्केट प्लेस	भारत सरकार के परिपत्र संख्या F--2016/4/26PPD, दिनांक 3 मई, 2016के अनुसार, सभी प्रापण GeM के माध्यम से किए जाने हैं। तदनुसार, क.रा.बी.निगम ने दिनांक 25.07.2017 को एक परिपत्र संख्या D-/11/13अखिल भारतीय परिपत्र-2016/सामान्य जारी किया, जिसमें सभी क्षे.का/उ.क्षे.का./अस्पतालों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद GeM के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, क.रा.बी.निगम भारत सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा है।
स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D-31016/3/2014-Admn-II, दिनांक 17.01.2017 के अनुसार, क.रा.बी.निगम ने दिनांक 01.04.2018 से शुरू होने वाली स्वच्छता कार्य योजना के दौरान स्वच्छता/जागरूकता अभियान के लिए गतिविधियाँ शुरू की हैं। ये निर्देश हर साल देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों/क.रा.बी.निगम अस्पतालों एवं चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालयों को अनुपालन हेतु भेजे जाते हैं।

25. **<u>कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में सामान्य सूचना और सांख्यिकीय आंकड़े</u>**

क.रा.बी योजना के अंतर्गत हितलाभ, व्याप्ति आदि के बारे में सामान्य सूचना तथा योजना से संबंधित नवीनतम सांख्यिकीय आंकड़ों का सार निम्नलिखित संलग्नकों में दिया गया है।

क्रम सं.	**विवरण**	**संलग्नक**	**पृष्ठ सं.**
1.	क.रा.बी. योजना के संबंध में सामान्य सूचना	**संलग्नक - I** (क और ख)	**89-91**
2.	हितलाभ एवं अंशदायी शर्तें	**संलग्नक - II**	**92-96**
3.	क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय / औषधालय-सह-शाखा कार्यालय की सूची	**संलग्नक - III**	**97-117**
4.	निगम का राजस्व एवं व्यय	**संलग्नक - IV**	**118**
5.	दिनांक 01.01.2024 की स्थिति के अनुसार आईएसएम/आयुष के अंतर्गत की गई प्रगति	**संलग्नक - V**	**119-127**
6.	दर संविदा तैयार करने की प्रक्रिया	**संलग्नक - VI**	**128-130**

<u>संलग्नक -1 (क)</u>

25 (1) कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संबंधित सामान्य जानकारी

(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्ति :

i. यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले कारखानों पर लागू होता है।

ii. अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत, योजना का विस्तार 33 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक व्याप्ति करने योग्य कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रिव्यू थिएटर, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों सहित दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमाघर तक (अरूणाचल प्रदेश, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर) कर दिया गया है।

iii. इस योजना को अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों (अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर) तथा 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निजी चिकित्सा संस्थानों (अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप तथा पुदुच्चेरी को छोड़कर) में विस्तारित किया गया है।

iv. इस योजना का विस्तार 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नगर निगम और नगर निकायों के संविदा तथा आकस्मिक कर्मचारियों के लिए भी किया गया है।

v. दिनांक 01.01.2017 से अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए मौजूदा मजदूरी-सीमा 21000/- रूपये प्रति माह है (नि:शक्त व्यक्तियों के मामले में रु. 25000/- प्रतिमाह है)।

(ख) व्याप्ति क्षेत्र :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को जिलेवार चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

- **राज्य :** सभी राज्य ।
- **संघ राज्य क्षेत्र :** सभी संघ राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित ।

36 अधिसूचित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पूरे क्षेत्र को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्ति के लिए अधिसूचित किया गया है ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार (विजन 2022)

दूसरी पीढ़ी के सुधारों नामतः एसिक 2.0 में "कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्याप्ति का विस्तार" के लिए कार्यसूची सम्मिलित है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार अपेक्षित था, ताकि इस योजना को 393 पूर्ण जिलों में लागू किया जा सके, जहां योजना को आंशिक रूप से लागू किया गया था। पूर्व में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार चिकित्सा अवसंरचना की स्थापना के बाद उन केंद्रों में किया गया था जहां राजस्व गांवों का एक समूह शामिल था और पर्याप्त संख्या में व्याप्ति योग्य कर्मचारी मौजूद थे। एसिक 2.0 के अंतर्गत योजना का विस्तार पूर्ण जिलों में किया जा रहा है जो कि केंद्रित क्षेत्र की अवधारणा से हटकर था और इसलिए व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता

थी। एसिक 2.0 पहल के आरंभ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया था। एसिक 2.0 के दूसरी पीढ़ी के सुधारों में आगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने विजन-2022 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्याप्ति पूरे देश में करने की कार्य योजना तैयार की है।

वर्तमान में योजना का विस्तार 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक किया गया है। एसिक 2.0 के प्रारम्भ के बाद से कर्मचारी राज्य बीमा योजना का बड़े पैमाने पर भौगोलिक विस्तार हुआ है और दिनांक 01.01.2024 तक इस योजना का विस्तार देश के 661 जिलों तक हो गया है, जिसमें 556 जिले पूर्ण रूप से अधिसूचित और 105 आंशिक रूप से अधिसूचित जिले शामिल है। यह योजना 117 जिलों में अधिसूचित नहीं है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल चिकित्सा व्यवस्था में राज्यों के साथ कुछ मुद्दों के परिणामस्वरूप व्याप्ति की गति धीमी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उन स्थानों पर चिकित्सा देखभाल की पूर्ति करने की पहल की है, जहां राज्य सरकारों की ओर से इसकी कमी है, ताकि समय-सीमा के अनुसार व्याप्ति का विस्तार किया जा सके।

<u>अनुलग्नक-I (ख)</u> क.रा.बी. योजना से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े (अखिल भारतीय)

क्र .सं.	शीर्ष	अखिल भारतीय	
		31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
1	कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	30542660	31487120
2	कवर किए गए आईपी की संख्या	34297410	37206090
3	लाभार्थियों की संख्या	133073951	144359629
4	बीमित महिलाओं की संख्या	6760814	7532009
5	पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या	2083340	2223808
6	योगदान देने वाले नियोक्ता की संख्या	706552	713352

<u>संलग्नक -II</u>

25(2). हितलाभ एवं अंशदायी शर्तें

हितलाभ एवं अंशदायी शर्तें

क्र.सं.	हितलाभों के नाम	अंशदायी शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की प्रमात्रा
(i) (क)	**बीमारी हितलाभ**	सुसंगत अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों के लिए भुगतान	किन्हीं दो क्रमागत हितलाभ अवधियों में 91 दिन	(दैनिक औसत मजदूरी का 70 प्रतिशत)
(ख)	**विस्तारित बीमारी हितलाभ** (34 **विनिर्दिष्ट दीर्घकालिक बीमारियों हेतु**)	दो वर्ष की अवधि से निरंतर रोजगार और चार क्रमागत अंशदान अवधियों में 156 दिनों का अंशदान	दो वर्ष (अधिकतम)	दैनिक औसत मजदूरी का 80 प्रतिशत
(ग)	**वर्धित बीमारी हितलाभ** (**परिवार नियोजन के लिए नसबंदी ऑपरेशन करवाना**)	बीमारी हितलाभ के समान	पुरुष नसबंदी के लिए 7 दिन और महिला नसबंदी के लिए 14 दिन; ऑपरेशन के उपरांत उत्पन्न जटिलताओं आदि के मामलों में वर्धनीय ।	दैनिक औसत मजदूरी का 100 प्रतिशत
(ii)	**नि:शक्तता हितलाभ (रोजगार चोट)**	नि:शक्तता हितलाभ के अंतर्गत दो प्रकार के हितलाभ आते हैं जो इस प्रकार हैं:		
(क)	**अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ**	रोजगार चोट की तिथि को वह एक कर्मचारी होना/होनी चाहिए	अक्षमता रहने तक	दैनिक औसत मजदूरी का 90 प्रतिशत
(ख)	**स्थायी नि:शक्तता हितलाभ**	-वही-	आजीवन	कामगारों की अर्जन क्षमता की हानि पर निर्भर करता है जो कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है
(iii)	**आश्रितजन हितलाभ (नियम 58)**	घातक दुर्घटना की तिथि को मृतक एक कर्मचारी होना चाहिए	1. विधवा/विधवाओं को आजीवन या पुनर्विवाह तक	आश्रितजनों के बीच निर्धारित अनुपात में

			2. विधवा मां को आजीवन। 3. वैध या दत्तक पुत्र को जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। 4. वैध या दत्तक पुत्री को विवाह तक। 5. वैध या दत्तक पुत्र या पुत्री को जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी आय पर पूर्णरूप से आश्रित हो, जो पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जो अशक्त हैं, उनकी अशक्तता बनी रहने तक। 6. अन्य आश्रितों को आजीवन या विवाह तक या 18 वर्ष की आयु तक, जैसा भी मामला हो	बांटी जाने वाली दैनिक औसत मजदूरी का 90**%**
(iv)	**मातृत्व हितलाभ**	दो लगातार अंशदान अवधियों से ठीक पहले 70 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान	बीमाकृत महिला 26 सप्ताह के लिए मातृत्व हितलाभ की हकदार होगी, जो प्रसवावस्था की अनुमानित तिथि के पूर्ववर्ती 8 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता। एक (कमीशनिंग) माता तथा गोद लेने वाली माता 12 सप्ताह के लिए मातृत्व हितलाभ की पात्र हैं।	दैनिक औसत मजदूरी का 100%

			गर्भपात के लिए 6 सप्ताह और गर्भावस्था/ प्रसवावस्था/समय पूर्व बच्चे के जन्म या गर्भपात के कारण उत्पन्न बीमारी के लिए एक अतिरिक्त माह दिया जाता है। दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाली बीमाकृत महिला 12 (बारह) सप्ताह की अवधि के दौरान मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसमें से छह सप्ताह से अधिक की अवधि प्रसूति की अपेक्षित तिथि से पहले नहीं होगी।	
(v)	**अंत्येष्टि व्यय**	मृत्यु की तिथि को वह एक बीमाकृत व्यक्ति होना चाहिए।	---	रु. 15000/-
(vi)	**पुनर्वास भत्ता**	चिकित्सा हितलाभ की पात्रता या यदि रोजगार चोट के कारण नि:शक्तता हो गई हो।	प्रत्येक दिन के लिए जिसमें बीमाकृत व्यक्ति कृत्रिम अंग लगवाने/मरम्मत या प्रतिस्थापन हेतु कृत्रिम अंग-केंद्र में भर्ती रहता है।	दैनिक औसत मजदूरी का 100%।
(vii)	**सेवा निवृत्त/नि:शक्त बीमाकृत व्यक्तियों तथा उसका/उसकी पति/पत्नी के लिए चिकित्सा हितलाभ**	एक वर्ष के लिए प्रतिमाह 10/- रुपये के एकमुश्त अग्रिम भुगतान पर (I) बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर बीमा योग्य रोजगार से या स्वैच्छिक (ii) बीमाकृत व्यक्ति जो रोजगार चोट के कारण स्थायी नि:शक्तता होने पर	अवधि जिसके लिए वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया है।	पूर्ण चिकित्सा देखरेख।

		बीमायोग्य रोजगार में नहीं रहे; चिकित्सा देखरेख प्राप्त करते हैं। (iii) यह हितलाभ उन बीमाकृत व्यक्तियों की विधवाओं को भी उस तिथि तक जिसको बीमाकृत व्यक्ति/ बीमाकृत महिला अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होंगी, उपलब्ध करवाया जाएगा जो नियम 60 के अंतर्गत यथानिर्धारित अंशदान के भुगतान पर आश्रितजन हितलाभ प्राप्त कर रही हैं।		
(viii)	**प्रसूति व्यय**	बीमाकृत महिला या बीमाकृत व्यक्ति को उसकी पत्नी के संबंध में ऐसे मामले में जहां क.रा.बी. संस्थाओं में प्रसूति की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	केवल दो प्रसूतियों तक	प्रति मामला 7500/-रु.
(ix)	**स्थायी निशक्तता: हितलाभ लाभार्थियों के अन्तर्गत व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता कौशल विकास योजना**	आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा रोजगार चोट के कारण 40% से कम नि:शक्तता न होने पर।	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में प्रशिक्षण के सभी दिन	123/- रुपये प्रतिदिन या व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र द्वारा वास्तव में ली गई राशि, जो भी अधिकतम हो।
(x)	**राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता**	बीमाकृत व्यक्ति जिसने कारखाने के बन्द होने, छंटनी होने अथवा गैर-रोजगार चोट के कारण न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी नि:शक्तता होने के कारण रोजगार खो दिया हो तथा रोजगार खोने से पहले न्यूनतम दो वर्ष के लिए उसके संबंध में अंशदान का भुगतान कर दिया गया हो /देय हो।	दिनांक 06.09.2016 से जीवनकाल के दौरान अधिकतम दो वर्ष की अवधि।	बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला निम्नलिखित स्लैब के अनुसार हितलाभ प्राप्त करेंगे : 0 से 12 माह: औसत दैनिक मजदूरी का 50% 13 से 24 माह: औसत दैनिक मजदूरी का 25%
(xi)	**व्यावसायिक पुनर्वास कौशल विकास योजना**	बीमाकृत व्यक्ति/ बीमाकृत महिला राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना	उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं	संस्थाओं द्वारा लिए गए सम्पूर्ण शुल्क का

	(राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत)	के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करता होना/करती होनी चाहिए।	(एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन) में दस सप्ताह की अल्पावधि या छह माह तक की लम्बी अवधि के अन्य पाठ्यक्रम।	भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति/ बीमाकृत महिला जिसे ए.वी.टी.आई. में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा करनी हो, को रेल/बस किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है।
(xii)	**स्थायी नि:शक्तता हितलाभ लाभार्थियों को जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु वाहन भत्ता**	वाहन भत्ता	स्थायी नि:शक्तता हितलाभ (पीडीबी) हितलाभार्थियों को वाहन भत्ता के संबंध में।	इस योजना के अंतर्गत, वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए शाखा कार्यालय के अपने निजी दौरे पर स्थायी नि:शक्तता हितलाभ (पीडीबी) लाभार्थियों को रु.100/- का वाहन भत्ता दिया जाता है।
(xiii)	**अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना** (**एबीवीकेवाई**)	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना उन बीमाकृत व्यक्तियों को जो बेरोजगार हो जाते हैं औसत दैनिक मजदूरी के 50% की दर से नब्बे (90) दिनों तक नकद मुआवजे के रूप में राहत प्रदान करती है; बशर्ते कर्मचारी के बीमा योग्य रोजगार का एक वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और राहत के दावे से ठीक पहले एक अवधि में अंशदान अठहत्तर (78) दिनों से कम न दिया गया हो।	बेरोजगार होने पर जीवन में एक बार, नब्बे (90) दिनों तक का नकद मुआवजा एक अथवा अधिक अवधियों में दावा कर सकता है।	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अन्तर्गत राहत की प्रतिदिन दर प्रतिदिन औसत अर्जन आय का 50% है।

संलग्नक - III

25(3) क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय/औषधालय-सह-शाखा कार्यालय/शाखा कार्यालय की सूची/ शिविर-सह-संपर्क कार्यालय की सूची

क) क्षेत्रीय कार्यालय की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का स्थान
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2	असम	गुवाहाटी
3	बिहार	पटना
4	छत्तीसगढ़	रायपुर
5	दिल्ली	राजेंद्र प्लेस ,दिल्ली
6	गोवा	पंजी
7	गुजरात	अहमदाबाद
8	हरियाणा	फरीदाबाद
9	हिमाचल प्रदेश	बद्दी
10	जम्मू व कश्मीर	जम्मू
11	झारखंड	रांची
12	कर्नाटक	बिन्नीपेठ
13	केरल	त्रिशूर
14	मध्य प्रदेश	इंदौर
15	महाराष्ट्र	मुंबई
16	उड़ीसा	भुवनेश्वर
17	पुदुचेरी	पुदुचेरी
18	पंजाब	चंडीगढ़
19	राजस्थान	जयपुर
20	तमिलनाडु	चेन्नै
21	तेलंगाना	हैदराबाद
22	उत्तर प्रदेश	कानपुर
23	उत्तराखंड	देहरादून
24	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

ख) उप-क्षेत्रीय कार्यालय की सूची :-

क्रम सं.	राज्य का नाम	उप क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या	उप क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान
1	आंध्र प्रदेश	2	विशाखापत्तनम
2			तिरुपति
3	दिल्ली	3	ओखला
4			रोहिणी
5			नंदनगरी
6	गुजरात	2	सूरत
7			वडोदरा

8	हरियाणा	2	गुड़गाँव
9			करनाल
10	कर्नाटक	6	मंगलौर
11			मैसूर
12			बोम्मासंद्रा
13			हुबली
14			पीण्या
15			गुलबर्गा
16	केरल	4	एर्नाकुलम
17			कोल्लम
18			कोझिकोड
19			तिरुवनंतपुरम
20	महाराष्ट्र	6	औरंगाबाद
21			मरोल
22			नागपुर
23			पुणे
24			ठाणे
25			नासिक
26	मध्य प्रदेश	1	भोपाल
27	ओड़िशा	1	झारसुगुडा
28	पंजाब	2	लुधियाना
29			जालंधर
30	राजस्थान	3	उदयपुर
31			अलवर
32			जोधपुर
33	तमिलनाडु	4	कोयंबत्तूर
34			मदुरै
35			सलेम
36			तिरुनवेल्ली
37	उत्तर प्रदेश	3	नोएडा
38			लखनऊ
39			वाराणसी
40	पश्चिम बंगाल	2	दुर्गापुर
41			बैरकपुर

(ग) जिलावार प्रकार्यात्मक औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)

कार्यात्मक औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)

क्रम सं.	अंचल/राज्य का नाम	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) की संख्या	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) का नाम	स्थिति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1	पोर्ट ब्लेयर	कार्यात्मक (शा.प्र.)
2	आंध्र प्रदेश	4	अनकापल्ले, विशाखापत्तनम	कार्यात्मक
3			गुंटूर	कार्यात्मक
4			श्रीकाकुलम	कार्यात्मक
5			तिरुपति, चित्तूर	कार्यात्मक
6	अरुणाचल प्रदेश	1	ईटानगर, पापुम पारे	कार्यात्मक
7	असम	1	मंगलदोई, दरांग	कार्यात्मक
8	बिहार	12	आरा, भोजपुर	कार्यात्मक
9			बेगूसराय	कार्यात्मक
10			भागलपुर	कार्यात्मक
11			बिहारशरीफ, नालंदा	कार्यात्मक
12			डालमियानगर, रोहतास	कार्यात्मक
13			दरभंगा	कार्यात्मक
14			गया	कार्यात्मक
15			हाजीपुर, वैशाली	कार्यात्मक
16			कटिहार	कार्यात्मक
17			मुजफ्फरपुर	कार्यात्मक
18			पटना	कार्यात्मक
19			समस्तीपुर	कार्यात्मक
20	छत्तीसगढ़	1	राजनंदगांव	कार्यात्मक
21	गुजरात	3	अंकलेश्वर, भरूच	कार्यात्मक
22			भावनगर	कार्यात्मक
23			वापी, वलसाड	कार्यात्मक
24	हरियाणा	2	बहादुरगढ़	कार्यात्मक
25			सेक्टर 15-ए, फरीदाबाद	कार्यात्मक
26	हिमाचल प्रदेश	1	नागचला, मंडी	कार्यात्मक
27	जम्मू व कश्मीर	6	कठुआ	कार्यात्मक
28			कटरा, रियासी	कार्यात्मक
29			सांबा	कार्यात्मक
30			श्रीनगर	कार्यात्मक
31			उधमपुर	कार्यात्मक
32			लेह (लद्दाख)	कार्यात्मक
33	झारखंड	7	डाल्टनगंज, पलामू	कार्यात्मक
34			गढ़वा	कार्यात्मक
35			घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम	कार्यात्मक
36			गोड्डा	कार्यात्मक

37			हज़ारीबा	कार्यात्मक
38			खूंटी	कार्यात्मक
39			साहिबगंज	कार्यात्मक
40	कर्नाटक	6	चामराजनगर	कार्यात्मक
41			चिकबलपुर	कार्यात्मक
42			चिक्कामगलुरु	कार्यात्मक
43			हावेरी	कार्यात्मक
44			कारवार, उत्तर कन्नड़	कार्यात्मक
45			कोडागू	कार्यात्मक
46	केरल	2	मुन्नार, इडुक्की	कार्यात्मक
47			तझेकोड, मलप्पुरम	कार्यात्मक
48	मध्य प्रदेश	9	बीना, सागर	कार्यात्मक
49			छिंदवाड़ा	कार्यात्मक
50			होशंगाबाद	कार्यात्मक
51			खंडवा	कार्यात्मक
52			खरगोन, सनावद	कार्यात्मक
53			खोर, नीमच	कार्यात्मक
54			रीवा	कार्यात्मक
55			शाजापुर	कार्यात्मक
56			सिंगरौली	कार्यात्मक
57	महाराष्ट्र	22	अहमदनगर	कार्यात्मक
58			बीड	कार्यात्मक
59			भंडारा	कार्यात्मक
60			कोलाबा, मुंबई	कार्यात्मक
61			गडचिरोली	कार्यात्मक
62			गोंदिया	कार्यात्मक
63			जलना	कार्यात्मक
64			खामगाँव, बुलढाणा	कार्यात्मक
65			कोरपना, चंद्रपुर	कार्यात्मक
66			लातूर	कार्यात्मक
67			मुरबाद, ठाणे	कार्यात्मक
68			उस्मानाबाद	कार्यात्मक
69			पालघर	कार्यात्मक
70			पनवेल, रायगढ़	कार्यात्मक
71			रत्नागिरि	कार्यात्मक
72			सांगली	कार्यात्मक
73			सिंधुदुर्ग	कार्यात्मक
74			सिन्नर, नासिक	कार्यात्मक
75			वालुज, औरंगाबाद	कार्यात्मक
76			वर्धा	कार्यात्मक
77			वाशिम	कार्यात्मक
78			यवतमाल	कार्यात्मक
79	मणिपुर	1	इम्फाल पश्चिम	कार्यात्मक

84	उड़ीसा	1	वेदव्यास, सुंदरगढ़	कार्यात्मक
85	पंजाब	3	बरनाला	कार्यात्मक
86			फिरोजपुर	कार्यात्मक
87			राजपुरा, पटियाला	कार्यात्मक
88	राजस्थान	7	अजमेर	कार्यात्मक
89			चित्तौड़गढ़	कार्यात्मक
90			चुरू	कार्यात्मक
91			झुंझुनू	कार्यात्मक
92			जोधपुर	कार्यात्मक
93			पाली	कार्यात्मक
94			उदयपुर	कार्यात्मक
95	तमिलनाडु	1	अम्बत्तूर औद्योगिक एस्टेट, चेन्नै	कार्यात्मक
96	तेलंगाना	10	बीबीनगर, यदाद्रि भुवनगिरि	कार्यात्मक
97			एलबी नगर, रंगारेड्डी	कार्यात्मक
98			महबूबनगर	कार्यात्मक
99			निजामाबाद	कार्यात्मक
100			रामागुंडम, पेडापल्ली	कार्यात्मक
101			सदाशिवपेट, संगारेड्डी	कार्यात्मक
102			सनतनगर, हैदराबाद	कार्यात्मक
103			सिरपुर कागज नगर, कोमरमभीम-आसिफाबाद	कार्यात्मक
105			वारंगल शहरी	कार्यात्मक
106	उत्तर प्रदेश	2	हापुड़	कार्यात्मक
107			कानपुर देहात	कार्यात्मक
108	पश्चिम बंगाल	4	बांकुड़ा	कार्यात्मक
109			फाल्टा, दक्षिण 24परगना	कार्यात्मक
110			हल्दिया, पूर्व मेदिनीपुर	कार्यात्मक
111			मालदा	कार्यात्मक
112	**कुल**	**107**		

(घ) शाखा कार्यालयों की सूची

क्रम सं.	अंचल का नाम	शाखा कार्यालयों की संख्या	शाखा कार्यालय का नाम	वह जिला जिसमें शाखा कार्यालय स्थित है	कार्यात्मक/गैर-कार्यात्मक
1	आंध्र प्रदेश	20	अनंतपुर	अनंतपुर जिला	कार्यात्मक
2			ऑटो नगर, एनटीआर	एनटीआर	कार्यात्मक
3			चित्तिवलासा	विशाखापत्तनम	कार्यात्मक
4			चित्तूर	चित्तूर जिला	कार्यात्मक
5			एलुरु	एलुरु	कार्यात्मक
6			गजुवाका	विशाखापत्तनम	कार्यात्मक
7			गांधी नगर, एनटीआर	एनटीआर	कार्यात्मक

8			हिन्दुपुर	सत्य साईं जिला	कार्यात्मक
9			कडपा	कडप्पा जिला	कार्यात्मक
10			काकीनाडा	काकीनाडा	कार्यात्मक
11			कुरनूल	कुरनूल जिला	कार्यात्मक
12			मदनपल्ली	अन्नामैया जिला	कार्यात्मक
13			एनटीआर		कार्यात्मक
14			ओंगोल	प्रकाशम	कार्यात्मक
15			राजमुंदरी	पूर्वी गोदावरी	कार्यात्मक
16			टनुकु	पश्चिम गोदावरी	कार्यात्मक
17			श्रीरामनगर	विजयनगरम	कार्यात्मक
18			श्री पोट्टिस्रिरामुलु नेल्लोर	श्री पोट्टिस्रिरामुलु नेल्लोर	कार्यात्मक
19			विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	कार्यात्मक
20			विजयनगरम	विजयनगरम	कार्यात्मक
21	बिहार	8	बंजारी	रोहतास	कार्यात्मक
22			दीघा	पटना	कार्यात्मक
23			दुमरांव	बक्सर	कार्यात्मक
24			कहलगांव	पटना	कार्यात्मक
25			मोकामा	पटना	कार्यात्मक
26			मुंगेर	मुंगेर	कार्यात्मक
27			पटना	पटना	कार्यात्मक
28			पटना शहर	पटना	कार्यात्मक
29	छत्तीसगढ़	10	बेमेतरा	बेमेतरा	कार्यात्मक
30			बिलासपुर	बिलासपुर	कार्यात्मक
31			भिलाई	दुर्ग	कार्यात्मक
32			धमतरी	धमतरी	कार्यात्मक
33			कोरबा	कोरबा	कार्यात्मक
34			मंदिर हसौद	रायपुर	कार्यात्मक
35			मुंगेली	मुंगेली	कार्यात्मक
36			रायगढ़	रायगढ़	कार्यात्मक
37			रायपुर	रायपुर	कार्यात्मक
38			उरला	रायपुर	कार्यात्मक
39	दिल्ली	4	मायापुरी	नई दिल्ली	कार्यात्मक
40			किशनगंज	मध्य दिल्ली	कार्यात्मक
41			मोरी गेट	मध्य दिल्ली	कार्यात्मक
42			करमपुरा	पश्चिमी दिल्ली	कार्यात्मक
43	नई दिल्ली	4	आश्रम	दक्षिण दिल्ली	कार्यात्मक
44			कालकाजी	दक्षिण दिल्ली	कार्यात्मक
45			ओखला	दक्षिण दिल्ली	कार्यात्मक
46			पालम	दक्षिण पश्चिम	कार्यात्मक
47	दिल्ली	2	शाखा कार्यालय, बादली	उत्तर-पश्चिम	कार्यात्मक
48			शाखा कार्यालय, नरेला	उत्तर	कार्यात्मक
49	नई दिल्ली	2	शाखा कार्यालय, नांगलोई	पश्चिम	कार्यात्मक

50			शाखा कार्यालय, अशोक विहार	उत्तर-पश्चिम	कार्यात्मक
51	दिल्ली	2	शाखा कार्यालय- शाहदरा	उत्तर पूर्वी दिल्ली	कार्यात्मक
52			शाखा कार्यालय- सब्जी मंडी	उत्तरी दिल्ली	कार्यात्मक
53	गोवा	5	पणजी	उत्तरी गोवा	कार्यात्मक
54			मापुसा	उत्तरी गोवा	कार्यात्मक
55			पोंडा	दक्षिण गोवा	कार्यात्मक
56			वास्को	दक्षिण गोवा	कार्यात्मक
57			मार्गो	दक्षिण गोवा	कार्यात्मक
58	गुजरात	33	असरवा	अहमदाबाद	कार्यात्मक
59			बापूनगर	अहमदाबाद	कार्यात्मक
60			शहर	अहमदाबाद	कार्यात्मक
61			दरियापुर	अहमदाबाद	कार्यात्मक
62			गोमतीपुर	अहमदाबाद	कार्यात्मक
63			इसानपुर	अहमदाबाद	कार्यात्मक
64			जमालपुर	अहमदाबाद	कार्यात्मक
65			खोखरा	अहमदाबाद	कार्यात्मक
66			नरोदा रोड	अहमदाबाद	कार्यात्मक
67			नरोदा औद्योगिक एस्टेट	अहमदाबाद	कार्यात्मक
68			ओधव	अहमदाबाद	कार्यात्मक
69			वटवा	अहमदाबाद	कार्यात्मक
70			गांधीनगर	गांधीनगर	कार्यात्मक
71			जामनगर (भुगतान कार्यालय पोरबंदर सहित)	जामनगर	कार्यात्मक
72			कलोल (एनजी)	गांधीनगर	कार्यात्मक
73			कादी (भुगतान कार्यालय विरामगाम सहित)	मेहसाणा	कार्यात्मक
74			मेहसाणा	मेहसाणा	कार्यात्मक
75			मोरबी	मोरबी	कार्यात्मक
76			राजकोट (वेतन कार्यालय जूनागढ़ सहित)	राजकोट	कार्यात्मक
77			सुरेन्द्र-नगर (भुगतान कार्यालय ध्रांगध्रा सहित)	सुरेंद्रनगर	कार्यात्मक
78			वांकानेर (भुगतान कार्यालय थांगध सहित)	मोरबी	कार्यात्मक
79			भरूच	भरूच	कार्यात्मक
80			गोरवा	वडोदरा	कार्यात्मक
81			हलोल	पंचमहल	कार्यात्मक

82			कलोल (पीएम)	पंचमहल	कार्यात्मक
83			मकरपुरा	वडोदरा	कार्यात्मक
84			नाडियाड	खेड़ा	कार्यात्मक
85			पानीगेट	वडोदरा	कार्यात्मक
86			सलाबतपुरा (पीओ सचिन और कडोदरा के साथ)	सूरत	कार्यात्मक
87			लाल दरवाजा	सूरत	कार्यात्मक
88			नवसारी	नवसारी	कार्यात्मक
89			जूनागढ़	जूनागढ़	कार्यात्मक
90			पोरबंदर	पोरबंदर	कार्यात्मक
91			अंबाला	अंबाला	कार्यात्मक
92			भिवानी	भिवानी	कार्यात्मक
93			धारूहेड़ा	रेवाड़ी	कार्यात्मक
94			डुंडाहेरा	गुरुग्राम	कार्यात्मक
95			गुरुग्राम	गुरुग्राम	कार्यात्मक
96			हिसार	हिसार	कार्यात्मक
97			जगाधरी	यमुनानगर	कार्यात्मक
98	हरियाणा	17	मानेसर	गुरुग्राम	कार्यात्मक
99			एनआईटी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	कार्यात्मक
100			पानीपत	पानीपत	कार्यात्मक
101			पंचकुला	पंचकुला	कार्यात्मक
102			राय	सोनीपत	कार्यात्मक
103			रोहतक	रोहतक	कार्यात्मक
104			सेक्टर-24, फरीदाबाद	फरीदाबाद	कार्यात्मक
105			सेक्टर-27बी-फरीदाबाद	फरीदाबाद	कार्यात्मक
106			सेक्टर-8, फरीदाबाद	फरीदाबाद	कार्यात्मक
107			सोनीपत	सोनीपत	कार्यात्मक
108			बद्दी	सोलन	कार्यात्मक
109			काला अम्ब	सिरमौर	कार्यात्मक
110			मेहतपुर	ऊना	कार्यात्मक
111	हिमाचल प्रदेश	7	नालागढ़	सोलन	कार्यात्मक
112			पांवटा साहिब	सिरमौर	कार्यात्मक
113			परवाणू	सोलन	कार्यात्मक
114			बिलासपुर	बिलासपुर	कार्यात्मक
115	जम्मू व कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)	1	बीओ जम्मू	जम्मू	कार्यात्मक
116			आदित्यपुर	सरायकेला-खारसांवा	कार्यात्मक
117			बोकारो	बोकारो	कार्यात्मक
118	झारखंड	14	धनबाद	धनबाद	कार्यात्मक
119			गिरिडीह	गिरिडीह	कार्यात्मक
120			गोलमुरी	पूर्वी सिंहभूम	कार्यात्मक

121			गुमला	गुमला	कार्यात्मक
122			जसीडीह	देवघर	कार्यात्मक
123			झुमरीतिलैया	कोडरमा	कार्यात्मक
124			कुमारधुबी	धनबाद	कार्यात्मक
125			कोकर	रांची	कार्यात्मक
126			निरसचट्टी	धनबाद	कार्यात्मक
127			पाकुड़	पाकुड़	कार्यात्मक
128			रामगढ़	रामगढ़	कार्यात्मक
129			सिमडेगा	सिमडेगा	कार्यात्मक
130	कर्नाटक	47	पीन्या I	बेंगलुरु	कार्यात्मक
131			पीन्या II	बेंगलुरु	कार्यात्मक
132			मल्लेश्वरम	बेंगलुरु	कार्यात्मक
133			यशवंतपुरा	बेंगलुरु	कार्यात्मक
134			येलाहंका	बेंगलुरु	कार्यात्मक
135			तुमकुरु	तुमकुरु	कार्यात्मक
136			एनजीईएफ	बेंगलुरु	कार्यात्मक
137			बसवनगुड़ी	बेंगलुरु	कार्यात्मक
138			आलीशान	बेंगलुरु	कार्यात्मक
139			मगदी रोड	बेंगलुरु	कार्यात्मक
140			मैसूर रोड	बेंगलुरु	कार्यात्मक
141			शेषाद्रीपुरम	बेंगलुरु	कार्यात्मक
142			क्वींस रोड	बेंगलुरु	कार्यात्मक
143			राजाजीनगर	बेंगलुरु	कार्यात्मक
144			केजीएफ	कोलारा	कार्यात्मक
145			चन्नापटना	रामनगर	कार्यात्मक
146			भद्रावती	शिवमोगा	कार्यात्मक
147			बेलगावी	बेलगावी	कार्यात्मक
148			चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	कार्यात्मक
149			दांडेली	उत्तर कन्नड़	कार्यात्मक
150			दावणगेरे	दावणगेरे	कार्यात्मक
151			धारवाड़	हुबली	कार्यात्मक
152			गडग	गडग	कार्यात्मक
153			गोकक	बेलगावी	कार्यात्मक
154			हरिहर	दावणगेरे	कार्यात्मक
155			हुबली	हुबली	कार्यात्मक
156			कोप्पला	कोप्पला	कार्यात्मक
157			कुमटा	उत्तर कन्नड़	कार्यात्मक
158			शिवमोगा	शिवमोगा	कार्यात्मक
159			बोम्मासंद्रा	बेंगलुरु	कार्यात्मक
160			अदुगोडी	बेंगलुरु	कार्यात्मक
161			एचएएल	बेंगलुरु	कार्यात्मक

162			उडुपी	उडुपी	कार्यात्मक
163			बैकमपडी	मंगलुरु	कार्यात्मक
164			कादरी	मंगलुरु	कार्यात्मक
165			देवराज मोहल्ला	मैसूर	कार्यात्मक
166			सुभाषनगर	मैसूर	कार्यात्मक
167			नंजनगुड	मैसूर	कार्यात्मक
168			हसना	हसना	कार्यात्मक
169			रायचूर	रायचूर	कार्यात्मक
170			बीदर	बीदर	कार्यात्मक
171			यादगिर	यादगिर	कार्यात्मक
172			बागलकोट	बागलकोट	कार्यात्मक
173			बल्लारी	बल्लारी	कार्यात्मक
174			बीजापुर	विजयपुरा	कार्यात्मक
175			गुलबर्गा	कलबुर्गी	कार्यात्मक
176			तोरानगल्लू	बल्लारी	कार्यात्मक
177	केरल	54	अदूर	पथानामथिट्टा	कार्यात्मक
178			अलगप्पननगर	त्रिशूर	कार्यात्मक
179			अलाप्पुझा	अलाप्पुझा	कार्यात्मक
180			अलुवा	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
181			आंचल	तिरुवनंतपुरम	कार्यात्मक
182			अंगमाली	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
183			चथन्नूर	कोल्लम	कार्यात्मक
184			चलाकुडी	त्रिशूर	कार्यात्मक
185			चेर्थला,	अलाप्पुझा	कार्यात्मक
186			एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
187			एट्टुमानूर	कोट्टायम	कार्यात्मक
188			एषुकोण	कोल्लम	कार्यात्मक
189			फोर्ट कोच्चि	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
190			फेरोके	कोझिकोड	कार्यात्मक
191			इरिंजालकुडा	त्रिशूर	कार्यात्मक
192			कालामास्सेरी	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
193			कल्लम्बलम	तिरुवनंतपुरम	कार्यात्मक
194			कांजीकोड	पलक्कड़	कार्यात्मक
195			कझाकुट्टम	तिरुवनंतपुरम	कार्यात्मक
196			कोराट्टी	त्रिशूर	कार्यात्मक
197			कोट्टायम	कोट्टायम	कार्यात्मक
198			कल्लाई	कोझिकोड	कार्यात्मक
199			कलपेट्टा	वायनाड	कार्यात्मक
200			कासरगोड	कासरगोड	कार्यात्मक
201			कायमकुलम	अलाप्पुझा	कार्यात्मक
202			करुनागापल्ली	कोल्लम	कार्यात्मक
203			कुंदरा	कोल्लम	कार्यात्मक
204			कोट्टाराक्कारा	कोल्लम	कार्यात्मक

205			कोल्लम	कोल्लम	कार्यात्मक
206			कोझिकोड	कोझिकोड	कार्यात्मक
207			किलिकोल्लूर	कोल्लम	कार्यात्मक
208			कन्नूर	कन्नूर	कार्यात्मक
209			मलप्पुरम	मलप्पुरम	कार्यात्मक
210			मावूर	कोझिकोड	कार्यात्मक
211			नेय्याट्टिनकरा	तिरुवनंतपुरम	कार्यात्मक
212			ओल्लुर	त्रिशूर	कार्यात्मक
213			पलक्कड़	पलक्कड़	कार्यात्मक
214			पय्यान्नूर	कन्नूर	कार्यात्मक
215			पप्पिनीस्सेरी	कन्नूर	कार्यात्मक
216			पेरूम्बातूर	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
217			पुनालुर	कोल्लम	कार्यात्मक
218			पुथुर	कोल्लम	कार्यात्मक
219			सस्थमकोट्टा	कोल्लम	कार्यात्मक
220			शोरानूर	पलक्कड़	कार्यात्मक
221			तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम	कार्यात्मक
222			त्रिशूर	त्रिशूर	कार्यात्मक
223			थालास्सेरी	कन्नूर	कार्यात्मक
224			तोडुपुज़ा	इडुक्की	कार्यात्मक
225			थोप्पुम्पडी	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
226			त्रिपुनिथुरा	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
227			उद्योगमंडल	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
228			वलपट्टनम	कन्नूर	कार्यात्मक
229			वाटकरा	कोझिकोड	कार्यात्मक
230			वेल्लूर	कोट्टायम	कार्यात्मक
231	मध्य प्रदेश	24	अम्लाई	शाहडोल	कार्यात्मक
232			बिरला ग्राम, नागदा	उज्जैन	कार्यात्मक
233			बानमोर	मुरैना	कार्यात्मक
234			शहर, देवास	देवास	कार्यात्मक
235			फाल्के बाजार, ग्वालियर	ग्वालियर	कार्यात्मक
236			जबलपुर	जबलपुर	कार्यात्मक
237			खरगोन	खरगोन	कार्यात्मक
238			कलानी बाग ,देवास	देवास	कार्यात्मक
239			कटनी	कटनी	कार्यात्मक
240			औद्योगिक अंचल ,इंदौर	इंदौर	कार्यात्मक
241			लालबाग ,बुरहानपुर	बुरहानपुर	कार्यात्मक
242			मंडीदीप	रायसेन	कार्यात्मक
243			मन्दसौर	मन्दसौर	कार्यात्मक
244			मिल एरिया ,इंदौर	इंदौर	कार्यात्मक
245			मुरार	ग्वालियर	कार्यात्मक
246			न्यू सुभाष नगर, भोपाल	भोपाल	कार्यात्मक
247			नेहरू नगर, इंदौर	इंदौर	कार्यात्मक

248			पटेल नगर, उज्जैन	उज्जैन	कार्यात्मक
249			पीथमपुर सेक्टर2-1	धार	कार्यात्मक
250			पीथमपुर सेक्टर4-3	धार	कार्यात्मक
251			रतलाम	रतलाम	कार्यात्मक
252			सोनागिरी ,भोपाल	भोपाल	कार्यात्मक
253			सागर	सागर	कार्यात्मक
254			सतना	सतना	कार्यात्मक
255	महाराष्ट्र	69	बाइकुला	मुंबई	कार्यात्मक
256			डेलिसल रोड	मुंबई	कार्यात्मक
257			घाटकोपर	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
258			गोदरेज	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
259			कुर्ला	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
260			लोअर परेल	मुंबई	कार्यात्मक
261			मदनपुरा	मुंबई	कार्यात्मक
262			माहिम	मुंबई	कार्यात्मक
263			नायगाव	मुंबई	कार्यात्मक
264			परेल	मुंबई	कार्यात्मक
265			सायन	मुंबई	कार्यात्मक
266			वर्ली	मुंबई	कार्यात्मक
267			अंधेरी	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
268			शाखा कार्यालय बोरीवली	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
269			शाखा कार्यालय गोरेगांव	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
270			शाखा कार्यालय इरला	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
271			जोगेश्वरी	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
272			कांदिवली	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
273			मरोल	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
274			मीरा रोड	ठाणे	कार्यात्मक
275			साकीनाका	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
276			वसई	पालघर	कार्यात्मक
277			ऐरोली	ठाणे	कार्यात्मक
278			अंबरनाथ	ठाणे	कार्यात्मक
279			डोंबिवली	ठाणे	कार्यात्मक
280			कल्याण	ठाणे	कार्यात्मक
281			मुलुंड	मुंबई उपनगरीय	कार्यात्मक
282			ठाणे	ठाणे	कार्यात्मक
283			उल्हासनगर	ठाणे	कार्यात्मक
284			वाशी	ठाणे	कार्यात्मक
285			वागले एस्टेट	ठाणे	कार्यात्मक
286			अकुर्दी	पुणे	कार्यात्मक
287			बाणेर रोड	पुणे	कार्यात्मक
288			बार्शी	सोलापुर	कार्यात्मक
289			भोसरी	पुणे	कार्यात्मक
290			बिबवेवाड़ी	पुणे	कार्यात्मक

291			चिंचवड	पुणे	कार्यात्मक
292			दमानी नगर	सोलापुर	कार्यात्मक
293			चाकन	पुणे	कार्यात्मक
294			हडपसर	पुणे	कार्यात्मक
295			इचलकरंजी	कोल्हापुर	कार्यात्मक
296			खड़की	पुणे	कार्यात्मक
297			कोल्हापुर	कोल्हापुर	कार्यात्मक
298			कुरकुंभ	पुणे	कार्यात्मक
299			लोनावाला	पुणे	कार्यात्मक
300			नगर रोड	पुणे	कार्यात्मक
301			पिंपरी	पुणे	कार्यात्मक
302			पुणे	पुणे	कार्यात्मक
303			रंजनगांव	पुणे	कार्यात्मक
304			सतारा	सतारा	कार्यात्मक
305			तलेगांव	पुणे	कार्यात्मक
306			बारामती	पुणे	कार्यात्मक
307			अकोला	अकोला	कार्यात्मक
308			अमरावती	अमरावती	कार्यात्मक
309			चंद्रपुर	चंद्रपुर	कार्यात्मक
310			सदर	नागपुर	कार्यात्मक
311			हिंगणघाट	वर्धा	कार्यात्मक
312			बुटीबोरी	नागपुर	कार्यात्मक
313			हिंगना रोड	नागपुर	कार्यात्मक
314			बागड़गंज	नागपुर	कार्यात्मक
315			मॉडल मिल्स	नागपुर	कार्यात्मक
316			औरंगाबाद	औरंगाबाद	कार्यात्मक
317			धुले	धुले	कार्यात्मक
318			जलगांव	जलगांव	कार्यात्मक
319			नांदेड़	नांदेड़	कार्यात्मक
320			हिंगोली	हिंगोली	कार्यात्मक
321			नंदुरबार	नंदुरबार	कार्यात्मक
322			सतपुर	नासिक	कार्यात्मक
323			अंबाड	नासिक	कार्यात्मक
324	उत्तर पूर्व	20	अमिनगांव	कामरूप (मेट्रो)	कार्यात्मक
325			गुवाहाटी	कामरूप (मेट्रो)	कार्यात्मक
326			चंद्रपुर	कामरूप (मेट्रो)	कार्यात्मक
327			धुबरी	धुबरी	कार्यात्मक
328			गोवालपारा	गोलपाड़ा	कार्यात्मक
329			बोंगाईगांव	बोंगाईगांव	कार्यात्मक
330			नलबाड़ी	नलबाड़ी	कार्यात्मक
331			बारपेटा	बारपेटा	कार्यात्मक
332			नागांव	नागांव	कार्यात्मक
333			तेजपुर	सोनितपुर	कार्यात्मक

334			जोरहाट	जोरहाट	कार्यात्मक
335			नुमालीगढ़	गोलाघाट	कार्यात्मक
336			तिनसुकिया	तिनसुकिया	कार्यात्मक
337			डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	कार्यात्मक
338			सिलचर	कछार	कार्यात्मक
339			दीमापुर	दीमापुर	कार्यात्मक
340			आइजोल	आइजोल	कार्यात्मक
341			अगरतला	त्रिपुरा पश्चिम	कार्यात्मक
342			बर्नीहाट	री-भोई	कार्यात्मक
343			शिलांग	पूर्वी खासी हिल्स	कार्यात्मक
344	ओड़िशा	30	अंगुल	अंगुल	कार्यात्मक
345			बालासोर	बालासोर	कार्यात्मक
346			चौद्वार	कटक	कार्यात्मक
347			जगतपुर	कटक	कार्यात्मक
348			पीठापुर	कटक	कार्यात्मक
349			टीपीएम क्षेत्र	कटक	कार्यात्मक
350			ढेंकनाल	ढेंकनाल	कार्यात्मक
351			बेरहामपुर	गंजम	कार्यात्मक
352			पारादीप	जगतसिंहपुर	कार्यात्मक
353			धनमंडल	जाजपुर	कार्यात्मक
354			जाजपुर रोड	जाजपुर	कार्यात्मक
355			बड़बिल	केन्दुझर	कार्यात्मक
356			भुवनेश्वर	खुर्दा	कार्यात्मक
357			खुर्दा	खुर्दा	कार्यात्मक
358			पुरी	पुरी	कार्यात्मक
359			जयकेपुर	रायगढ़	कार्यात्मक
360			नयागढ़	नयागढ़	कार्यात्मक
361			केंद्रपाड़ा	केंद्रपाड़ा	कार्यात्मक
362			बारीपदा	मयूरभंज	कार्यात्मक
363			भद्रक	भद्रक	कार्यात्मक
364			बारगढ़	बारगढ़	कार्यात्मक
365			बोलंगीर	बोलंगीर	कार्यात्मक
366			देवगढ़ (देबागढ़)	देबागढ़	कार्यात्मक
367			नुआपाड़ा	नुआपाड़ा	कार्यात्मक
368			जयपोर	कोरापुट	कार्यात्मक
369			झारसुगुडा	झारसुगुडा	कार्यात्मक
370			हीराकुंड	संबलपुर	कार्यात्मक
371			सुबरनपुर	सुबरनपुर	कार्यात्मक
372			राजगांगपुर	सुंदरगढ़	कार्यात्मक
373			राउरकेला	सुंदरगढ़	कार्यात्मक
374	पुदुचेरी	6	शाखा कार्यालय- मुदलियारपेट	पुदुचेरी	कार्यात्मक
375			शाखा कार्यालय- कराईकल	पुदुचेरी	कार्यात्मक

376			शाखा कार्यालय- थिरुभुवनई	पुदुचेरी	कार्यात्मक
377			शाखा कार्यालय- विलियानूर	पुदुचेरी	कार्यात्मक
378			शाखा कार्यालय- टाउन	पुदुचेरी	कार्यात्मक
379			शाखा कार्यालय- गांधीनगर	पुदुचेरी	कार्यात्मक
380	पंजाब	24	शाखा कार्यालय मोहाली	मोहाली	कार्यात्मक
381			शाखा कार्यालय-बठिंडा	बठिंडा	कार्यात्मक
382			खरड़	एसएएस नगर	कार्यात्मक
383			शाखा कार्यालय- मोगा	मोगा	कार्यात्मक
384			शाखा कार्यालय- चंडीगढ़	चंडीगढ़	कार्यात्मक
385			मंडी गोबिंदगढ़	फतेहगढ़ साहिब	कार्यात्मक
386			शाखा कार्यालय मलेरकोटला	मलेरकोटला	कार्यात्मक
387			शाखा कार्यालय, अबोहर	फाजिल्का	कार्यात्मक
388			शाखा कार्यालय-रोपड़	रोपर	कार्यात्मक
389			शाखा कार्यालय-पटियाला	पटियाला	कार्यात्मक
390			शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, लालरू	एसएएस नगर, मोहाली	कार्यात्मक
391			शाखा कार्यालय- अमृतसर	अमृतसर	कार्यात्मक
392			शाखा कार्यालय- बटाला	गुरदासपुर	कार्यात्मक
393			शाखा कार्यालय- छेहरटा	अमृतसर	कार्यात्मक
394			शाखा कार्यालय- होशियारपुर	होशियारपुर	कार्यात्मक
395			शाखा कार्यालय- फगवाड़ा	कपूरथला	कार्यात्मक
396			शाखा कार्यालय- जालंधर	जालंधर	कार्यात्मक
397			शाखा कार्यालय- जालंधर फोकल प्वाइंट	जालंधर	कार्यात्मक
398			शाखा कार्यालय- पठानकोट	पठानकोट	कार्यात्मक
399			शाखा कार्यालय- फोकल प्वाइंट, लुधियाना।	लुधियाना	कार्यात्मक
400			शाखा कार्यालय- ग्यासपुरा ,लुधियाना।	लुधियाना	कार्यात्मक
401			शाखा कार्यालय- गिल रोड , लुधियाना	लुधियाना	कार्यात्मक
402			शाखा कार्यालय- राहों रोड ,लुधियाना	लुधियाना	कार्यात्मक
403			शाखा कार्यालय- कोहाड़ा	लुधियाना	कार्यात्मक
404	राजस्थान	24	शाखा कार्यालय- अबू रोड	सिरोही	कार्यात्मक
405			शाखा कार्यालय- अलवर	अलवर	कार्यात्मक
406			शाखा कार्यालय- ब्यावर	अजमेर	कार्यात्मक
407			शाखा कार्यालय- भिवाड़ी	अलवर	कार्यात्मक
408			शाखा कार्यालय- बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	कार्यात्मक
409			शाखा कार्यालय- बालोतरा	बाड़मेर	कार्यात्मक
410			शाखा कार्यालय- बाड़मेर	बाड़मेर	कार्यात्मक
411			शाखा कार्यालय- भरतपुर	भरतपुर	कार्यात्मक
412			शाखा कार्यालय- भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	कार्यात्मक

413			शाखा कार्यालय- बीकानेर	बीकानेर	कार्यात्मक
414			शाखा कार्यालय- भवानी मंडी	कोटा	कार्यात्मक
415			शाखा कार्यालय- गुलाबपुरा	भीलवाड़ा	कार्यात्मक
416			शाखा कार्यालय- हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	कार्यात्मक
417			शाखा कार्यालय- कोटा	कोटा	कार्यात्मक
418			शाखा कार्यालय- किशनगढ़	अजमेर	कार्यात्मक
419			शाखा कार्यालय- कांकरोली	राजसमंद	कार्यात्मक
420			शाखा कार्यालय- कामधेनु कॉम्प्लेक्स	जयपुर	कार्यात्मक
421			शाखा कार्यालय- नेहरू प्लेस	जयपुर	कार्यात्मक
422			शाखा कार्यालय- नीमराना	अलवर	कार्यात्मक
423			शाखा कार्यालय- नागौर	नागौर	कार्यात्मक
424			शाखा कार्यालय- सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	कार्यात्मक
425			शाखा कार्यालय- प्रताप नगर	जयपुर	कार्यात्मक
426			शाखा कार्यालय- श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	कार्यात्मक
427			शाखा कार्यालय- वीकेआईए	जयपुर	कार्यात्मक
428	क्षेत्रीय कार्यालय - तेलंगाना	8	शाखा कार्यालय- जीदीमेटला	मेडचल-मलकाजगिरी	कार्यात्मक
429			शाखा कार्यालय- चिक्कड़पल्ली	हैदराबाद	कार्यात्मक
430			शाखा कार्यालय- पाटनचेरू	संगारेड्डी	कार्यात्मक
431			शाखा कार्यालय- बालानगर	मेडचल-मलकाजगिरी	कार्यात्मक
432			शाखा कार्यालय- तरनाका	मेडचल-मलकाजगिरी	कार्यात्मक
433			शाखा कार्यालय- कुकटपल्ली	मेडचल-मलकाजगिरी	कार्यात्मक
434			शाखा कार्यालय- कोम्पल्ली	मेडचल-मलकाजगिरी	कार्यात्मक
435			शाखा कार्यालय- शिवरामपल्ली	रंगारेड्डी	कार्यात्मक
436	तमिलनाडु	77	मराईमलाई नगर	चेंगलपट्टू	कार्यात्मक
437			पल्लावरम	चेंगलपट्टू	कार्यात्मक
438			ताम्बरम	चेंगलपट्टू	कार्यात्मक
439			अड्यार	चेन्नै	कार्यात्मक
440			अंबात्तुर	तिरुवल्लुर	कार्यात्मक
441			जॉर्ज टाउन	चेन्नै	कार्यात्मक
442			गिंडी	चेन्नै	कार्यात्मक
443			कालादीपेट	चेन्नै	कार्यात्मक
444			कोडमबक्कम	चेन्नै	कार्यात्मक

445			मूलकदाई	चेन्नै	कार्यात्मक
446			माउंट रोड	चेन्नै	कार्यात्मक
447			नंदंबक्कम	चेन्नै	कार्यात्मक
448			रोयापेट्टा	चेन्नै	कार्यात्मक
449			टोंडियारपेट	चेन्नै	कार्यात्मक
450			विल्लीवक्कम	चेन्नै	कार्यात्मक
451			अयनावरम	चेन्नै	कार्यात्मक
452			कुड्डालोर	कुड्डालोर	कार्यात्मक
453			कांचीपुरम	कांचीपुरम	कार्यात्मक
454			रानीपेट	रानीपेट	कार्यात्मक
455			अवादी	तिरुवल्लुर	कार्यात्मक
456			पूनमल्ली	तिरुवल्लुर	कार्यात्मक
457			रेड हिल्स	तिरुवल्लुर	कार्यात्मक
458			अम्बुर	तिरुपतूर	कार्यात्मक
459			वेल्लोर	वेल्लोर	कार्यात्मक
460			पोर्ट ब्लेयर	संघ राज्य क्षेत्र - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कार्यात्मक
461			गणपति	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
462			कुरिची	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
463			कट्टूर	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
464			केजी पलयम	इरोड	कार्यात्मक
465			केएनपी पुरम	तिरुपूर	कार्यात्मक
466			मेट्टुपालयम	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
467			ओंदीपुदुर	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
468			ऊटी	नीलगिरी	कार्यात्मक
469			पल्लदम	तिरुपूर	कार्यात्मक
470			पीएन पलयम	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
471			पीआरएन पलयम	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
472			पीलामेडू	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
473			पोलाची	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
474			सिंगनल्लुर	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
475			सुलुर	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
476			तिरुपूर	तिरुपूर	कार्यात्मक
477			थुडियालुर	कोयम्बतूर	कार्यात्मक
478			उदुमलपेट	तिरुपूर	कार्यात्मक
479			शाखा कार्यालय पलंगनाथम	मदुरै	कार्यात्मक
480			शाखा कार्यालय तिरुनागर	मदुरै	कार्यात्मक
481			शाखा कार्यालय परवई	मदुरै	कार्यात्मक
482			शाखा कार्यालय मुनीचलाई	मदुरै	कार्यात्मक
483			शाखा कार्यालय थाथानेरी	मदुरै	कार्यात्मक
484			शाखा कार्यालय शिवकाशी	विरुधुनगर	कार्यात्मक

485			शाखा कार्यालय विरुधुनगर	विरुधुनगर	कार्यात्मक
486			शाखा कार्यालय अरुप्पुकोट्टई	विरुधुनगर	कार्यात्मक
487			शाखा कार्यालय राजपालयम	विरुधुनगर	कार्यात्मक
488			शाखा कार्यालय सत्तूर	विरुधुनगर	कार्यात्मक
489			शाखा कार्यालय थेनी	थेनी	कार्यात्मक
490			शाखा कार्यालय डिंडीगुल	डिंडीगुल	कार्यात्मक
491			शाखा कार्यालय पलानी	डिंडीगुल	कार्यात्मक
492			शाखा कार्यालय पुदुकोट्टई	पुडुकोट्टई	कार्यात्मक
493			शाखा कार्यालय रामनाथपुरम	रामनाथपुरम	कार्यात्मक
494			शाखा कार्यालय शिवगंगई	शिवगंगई	कार्यात्मक
495			शाखा कार्यालय अत्तूर	सलेम	कार्यात्मक
496			शाखा कार्यालय डालमियापुरम	त्रिची	कार्यात्मक
497			शाखा कार्यालय होसुर	कृष्णागिरी	कार्यात्मक
498			शाखा कार्यालय करूर	करूर	कार्यात्मक
499			शाखा कार्यालय कुंभकोणम	तंजावुर	कार्यात्मक
500			शाखा कार्यालय मेट्टूर	सलेम	कार्यात्मक
501			शाखा कार्यालय पल्लीपलायम	नमक्कल	कार्यात्मक
502			शाखा कार्यालय सलेम	सलेम	कार्यात्मक
503			शाखा कार्यालय तंजावुर	तंजावुर	कार्यात्मक
504			शाखा कार्यालय तिरुचेंगोडे	नमक्कल	कार्यात्मक
505			शाखा कार्यालय त्रिची	त्रिची	कार्यात्मक
506			शाखा कार्यालय तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	कार्यात्मक
507			शाखा कार्यालय विक्रमसिंगपुरम	तिरुनेलवेली	कार्यात्मक
508			शाखा कार्यालय कोविलपट्टी	तूतीकोरिन	कार्यात्मक
509			शाखा कार्यालय तूतीकोरिन	तूतीकोरिन	कार्यात्मक
510			शाखा कार्यालय तेनकासी.	तेनकासी	कार्यात्मक
511			शाखा कार्यालय नागरकोइल	कन्याकुमारी	कार्यात्मक
512			शाखा कार्यालय मार्तंडम	कन्याकुमारी	कार्यात्मक
513	उत्तराखंड	7	शाखा कार्यालय, देहरादून	देहरादून	कार्यात्मक
514			शाखा कार्यालय, सेलाकुई	देहरादून	कार्यात्मक
515			शाखा कार्यालय, हरिद्वार	हरिद्वार	कार्यात्मक
516			शाखा कार्यालय, भगवानपुर	हरिद्वार	कार्यात्मक
517			शाखा कार्यालय, काशीपुर	उधम सिंह नगर	कार्यात्मक
518			शाखा कार्यालय, रुद्रपुर	उधम सिंह नगर	कार्यात्मक
519			शाखा कार्यालय, लालकुआं	नैनीताल	कार्यात्मक
520	उत्तर प्रदेश	37	शाखा कार्यालय, आगरा	आगरा	कार्यात्मक

521			शाखा कार्यालय, सिकंदरा आगरा	आगरा	कार्यात्मक
522			शाखा कार्यालय, अलीगढ़	अलीगढ़	कार्यात्मक
523			शाखा कार्यालय, इलाहाबाद	प्रयागराज	कार्यात्मक
524			शाखा कार्यालय, नैनी इलाहाबाद (प्रयागराज)	प्रयागराज	कार्यात्मक
525			शाखा कार्यालय फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कार्यात्मक
526			शाखा कार्यालय झांसी	झांसी	कार्यात्मक
527			शाखा कार्यालय, चौबेपुर	कानपुर	कार्यात्मक
528			शाखा कार्यालय, नवीन मार्केट	कानपुर	कार्यात्मक
529			शाखा कार्यालय, पनकी	कानपुर	कार्यात्मक
530			शाखा कार्यालय, सरोजिनी नगर	कानपुर	कार्यात्मक
531			शाखा कार्यालय, विनोबा नगर	कानपुर	कार्यात्मक
532			क.रा.बी. अस्पताल , जाजमऊ में शाखा कार्यालय	कानपुर	कार्यात्मक
533			शाखा कार्यालय, मथुरा	मथुरा	कार्यात्मक
534			शाखा कार्यालय, उन्नाव	उन्नाव	कार्यात्मक
535			नोएडा1	गौतम बुद्ध नगर	कार्यात्मक
536			साहिबाबाद	गाजियाबाद	कार्यात्मक
537			नोएडा2	गौतम बुद्ध नगर	कार्यात्मक
538			नोएडा3-	गौतम बुद्ध नगर	कार्यात्मक
539			नोएडा4	गौतम बुद्ध नगर	कार्यात्मक
540			गाजियाबाद	गाजियाबाद	कार्यात्मक
541			सिकंदराबाद	बुलंदशहर	कार्यात्मक
542			मेरठ	मेरठ	कार्यात्मक
543			मोदीनगर	गाजियाबाद	कार्यात्मक
544			सहारनपुर	सहारनपुर	कार्यात्मक
545			मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	कार्यात्मक
546			वाराणसी	वाराणसी	कार्यात्मक
547			मऊनाथ भंजन, मऊ	मऊ	कार्यात्मक
548			रेणुकूट	सोनभद्र	कार्यात्मक
549			कपूरथला	लखनऊ	कार्यात्मक
550			नाका हिंडोला लखनऊ	लखनऊ	कार्यात्मक
551			बाराबंकी	बाराबंकी	कार्यात्मक
552			बरेली	बरेली	कार्यात्मक
553			गोरखपुर	गोरखपुर	कार्यात्मक
554			मुरादाबाद	मुरादाबाद	कार्यात्मक
555			रायबरेली	रायबरेली	कार्यात्मक
556			सहजनवा	गोरखपुर	कार्यात्मक
557	पश्चिम बंगाल	57	टॉलीगंज	दक्षिण	कार्यात्मक

				24 परगना	
558			श्रीरामपुर	हुगली	कार्यात्मक
559			उत्तर कोलकाता	कोलकाता	कार्यात्मक
560			सॉल्ट लेक	कोलकाता	कार्यात्मक
561			बेहाला	दक्षिण 24 परगना	कार्यात्मक
562			सेंट/कोलकाता	कोलकाता	कार्यात्मक
563			बांसबेरिया पश्चिम	हुगली	कार्यात्मक
564			बैद्यबती	हुगली	कार्यात्मक
565			बैद्यबाटी दक्षिण	हुगली	कार्यात्मक
566			बांसबेरिया पूर्व	हुगली	कार्यात्मक
567			चन्दननगर	हुगली	कार्यात्मक
568			दानकुनी	हुगली	कार्यात्मक
569			कोन्नगर	हुगली	कार्यात्मक
570			रिशरा	हुगली	कार्यात्मक
571			टेलीनीपारा	हुगली	कार्यात्मक
572			ट्रिबेनी	हुगली	कार्यात्मक
573			बाली	हावड़ा	कार्यात्मक
574			बौरिया	हावड़ा	कार्यात्मक
575			बुरीखाली	हावड़ा	कार्यात्मक
576			चेंगैल	हावड़ा	कार्यात्मक
577			दासनगर	हावड़ा	कार्यात्मक
578			घुसुरी	हावड़ा	कार्यात्मक
579			हावड़ा मैदान	हावड़ा	कार्यात्मक
580			लिलुआ	हावड़ा	कार्यात्मक
581			संकरैल	हावड़ा	कार्यात्मक
582			शिबपुर	हावड़ा	कार्यात्मक
583			बालीगंज	कोलकाता	कार्यात्मक
584			बेलियाघाटा	कोलकाता	कार्यात्मक
585			कासीपुर	कोलकाता	कार्यात्मक
586			किद्दरपुर	कोलकाता	कार्यात्मक
587			बज बज	दक्षिण 24 परगना	कार्यात्मक
588			चित्रिगंज	दक्षिण 24 परगना	कार्यात्मक
589			कालीपुर	दक्षिण 24 परगना	कार्यात्मक
590			दक्षिण चित्रिगंज	दक्षिण 24 परगना	कार्यात्मक
591			बिरलापुर	दक्षिण 24 परगना	कार्यात्मक
592			तारातला	दक्षिण 24 परगना	कार्यात्मक

593			खड़गपुर	पश्चिम मेदिनीपुर	कार्यात्मक
594			सिलीगुड़ी	दार्जिलिंग	कार्यात्मक
595			गंगटोक	पूर्वी सिक्किम	कार्यात्मक
596			लेखक	उत्तर 24परगना	कार्यात्मक
597			बारानगर	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
598			बरसात	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
599			बेलघरिया	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
600			भतपारा	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
601			डम डम	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
602			गरिफा	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
603			हाजीनगर	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
604			जगतदल	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
605			कांकिनारा	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
606			कमरहाटी	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
607			कल्याणी	नादिया	कार्यात्मक
608			खरदाह	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
609			नैहाटी	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
610			पानीहाटी	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
611			श्यामनगर	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
612			दक्षिण बेलघरिया	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
613			टीटागढ़	उत्तर 24 परगना	कार्यात्मक
		613			

(ङ) शिविर-सह-संपर्क कार्यालय की सूची

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**शिविर-सह-संपर्क कार्यालय का स्थान**
1	**असम**	**क्षेत्रीय कार्यालय -गुवाहाटी**
2	**अरुणाचल प्रदेश**	**औषधालय सह शाखा कार्यालय- ईटानगर, पापुमपारे**
3	**मणिपुर**	**औषधालय सह शाखा कार्यालय, इम्फाल**
4	**मेघालय**	**शाखा कार्यालय, शिलांग**
5	**नगालैंड**	**शाखा कार्यालय, दीमापुर**
6	**त्रिपुरा**	**शाखा कार्यालय, अगरतला**

<u>संलग्नक - IV</u>

25(4) <u>निगम का राजस्व एवं व्यय</u>

सितंबर, 2024 तक (अलेखापरीक्षित आंकड़े) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 14452 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ तथा कुल 8830 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, जिसमें से 70.55 प्रतिशत चिकित्सा व्यय तथा 13.34 प्रतिशत रोकड़ एवं अन्य हितलाभों के लिए है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	**क.रा.बी. निगम का राजस्व**	**14,452**
	दिनांक 1.4.2024 से 31.09.2024 तक वास्तविक (अलेखापरीक्षित) :- क. अंशदान आय रु. 9827 ख. ब्याज एवं अन्य आय रु. 4625	
2.	**कुल व्यय**	**8,830**
	दिनांक 1.4.2024 से 31.10.2024 तक वास्तविक (अलेखापरीक्षित) :- 1. चिकित्सा व्यय रु. 6,230 2. नकद एवं अन्य लाभ रु. 1,178 3. प्रशासनिक व्यय रु. 974 4. पूंजीगत व्यय रु. 448	

संलग्नक-V

25(5) 01.01.2025 तक आयुष के अंतर्गत हुई प्रगति देश के विभिन्न राज्यों में 01.01.2025 तक क.रा.बी.निगम/क.रा.बी. योजना अस्पतालों और औषधालयों में आयुष (आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की स्थिति:

01/01/2025 तक क.रा.बी.निगम अस्पतालों में आयुष इकाइयों की स्थिति						
क्र.सं.	राज्य का नाम	अस्पताल का स्थान	आयुर्वेद	योग	होम्योपैथी	कुल
1	असम	बेलतला ,गुवाहाटी	1	1	1	3
2	बिहार	बिहाटा	0	1	0	1
4	बिहार	फुलवारीशरीफ ,पटना	0	1	0	1
5	दिल्ली	बसईदारापुर	1	1	1	3
6	दिल्ली	झिलमिल	1	0	1	2
7	दिल्ली	नरेला	1	0	1	2
8	दिल्ली	ओखला	1	0	1	2
9	दिल्ली	रोहिणी	1	1	1	3
10	गुजरात	अंकलेश्वर	1	0	0	1
11	गुजरात	बापूनगर, अहमदाबाद	1	1	1	3
12	गुजरात	नरोडा	1	0	0	1
13	गुजरात	वापी	0	1	0	1
14	हरियाणा	फरीदाबाद	1	1	1	3
15	हरियाणा	गुड़गांव	0	1	1	2
16	हरियाणा	मानेसर	1	0	1	2
17	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	1	0	1	2
18	जम्मू व कश्मीर	बड़ी ब्रह्मणा	0	1	0	1
19	झारखंड	आदित्यपुर	1	1	0	2
20	झारखंड	नामकुम, रांची	0	1	0	1
21	कर्नाटक	कलबुर्गी	0	1	0	1
22	कर्नाटक	पीन्या ,बेंगलुरु	1	1	1	3
23	कर्नाटक	राजाजीनगर	1	1	1	3
24	केरल	आश्रमम, कोल्लम	1	1	0	2
25	केरल	एषुकोण	1	1	1	3
26	केरल	उद्योगमंडल	1	1	1	3
27	मध्य प्रदेश	नंदा नगर, इंदौर	1	1	1	3
28	महाराष्ट्र	अंधेरी ,मुंबई	1	1	1	3
29	महाराष्ट्र	बिबवेवाड़ी	1	1	0	2
30	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	1	1	0	2
31	उड़ीसा	राउरकेला	1	1	0	2

32	पंजाब	चंडीगढ़	1	1	1	3
33	पंजाब	लुधियाना	1	1	1	3
34	राजस्थान	अलवर	1	1	0	2
35	राजस्थान	भिवाड़ी	1	0	1	2
36	राजस्थान	जयपुर	1	1	1	3
37	तमिलनाडु	केके नगर, चेन्नै	1	1	1	3
38	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	1	1	1	3
39	तेलंगाना	सनतनगर, हैदराबाद	1	1	0	2
40	उत्तर प्रदेश	बरेली	1	0	1	2
41	उत्तर प्रदेश	जाजमऊ ,कानपुर	1	1	0	2
42	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1	0	1	2
43	उत्तर प्रदेश	नोएडा सेक्टर 24-	1	0	1	2
44	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	1	0	1	2
45	पश्चिम बंगाल	जोका	1	1	1	3
		कुल	**37**	**32**	**28**	**97**

01/01/2025 तक क.रा.बी.निगम औषधालयों में आयुष इकाइयों की स्थिति

सं.	औषधालय का स्थान	आयुर्वेद	होम्योपैथी	कुल
1	आज़ादपुर	1	0	1
2	द्वारका सेक्टर-7	1	1	2
3	कालकाजी	1	0	1
4	मंगोल पुरी	1	1	2
5	माया पुरी-1	0	1	1
6	माया पुरी-2	1	0	1
7	मयूर विहार	1	0	1
8	मोदी मिल	1	1	2
9	नजफगढ़	1	0	1
10	नंद नगरी	1	1	2
11	एनआईए 1	1	1	2
12	रोहिणी सेक्टर 5	1	0	1
13	सरोजिनी नगर	1	1	2
14	तिलक विहार	1	0	1
15	नोएडा सेक्टर12-	1	1	2
16	इंद्रलोक	0	1	1
17	ज्वालापुरी	0	1	1
18	सब्जी मंडी	1	0	1
	कुल	**15**	**10**	**25**

01/01/2025 तक क.रा.बी. योजना अस्पतालों में आयुष इकाइयाँ								
क्रम सं.	राज्य का नाम	अस्पताल का स्थान	आयुर्वेद	योग	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी	1	0	0	0	1	2
2	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	1	0	0	0	1	2
3	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	1	0	0	0	1	2
4	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	1	0	0	0	1	2
5	गोवा	मार्गो	1	0	0	0	1	2
6	गुजरात	भावनगर	1	1	0	0	0	2
7	गुजरात	जीएच जामनगर	1	1	0	0	0	2
8	गुजरात	जीएच कलोल	1	1	0	0	0	2
9	गुजरात	जीएच राजकोट	1	1	0	0	0	2
10	गुजरात	जीएच आरएच , अहमदाबाद	1	1	0	0	0	2
11	गुजरात	जीएच सूरत	1	1	0	0	0	2
12	गुजरात	जीएच वडोदरा	1	1	0	0	0	2
13	हरियाणा	जगाधरी	1	0	0	0	0	1
14	हरियाणा	पानीपत	1	0	0	0	0	1
15	हिमाचल प्रदेश	परवाणू	1	1	0	0	0	2
16	कर्नाटक	इंदिरानगर, बैंगलोर	1	0	0	0	1	2
17	केरल	मुलंक्कुन्नतुक्कुवु, त्रिशूर	1	0	0	0	0	1
18	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	1	1	0	0	0	2
19	महाराष्ट्र	चिंचवाड़ ,पुणे	1	1	1	0	1	4
20	महाराष्ट्र	कांदिवली ,मुंबई	1	0	0	0	1	2
21	महाराष्ट्र	एमजीएम अस्पताल , परेल	0	1	0	0	0	1
22	महाराष्ट्र	मुलुंड	1	1	1	0	1	4
23	महाराष्ट्र	नागपुर	1	1	1	0	1	4
24	महाराष्ट्र	नासिक	1	1	1	0	1	4
25	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	0	1	0	0	0	1
26	महाराष्ट्र	सोलापुर	1	1	0	0	1	3
27	महाराष्ट्र	सोमवारी पेठ	1	1	1	0	1	4
28	महाराष्ट्र	ठाणे	0	1	0	0	0	1
29	महाराष्ट्र	उल्हासनगर	0	1	0	0	0	1

30	महाराष्ट्र	वर्ली	1	1	0	0	0	2
31	उड़ीसा	भुवनेश्वर	1	0	0	0	0	1
32	उड़ीसा	क.रा.बी.योजना अस्पताल चौद्वार	1	0	0	0	0	1
33	पंजाब	होशियारपुर	1	0	0	0	0	1
34	पंजाब	जालंधर	1	0	0	0	0	1
35	पंजाब	मंडीगोबिंदगढ़ आरएच	1	0	0	0	0	1
36	पंजाब	मोहाली	1	0	0	0	0	1
37	पंजाब	फगवाड़ा	1	0	0	0	0	1
38	राजस्थान	जोधपुर	1	0	0	0	0	1
39	तमिलनाडु	अयनावरम	1	1	1	1	1	5
40	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	1	1	1	1	1	5
41	तमिलनाडु	होसुर	1	1	0	1	0	3
42	तमिलनाडु	मदुरै	1	1	1	1	1	5
43	तमिलनाडु	सलेम	1	1	0	1	0	3
44	तमिलनाडु	शिवकाशी	1	1	0	1	0	3
45	तमिलनाडु	त्रिची	1	1	0	1	0	3
46	तमिलनाडु	वेल्लोर	1	1	0	1	0	3
47	तेलंगाना	नाचराम	1	0	0	0	1	2
48	उत्तर प्रदेश	आगरा	1	0	0	0	1	2
49	उत्तर प्रदेश	किदवई नगर, कानपुर	1	0	0	0	1	2
50	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर, गाजियाबाद	1	0	0	0	1	2
51	उत्तर प्रदेश	नानी ,प्रयागराज	1	0	0	0	1	2
52	उत्तर प्रदेश	पांडुनगर, कानपुर	1	0	0	0	1	2
53	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	1	0	0	0	1	2
54	उत्तर प्रदेश	सर्वोदय नगर, कानपुर	0	0	0	0	1	1
55	उत्तर प्रदेश	पिपरी	1	0	0	0	0	1
56	पश्चिम बंगाल	बंदेल	1	0	0	0	1	2
57	पश्चिम बंगाल	बज बज	1	0	0	0	1	2
58	पश्चिम बंगाल	गौरहाटी	1	0	0	0	1	2
59	पश्चिम बंगाल	कमरहाटी	1	0	0	0	1	2
60	पश्चिम बंगाल	सियालदह	1	0	0	0	1	2
61	पश्चिम बंगाल	उलुबेरिया	1	0	0	0	1	2
		कुल क.रा.बी. योजना अस्पताल	**56**	**28**	**8**	**8**	**30**	**130**

01/01/2025 तक क.रा.बी. योजना औषधालयों में आयुष इकाइयाँ								
क्रम सं.	राज्य का नाम	औषधालय का स्थान	आयुर्वेद	योग	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी	कुल
1	बिहार	बटागंज	1	0	0	0	0	1
2	बिहार	हथीदाह	1	0	0	0	0	1
3	बिहार	जमाल रोड	1	0	0	0	0	1
4	बिहार	समस्तीपुर	0	0	1	0	0	1
5	गुजरात	एएचडी डी-1	1	0	0	0	0	1
6	गुजरात	एएचडी डी-10	1	0	0	0	0	1
7	गुजरात	एएचडी डी-12	1	0	0	0	0	1
8	गुजरात	एएचडी डी-13/14	1	0	0	0	0	1
9	गुजरात	एएचडी डी-15	1	0	0	0	0	1
10	गुजरात	एएचडी डी-19	1	0	0	0	0	1
11	गुजरात	एएचडी डी-2	1	0	0	0	0	1
12	गुजरात	एएचडी डी-20	1	0	0	0	0	1
13	गुजरात	एएचडी डी-22	1	0	0	0	0	1
14	गुजरात	एएचडी डी-3/5/8	1	0	0	0	0	1
15	गुजरात	एएचडी डी-32	1	0	0	0	0	1
16	गुजरात	एएचडी डी-34	1	0	0	0	0	1
17	गुजरात	एएचडी डी-35	1	0	0	0	0	1
18	गुजरात	एएचडी डी-36	1	0	0	0	0	1
19	गुजरात	एएचडी डी-37/40	1	0	0	0	0	1
20	गुजरात	एएचडी डी-42	1	0	0	0	0	1
21	गुजरात	एएचडी डी-44	1	0	0	0	0	1
22	गुजरात	एएचडी डी-45	1	0	0	0	0	1
23	गुजरात	एएचडी डी-47	1	0	0	0	0	1
24	गुजरात	एएचडी डी-49	1	0	0	0	0	1
25	गुजरात	बड़ौदा डी-10/11	1	0	0	0	0	1
26	गुजरात	बड़ौदा डी-2	1	0	0	0	0	1
27	गुजरात	बड़ौदा डी 6/15	1	0	0	0	0	1
28	गुजरात	बड़ौदा डी-8/17	1	0	0	0	0	1

29	गुजरात	भरूच d01	1	0	0	0	0	1
30	गुजरात	गांधी नगर	1	0	0	0	0	1
31	गुजरात	कड़ी डी-1	1	0	0	0	0	1
32	गुजरात	मोरबी डी-1/2	1	0	0	0	0	1
33	गुजरात	नांदियाड डी-1/2	1	0	0	0	0	1
34	गुजरात	नवसारी डी-1	1	0	0	0	0	1
35	गुजरात	राजकोट डी-1	1	0	0	0	0	1
36	गुजरात	राजकोट डी-2	1	0	0	0	0	1
37	गुजरात	सूरत डी-1	1	0	0	0	0	1
38	गुजरात	सूरत डी-6/8/9	1	0	0	0	0	1
39	हरियाणा	उद्योग विहार, गुड़गांव	1	0	0	0	0	1
40	केरल	अलगप्पानगर, त्रिशूर	0	0	0	0	1	1
41	केरल	अलाप्पुझा	1	0	0	0	0	1
42	केरल	अलुवा, एर्नाकुलम	0	0	0	0	1	1
43	केरल	चलप्पुरम, कोझिकोड	0	0	0	0	1	1
44	केरल	एरंजीपालम, कोझिकोड	1	0	0	0	0	1
45	केरल	एर्नाकुलम	1	0	0	0	1	2
46	केरल	कदम्पनाडु,	0	0	0	0	1	1
47	केरल	कलामस्सेरी, एर्नाकुलम	0	0	0	0	1	1
48	केरल	कन्नूर	1	0	0	0	0	1
49	केरल	करमाना,	0	0	0	0	1	1
50	केरल	कोट्टाराक्कारा, कोल्लम	1		0	0	0	1
51	केरल	कोट्टायम	1	0	0	0	1	2
52	केरल	कोट्टायम, कोल्लम	0	0	0	0	1	1
53	केरल	मुलवाना, कोल्लम	0	0	0	0	1	1
54	केरल	पप्पिनिसेरी	0	0	0	0	1	1
55	केरल	पथिराप्पल्ली अलाप्पुझा	0	0	0	0	1	1
56	केरल	पट्टाथानम, कोल्लम	1	0	0	0	0	1
57	केरल	पेरूरकाडा	1	0	0	0	0	1
58	केरल	प्लक्कड़	1	0	0	0	0	1

59	केरल	पूनकुन्नम त्रिशूर	1	0	0	0	0	1
60	केरल	तिरुवनंतपुरम	0	0	0	0	1	1
61	केरल	वडावथूर, कोट्टायम	0	0	0	0	1	1
62	केरल	वेल्लूर, कोट्टायम	0	0	0	0	1	1
63	महाराष्ट्र	बटबोररी, नागपुर	1	0	0	0	0	1
64	महाराष्ट्र	हिघानघाट, वीआरनागपुर	1	0	0	0	0	1
65	महाराष्ट्र	इचलकरंजी, (एएमओ पुणे के अंतर्गत)	1	0	0	0	0	1
66	महाराष्ट्र	इमामबाड़ा	1	0	0	0	0	1
67	महाराष्ट्र	कोहलापुर	1	0	0	0	0	1
68	महाराष्ट्र	नांदेड़ (एएमओ औरंगाबाद के अंतर्गत)	1	0	0	0	0	1
69	महाराष्ट्र	सोमवारीपेठ, नागपुर	1	0	0	0	0	1
70	महाराष्ट्र	ताराबाई	1	0	0	0	0	1
71	महाराष्ट्र	वाडी, नागपुर	1	0	0	0	0	1
72	पंजाब	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	1
73	राजस्थान	जयपुर	1	0	0	0	0	1
74	तमिलनाडु	136, नेदुनसलाई नगर, सलेम (स्थिर)	0	0	0	1	0	1
75	तमिलनाडु	अड्यार, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
76	तमिलनाडु	अंबात्तुर, चेन्नै	1	0	0	1	0	2
77	तमिलनाडु	अम्बुर, सलेम	0	0	1	1	0	2
78	तमिलनाडु	अवादी, चेन्नै	1	0	0	1	1	3
79	तमिलनाडु	डिंडीगुल, मदुरै	0	0	0	1	0	1
80	तमिलनाडु	होसुर	0	0	0	1	0	1
81	तमिलनाडु	कट्टूर I, कोयम्बतूर	0	0	0	1	0	1
82	तमिलनाडु	कोडम्बक्कम, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
83	तमिलनाडु	कोराटूर, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
84	तमिलनाडु	कोविलपट्टी ,मदुरै	0	0	0	1	1	2
85	तमिलनाडु	कुंभकोणम, सेलम	1	0	0	1	0	2
86	तमिलनाडु	म्यूनिखलाई	0	0	0	1	0	1
87	तमिलनाडु	नागाएरकोइल	0	0	0	1	0	1
88	तमिलनाडु	नंदम्बक्कम	1	0	0	1	0	2

89	तमिलनाडु	पलंगनाथम	0	0	0	1	0	1
90	तमिलनाडु	पल्लावरम	1	0	0	1	0	2
91	तमिलनाडु	पल्लीपलायम, सेलम	1	0	0	1	0	2
92	तमिलनाडु	पीलामेडु	0	0	0	1	0	1
93	तमिलनाडु	पेरियानाइकेन पलायम	0	0	0	1	0	1
94	तमिलनाडु	पोलाची ,कोयम्बतूर	0	0	0	1	0	1
95	तमिलनाडु	पोन्नगरम	0	0	0	1	0	1
96	तमिलनाडु	पूनमल्ली ,चेन्नै	0	0	0	1	0	1
97	तमिलनाडु	राजपलायम, मदुरै	1	0	0	1	0	2
98	तमिलनाडु	रानीपेट, सेलम	0	0	1	1	0	2
99	तमिलनाडु	रेड हिल्स ,चेन्नै	0	0	0	1	0	1
100	तमिलनाडु	सैदापेट-I, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
101	तमिलनाडु	सिंगनल्लूर (सेंट)	0	0	0	1	0	1
102	तमिलनाडु	सिपकोट कॉलोनी , होसुर	0	0	0	1	0	1
103	तमिलनाडु	शिवकाशी	0	0	0	1	0	1
104	तमिलनाडु	श्रीपेरुम्बुदूर, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
105	तमिलनाडु	ताम्बरम, चेन्नै	1	0	0	1	0	2
106	तमिलनाडु	तिरुनगर, मदुरै	1	0	0	1	0	2
107	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	0	0	0	1	0	1
108	तमिलनाडु	थूथुकुडी, मदुरै	1	0	0	1	1	3
109	तमिलनाडु	थुडियालुर, कोयम्बतूर	1	0	0	1	0	2
110	तमिलनाडु	थुवाकुडी	0	0	0	1	0	1
111	तमिलनाडु	तिरुप्पुर I, कोयम्बतूर	1	0	0	1	0	2
112	तमिलनाडु	तिरुवोट्टियूर, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
113	तमिलनाडु	टोंडियारपेट, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
114	तमिलनाडु	त्रिची (स्थिर)	0	0	0	1	0	1
115	तमिलनाडु	ट्रिप्लिकेन, चेन्नै	0	0	0	1	0	1
116	तमिलनाडु	उदुमलैपेट्टई	1	0	0	1	0	2
117	तमिलनाडु	विक्रमसिंहपुरम	0	0	0	1	0	1
118	उत्तर प्रदेश	गोविंद नगर, कानपुर	0	0	0	0	1	1
119	उत्तर प्रदेश	कावड़ी मार्केट, कानपुर	1	0	0	0	0	1

120	उत्तर प्रदेश	किरण कॉलोनी गाजियाबाद	0	0	0	0	1	1
121	उत्तर प्रदेश	मोहन नगर, गाजियाबाद	1	0	0	0	0	1
122	उत्तर प्रदेश	सरोजिनी नगर, लखनऊ	1	0	0	0	0	1
		कुल	**75**	**0**	**3**	**44**	**20**	**142**

01/01/2025 तक आयुष इकाइयों पर एक नज़र

क्रम सं.	स्थान का प्रकार	आयुर्वेद	योग	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी	कुल
1	क.रा.बी.निगम अस्पताल	37	32	0	0	28	97
2	क.रा.बी.निगम औषधालय	15		0	0	10	25
3	क.रा.बी. योजना अस्पताल	56	28	8	8	30	130
4	क.रा.बी. योजना औषधालय	75	0	3	44	20	142
	कुल	**183**	**60**	**11**	**52**	**88**	**394**

संलग्नक -VI

25(6) दर संविदा तैयार करने की प्रक्रिया

दर संविदा प्रकोष्ठ के कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

1. **सभी कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों के लिए औषधियों तथा मरहम पट्टियों की उपलब्धता**
   - क) जीईएम के माध्यम से; **103** सीवै.सहा.सयू औषधि
   - ख) महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम दर संविदा के माध्यम से; **930** औषधियां
   - ग) वै.सहा.मबीजेपी के माध्यम से, दर संविदा औषधियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, खरीद" जन औषधि " प्रणाली के माध्यम से की जानी है।
   - घ) जो औषधियां न ही तो किसी दर संविदा में उपलब्ध होती हैं और न ही जीईएम/जन औषधि में उपलब्ध होती हैं, क.रा.बी .संस्थानों द्वारा उनका प्रापण जीएफआर/जीईएम/सीवीसी/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए किया जा रहा है।

1.1 : **महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम दर संविदा :**

- क. महानिदेशक क.रा.बी.निगम चालू दर संविदा/संविदाओं को **एससीओजीईएम** से उचित छूट के बाद भारत सरकार के ई-प्रापण पोर्टल अर्थात केंद्रीय सरकार प्रापण पोर्टल पर ऑनलाइन खुली ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है।
- ख. महानिदेशक क.रा.बी.निगम की सभी ई-निविदा पूछताछ और दर संविदाओं में सार्वजनिक प्रापण दिशानिर्देशों पर भारत सरकार के सभी सांविधिक निर्णयों के साथ-साथ **जीईएम**, सामान्य वित्त नियमावली, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मेक इन इंडिया का पालन किया जाता है।
- ग. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार महानिदेशक क.रा.बी.निगम की सभी ई-निविदा पूछताछ में सत्यनिष्ठा समझौते का पालन किया जाता है।
- घ. फार्मास्युटिकल (व्यवसाय--प्रतिष्ठानों के साथ महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदाओं को दो वर्ष की वैधता के लिए प्रकाशित किया जाता है। (सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार विस्तार योग्य)
- ङ. वर्तमान में वैध महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम दर संविदाओं का विवरण:

क्र.सं.	महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम दर संविदाएं	दर संविदा की वैधता	अनुमोदित मदों की संख्या
1.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा सं142 .ग से146 ग	30.04.2025	506
2.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा सं 149 .से 153	30.04.2025	332
3.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा सं 154 .से 158	09.06.2026	92
4.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा सं 159.से164	निविदा दिनांक 16.7.2024 को खोली गई, प्रक्रियाधीन)अंतिम चरण(	
5.	महानिदेशक क.रा.बी.निगम दर संविदा सं 165 .से169	निविदा दिनांक 17.01.2025 को खोली गई प्रक्रियाधीन)प्रारम्भिक चरण(	

1.2 : संविदा तैयार करने की प्रक्रिया:

क) व्यापकता आधारित औषधि चयन समिति द्वारा औषधियों को जोड़ने/हटाने की उचित प्रक्रिया के बाद आगामी निविदा पूछताछ के लिए औषधि अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया जाता है।

ख) भारत सरकार के ई-प्रापण पोर्टल अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल सीपीपी पोर्टल तथा क.रा.बी.निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर महानिदेशक क.रा.बी.निगम ई-निविदा पूछताछ।

ग) ई-निविदा पूछताछ को व्यापक प्रचार और भागीदारी के लिए एसोचैम, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ)फिक्की(, वै.सहा.चडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़,भारतीय औषधि निर्माता संघ,भारतीय भेषजी प्रक्रिया संघ तथा थोक औषधि निर्माण संघ के साथ साझा किया जाता है।

घ) पात्र भेषज फार्मास्युटिकल (व्यवसाय--प्रतिष्ठानोंसे दोहरी बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली और कीमत बोली में बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

ङ) अंतिम दर संविदा महानिदेशक के अनुमोदन के बाद अनुमोदित भेषजी)फार्मास्युटिकल (व्यवसाय-प्रतिष्ठानों को दी जाती है।

1.3 विक्रेता चयन के लिए पात्रता मानदंड :

क) निविदा पूछताछ के अंतर्गत यथापरिभाषित पात्रता मानदंड, सही मात्रा में,सही समय पर,सही गुणवत्ता की औषधियों के वितरण में सही प्रतिष्ठान का निर्णय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ख) महानिदेशक क.रा.बी.निगम निविदा पूछताछ के लिए पात्रता मानदंड हैं:

- मदवार कुल बिक्री(टर्न ओवर),मद के लिए वित्तीय वर्ष में किए गए वार्षिक खर्च पर आधारित बयाना जमा राशि (ईएमडी) एवं निष्पादन प्रतिभूति जमा।
- वैध औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति या आयात अनुज्ञप्ति।
- वस्तु विनिर्माण पद्धति प्रमाण-पत्र(जीएमपी)/विश्व स्वास्थ्य संगठन-विनिर्माण पद्धति प्रमाण-पत्र
- अच्छी प्रयोगशाला पद्धति प्रमाण पत्र(जीएलपी)
- गैर-दोषसिद्धि प्रमाण-पत्र
- सांविधिक अनुज्ञप्ति प्राधिकरण से जारी विनिर्माण एवं विपणन तथा उत्पाद प्रमाण-पत्र।
- स्थानीय सहमति प्रमाणपत्र।
- सभी प्रासंगिक अधिनियम/अधिनियमन अर्थात जीएसटी, औषध एवं प्रसाधन अधिनियम,1940, विधिक माप

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य कर्मचारी राज्य बीमा संस्थाओं के साथ तालमेल में सुधार -आंचलिक चिकित्सा आयुक्त, अधिष्ठाता,चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक,बीमा चिकित्सा सेवाएं(डीआईएमएस) तथा राज्य चिकित्सा अधिकारी(केंद्रक अधिकारी) सभी कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों में दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए समन्वय स्थापित करते हैं और नियमित रूप से निगरानी रखते हैं।

3. **"जन औषधि परियोजना" के माध्यम से क.रा.बी.निगम तथा राज्य क.रा.बी.संस्थानों द्वारा गैर-दर संविदा औषधियों के प्रापण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करना:**

- मांग की गणना
- की गई मांग की जांच
- आपूर्ति आदेश (ऑफ़लाइन/ऑनलाइन) तैयार करना
- दवाओं की आपूर्ति
- क.रा.बी.संस्थानों में आपूर्ति प्राप्त करना
- बिलों एवं भुगतान का सत्यापन
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपने-अपने संस्थानों में निगरानी

4. भेषजी (फार्मास्युटिकल) व्यवसाय-प्रतिष्ठानों के साथ तालमेल में सुधार- महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम दर संविदा अनुमोदित विक्रेताओं के लंबित भुगतान मामलों में तेजी लाने और अन्य मामलों के समाधान के लिए नियमित रूप से संचार/संप्रेषण किया जाता है।

5. कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों की केंद्रीय निगरानी- माल रिकॉर्ड की ऑनलाइन निगरानी, दवाओं की समाप्ति तिथि तथा धन्वंतरी मॉड्यूल के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों की जीईएम प्रापण का पालन:

क. बजट व्यय और जीईएम और गैर जीईएम के माध्यम से दवाओं और चिकित्सा वस्तुओं की खरीद।
ख. माल और औषधियों की समाप्ति तिथि की मासिक रिपोर्टिंग।

6. **महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम दर संविदा द्वारा अनुमोदित भेषजी)फार्मास्युटिकल(व्यवसाय-प्रतिष्ठाओं के कार्य-निष्पादन की केंद्रीय निगरानी।**

7. **सम्पूर्ण भारत की कर्मचारी राज्य बीमा के सभी संस्थाओं में दवाओं की निर्बाध सुपुर्दगी के लिए दरों/विनिर्माण स्थल/पैक आकार आदि में संशोधन करना और दर संविदा की निबंधन और शर्तों का पालन न करने**, पूर्ति न करने, मानक गुणवत्ता से विचलन के लिए दंडात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करना।

8. **अंतर-मंत्रालयी प्रक्रियात्मक समन्वय**-

क. एससीओजीईएम के साथ नियमित समन्वय
- जीईएम के माध्यम से दवाओं की खरीद को सुगम बनाना।
- जीईएम पर दर संविदा सुविधा के कार्यान्वयन हेतु नियमित बैठकें।
- जीईएम की उपयोगकर्ता इकाइयों के सामने आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के समाधान हेतु समन्वय स्थापित करना।

ख. औषधि विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)डीपीआईआईटी (के साथ नियमित समन्वय:
- महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम दर संविदा के माध्यम से खरीद के लिए आयातित/स्वामित्व वाली दवाओं को छूट।

9. **उपयोगकर्ता इकाइयों का नियमित प्रशिक्षण**: धनवंतरी पर सामग्री प्रबंधन के विभिन्न मॉड्यूल की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित प्रशिक्षण हेतु कर्मचारी राज्य बीमा संस्थाओं की सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।